



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072024-255126
CG-DL-E-03072024-255126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946

No. 170]

NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं.-एडी(ओआई) - 05/2023

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़" ("आईआईआर") के आयातों से संबंधित जांच।

मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/05/2023- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें

आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” अथवा या “पीयूसी” या “आईआईआर” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 6/05/2023-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

क. प्रक्रिया

1. संबद्ध जांच के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. जांच की शुरुआत के अनुपालन में और हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना देने और अपने हितों की रक्षा का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और रिकार्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए दिनांक 16 अप्रैल को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है, ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है तथा घरेलू उद्योग को यह क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
- ख. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाया गया था।
 - i. प्रारंभिक जांच परिणाम के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से उन जांच परिणामों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां मंगाई गई थी।
 - ii. यह अधिसूचित किया गया था कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।
 - iii. आवश्यक समझे जाने पर आगे सत्यापन किया जाएगा।
 - iv. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।
- ग. प्रारंभिक जांच परिणाम की एक प्रति केंद्र सरकार को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए उनके विचारार्थ भेजी गई थी।
- घ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 24 मई, 2024 को हुई जन सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों और उनके बाद खंडन अनुरोधों यदि कोई हों, को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर साक्ष्य द्वारा उनके समर्पित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में समुचित रूप से विचार किया गया है।
- च. यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम इस अंतिम जांच परिणाम का अभिन्न अंग है। इस अंतिम जांच परिणाम को पहले जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अपनाई गई प्रक्रिया हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की, जिन पर हितबद्ध पक्षकारों ने

कोई कष्ट नहीं उठाया है, उन तथ्यों को उस अंतिम जांच परिणाम में दोहराया नहीं गया है। प्रारंभिक जांच परिणाम को वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से असंगत नहीं होने की सीमा तक वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में शामिल समझा जाना चाहिए।

- छ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों / दस्तावेजों की संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।
- ज. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आंकड़ों पर विचार और उन्हें सत्यापित किया है।
- झ. घरेलू उद्योग के परिसर, कारखाना, कार्यालय दोनों में मौके पर सत्यापन किया गया था जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न दावों और समर्थक सूचना का संगत समझी गई सीमा तक सत्यापन और संग्रहण किया गया था। इस सत्यापन में उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण सुविधाओं, आईआईआर और एचआईआईआर की सुविधाओं, विभिन्न उत्पादों आदि के उत्पादन की जांच शामिल थी।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पर प्रारंभिक जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में विचार किया है।

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ (“आईआईआर”) है, जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों की आंतरिक ट्यूबों और अन्य उच्च दाब ट्यूबों के विनिर्माण में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में च्युंगम के उत्पादन में एक अवयव के रूप में प्रयुक्त फूड ग्रेड आईआईआर शामिल नहीं है। आईआईआर का प्रयोग ट्यूब और टायर के इनर लाइनर में होता है जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसे डाया फ्रेगमेंस, गैस किट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओरेंज्स, सील वेदर स्टिपिंग और बाटल क्लोजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।”

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ कोड 40023100 के अंतर्गत अध्याय 40 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद विचाराधीन उत्पाद को समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार है:

- i. ब्लेडर प्रयोग के लिए आईआईआर के रेगुलर ग्रेड को बाहर रखा जाए, क्योंकि आवेदक का उत्पाद टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण के लिए अनुमोदित नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग ब्लेडर में प्रयोग के लिए विशिष्ट ग्रेडों की आपूर्ति करने में असमर्थ है। आयातित ग्रेडों को ब्लेडर के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है जो 330-340 टायर के क्यूरिंग में प्रयोग होते हैं जबकि घरेलू ग्रेड से निर्मित टायर लगभग 260 टायर का उत्पादन कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने ऐसे विशिष्ट ग्रेडों की बिक्री का प्रस्ताव प्रयोक्ताओं के लिए कभी नहीं किया है और केवल सामान्य ग्रेडों का उत्पादन किया है।
- iii. अंतिम प्रयोग आधारित छूट को भी ग्लेडरों के उत्पादन में प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेडों के लिए दिया जा सकता है ताकि प्रवंचना की संभावना से बचा जा सके।
- iv. आवेदक विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास संयंत्र और उपकरण नहीं हैं। ऐसे ग्रेड मूनी डिस्कॉसिटी और अनसेचुरेशन स्तर का एक संयोग होते हैं। यदि आवेदक मूनी और अनसेचुरेशन स्तरों का उत्पादन करता भी है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वह

अपेक्षित संयोजन का उत्पादन कर सकता है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिर्देशन शीटों को किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से साझा नहीं किया गया है।

- v. किसी उत्पाद प्रकार का आयात ऐसे उत्पाद को बाहर रखने के लिए कानूनी अपेक्षा नहीं है। वास्तविक उत्पादन और बिक्री शामिल करने का कानूनी मानक है और न कि इसका समर्थन है।
- vi. यदि भारतीय बाजार में कोई मांग नहीं है तो विदेशी बाजारों में मांग थी, परंतु आवेदक ने साक्ष्य दिए कि विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति निर्यात बाजार में हुई है।
- vii. विशिष्ट ग्रेड और रेगुलर ग्रेड के प्रयोग में अंतर की जांच की जानी चाहिए। एक्सोन का उत्पाद उच्चतर मूनी रिटेंशन इंडेक्स वाला है। आरएसईपीएल के रेगुलर ग्रेड में उच्चतर अनसेचुरेशन मात्रा है जो उत्पाद की सुरक्षा और आयु संबंधी विशेषता की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। प्राधिकारी को तीसरे पक्ष की लैब रिपोर्ट मंगानी चाहिए और उक्त मापदंडों का विश्लेषण करना चाहिए।
- viii. घरेलू उद्योग का दावा कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले से निश्चित हो गया और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है, गलत है। जैसा कि एचआईआईआर में उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने की अधिसूचना से देखा जा सकता है, दायरे को बाद में संशोधित / आशोधित किया जा सकता है। दायरे और पीसीएन पद्धति का केवल नोटिस जो एक राजपत्रित दस्तावेज नहीं है और सभी प्रभावित पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है, प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता है।
- ix. आवेदक की दलील के विरोध में जांच शुरूआत अधिसूचना में दायर करने की समय सीमा प्रश्नावली के उत्तर से संबंधित है और ऐसे उत्तर देने के बाद क्षति संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

4. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार है:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नए तथ्य रिकार्ड में नहीं दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच परिणाम में माने गए उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- ii. टायर क्यूरिंग ब्लेडर को बाहर रखने का अनुरोध देरी से किया गया है और उसे अस्वीकार किया जाए। एटीएमए द्वारा समय सीमा के भीतर उत्पाद दायरे संबंधी टिप्पणियों में बाहर रखने का अनुरोध शामिल नहीं है। घरेलू उद्योग ने घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों में ऐसे उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की है।
- iii. आईआईआर के लिए जारी बीजकों में ट्यूबों और या टायर क्यूरिंग ब्लेडर में उनका प्रयोग नहीं दर्शाया गया है और यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि क्या आईआईआर ने ट्यूब अथवा टायर क्यूरिंग ब्लेडर की खपत की है।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उपयुक्त गुणवत्ता का नहीं है। ऐसे आरोप गलत इरादे से लगाए गए हैं क्योंकि घरेलू उद्योग ने ब्लेडर निर्माण के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार आईआईआर की बिक्री की है।
- v. भावी मांग की धारणा के आधार पर विशिष्ट ग्रेड को बाहर रखने के अनुरोध पर अपवर्जन के आधार के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग भविष्य में ऐसी नई मांग को भी पूरा कर सकता है।
- vi. किसी उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर किया जा सकता है, यदि ऐसी उत्पाद किस्म को

भारत ने आयात किया हो और घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की हो। ऐसा प्राधिकारी द्वारा अनेक पूर्ववर्ती मामलों में निर्धारित किया गया है जैसे सीमलेस ट्यूब और पाइप्स, एसडीएच उपकरण और कोटेड / प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद सेस्टेट ने एसबीएच उपकरण में प्राधिकारी के निष्कर्षों को माना था।

- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत आवेदक की स्थापना हाल की है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह नया प्रवेशक है जो अपनी स्थापना से ही पाटन का सामना कर रहा है।
- viii. घरेलू उद्योग पर यह दर्शाने का कोई दायित्व नहीं है कि उसने निर्यात बाजार में उत्पाद की आपूर्ति की है।
- ix. यदि भविष्य में उत्पाद की मांग बढ़ती है और घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति करने में असमर्थ होता है तो अन्य हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा के लिए प्राधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन को स्पष्ट करने और टिप्पणी करने का अवसर सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत के नोटिस द्वारा दिया गया था। उसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोध स्पष्ट किए थे। हितबद्ध पक्षकारों ने संगत समर्थक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी लिया था। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद और इस संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति का निर्णय लिया है। इसे 22 नवंबर, 2023 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था।

6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने हितबद्ध पक्षकारों को दी गई समय सीमा के भीतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का कोई अनुरोध नहीं किया। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के बाद और समय सीमा की समाप्ति के काफी बाद एटीएमए ने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आईआईआर के रेगुलर ग्रेड को बाहर रखने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए द्वारा प्रस्तुत अनुरोध देरी से थे और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने के बाद किए गए थे और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के आलोक में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

“(8) किसी मामले में जहां हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत समय सीमा के भीतर सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे ऐसी परिस्थितियों में उचित समझते हों।”

7. यद्यपि प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए आईआईआर को बाहर रखने संबंधी एटीएमए के अनुरोध देरी से हैं और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। फिर भी प्राधिकारी ने जांच और निर्धारण के हित में दिए गए तर्कों की जांच की है।
8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पाद के कोई तकनीकी ब्यौरे नहीं बताए हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि आईआईआर के रेगुलर ग्रेड की खपत टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन में की जा रही है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि आईआईआर की उसी ग्रेड का प्रयोग टायर क्यूरिंग ब्लेडर और टायरों के रेगुलर ट्यूब दोनों के उत्पादन में होता है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण के लिए ऐसे ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति की है।
9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई ग्रेड की गुणवत्ता टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी इस दलील के समर्थन में *** से *** तक के पत्र में बताया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद स्वीकार्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) उक्त पत्र घरेलू उद्योग के पास नहीं हैं और दो पक्षकारों के बीच में जिनके बारे में घरेलू उद्योग को जानकारी नहीं है।
- (ख) उक्त पत्र यह सिद्ध नहीं करता है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह केवल घरेलू उद्योग के उत्पाद को प्रयोग करने में कुछ प्रचालन संबंधी कठिनाइयां बताता है, (ग) घरेलू उद्योग को यह स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं मिला है कि क्या घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई समस्या थी या कोई अन्य कारक था,
- (घ) घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है और अपने उत्पादन की शुरुआत में प्रचालन संबंधी कुछ कठिनाइयों (उक्त पत्र वर्ष 2021 से संबंधित है) का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है,
- (ङ) घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में भारी मात्राओं की बिक्री की है। अतः यह स्वीकार्य नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु देने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में *** में *** उपभोक्ता को सामग्री की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने उक्त ग्राहक से प्राप्त पत्र की एक प्रति साक्षा की है। यद्यपि जांच अवधि के बाद प्राप्त सकारात्मक फीडबैक आवेदक की टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पाद के उत्पादन की क्षमता को सिद्ध करता है। उपभोक्ता ने न केवल टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए घरेलू उद्योग की सामग्री के प्रयोग की पुष्टि की है बल्कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए घरेलू उद्योग की सामग्री के निष्पादन पर संतुष्टि भी व्यक्त की है।

10. हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क देते हुए एक महत्वपूर्ण अनुरोध के आलोक में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सामग्री टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए अच्छा निष्पादन नहीं करती है, एटीएमए और एक्सेल रबड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना और साक्ष्य की विस्तार से जांच की गई थी। यह देखा गया है कि एक्सेल रबड प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों पक्षों के बीच पत्र उपलब्ध कराए हैं। उक्त पत्र घरेलू उद्योग के साथ नहीं है। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हुए घरेलू उद्योग को उपभोक्ता द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति की बार-बार मांग की है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उक्त पत्र की प्रति घरेलू उद्योग को देने से मना किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि यदि उक्त पत्र घरेलू उद्योग द्वारा भेजी गई सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित है तो घरेलू उद्योग से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह क्रेता की ऐसी शिकयतों पर तब उत्तर दे सकता है जबकि घरेलू उद्योग को सूचित भी नहीं किया गया है। चूंकि प्रस्तुत पत्र घरेलू उद्योग से इतर दो पक्षकारों के बीच है। इसलिए प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब उक्त पत्र घरेलू उद्योग से शेयर भी नहीं किया गया है और यह दो पक्षकारों के बीच का पत्र है तो वह यह सिद्ध करने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को क्यूरिंग ब्लेडर के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में *** एमटी की संचयी मात्रा की आपूर्ति की है, जिसका अधिकांश हिस्सा टायर उद्योग में खपत हुआ है। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में विभिन्न उपभोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्ति दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उसने पीओआई के बाद की अवधि में इन उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आपूर्ति की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अनेक ग्राहकों और यहां तक उन ग्राहकों को भी उत्पाद की वास्तव में बिक्री की है जिन्होंने घरेलू उद्योग के उत्पाद के गैर निष्पादन के बारे में कथित शिकायतें की हैं।

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	नियमित खरीदारी शुरू करने का महीना/वर्ष	कुल बेची गई मात्रा
			पीओआई तक (केटी)
1	***	***	***
2	***	***	***
3	***	***	***
4	***	***	***

5	***	***	***
6	***	***	***
7	***	***	***
8	***	***	***
9	***	***	***
10	***	***	***

11. इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा दिए गए पत्र उनके बीच परस्पर पत्राचार हैं और इनकी तारीख जांच अवधि से पहले की है। यह पत्र आवेदक को नहीं भेजे गए हैं और इस प्रकार प्राधिकारी रिकार्ड में साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि ऐसे पत्राचार को आवेदक के उत्पाद के बारे में शिकायत नहीं माना जा सकता है।
12. एक प्रयोक्ता ने बताया है कि आवेदक उनकी बिक्री अनुमोदन सूची का हिस्सा नहीं है। ऐसे प्रयोक्ता ने एक "विक्रेता अनुमोदन सूची" दी है जो केवल खरीद के स्रोत को "आयात" बताती है और न कि घरेलू खरीद। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक प्रयोक्ता की अनुमोदन सूची इस तथ्य का खंडन नहीं करती है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू तथा वैश्विक प्रयोक्ताओं को वास्तव में उत्पाद की आपूर्ति की है और वह भी तब, जब घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्रा इतनी अधिक है और सितंबर 2019 से मार्च 2023 तक देश में उत्पाद की मांग के *** प्रतिशत हिस्से को घरेलू उद्योग ने पूरा किया था।
13. घरेलू उद्योग ने बताया कि ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण में एक ही ग्रेड का प्रयोग होता है। इस कारण घरेलू उद्योग का दावा निर्विवाद रहता है। यह भी देखा गया है कि प्रयोक्ताओं ने ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीयूसी से अलग किसी ग्रेड का आयात नहीं किया है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में जहां उपभोक्ताओं ने ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए समान उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और ऐसी स्थिति में जहां विचाराधीन उत्पाद की अधिकांश खपत ट्यूब में हुई है, वहां प्राधिकारी मानते हैं कि प्रस्तावित उपायों से विचाराधीन उत्पाद के किसी प्रयोग विशेष को बाहर रखना न्यायोचित नहीं है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए ऐसे किसी अपवर्जन को लागू करना तब असंभव होगा जबकि उपभोक्ता ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
14. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि 94 प्रतिशत आईआईआर का प्रयोग टायरों के लिए ट्यूब के उत्पादन में होता है जबकि केवल 6 प्रतिशत अन्य कार्यों में प्रयोग होता है। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर प्रयोगों के लिए विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।
15. यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 9 में उल्लिखित एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन के लिए उत्पादन सुविधाओं के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण के लिए समान उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग होता है।
16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में कम मूनी विस्कोसिटी के ग्रेड का उत्पादन किया है। वास्तव में यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग की उत्पादन रेंज में 35 एमयू तक कम मूनी विस्कोसिटी शामिल है जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पादित ग्रेड में 32 एमयू (+/-4) की मूनी विस्कोसिटी है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पादित विशिष्ट ग्रेड की सहनशीलता सीमा के भीतर मूनी विस्कोसिटी है।
17. इस तर्क के संबंध में कि विनिर्देशन शीट शेयर नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादित किए जा सकने वाले ग्रेडों के विनिर्देशन दर्शाने के लिए अपने प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं।

चूंकि ऐसी सूचना गोपनीय व्यापार स्वामित्व प्रकृति की है इसलिए उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया जा सकता है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के पास कम और उच्च अनसेचुरेशन मात्रा और कम तथा उच्च मूनी विस्कोसिटी की उत्पादन की क्षमता है। सत्यापन के बाद घरेलू उद्योग ने विभिन्न ग्रेडों की विनिर्देशन शीट भी प्रस्तुत की है जिसे बाद में सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।

18. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग मूनी विस्कोसिटी और अनसेचुरेशन स्तरों के वांछित संयोजन प्राप्त करने की अपनी अक्षमता के कारण विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं कर सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु नहीं हो सकता है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा उत्पाद विनिर्देशन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संयंत्र और उपकरण का कोई ब्यौरा नहीं दिया है और यह नहीं बताया है कि कैसे आवेदक के पास ऐसी तकनीकी क्षमता नहीं है। इसके अलावा, जैसा प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले ही नोट किया गया है भारत में इस उत्पाद की कोई मांग नहीं है और इसलिए ऐसे उत्पाद का न तो घरेलू उत्पादन है और न ही भारत में उत्पाद के आयात हैं। इस प्रकार, उत्पाद के आयात के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं हो रही है। आवेदक के लिए ऐसे उत्पाद के उत्पादन की उम्मीद करना अतर्कसंगत है जिसे बाजार में बेचा गया होता, क्योंकि बाजार में ऐसे उत्पाद की कोई मांग नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल कोई उत्पाद किस्म जिसे देश में आयातित किया गया है तथा जिसकी समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि विशिष्ट ग्रेड को बाहर रखना न्यायोचित नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- रूसी निर्यातकों और घरेलू उत्पादक के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे उन्हें अपात्र उत्पादक मानने के लिए पर्याप्त समझा जाए।
 - संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए सिबुर के अनुमोदन के बाद भारी व्यय किया गया है, क्योंकि अनेक संबंधित पक्षकार सौदे आरआईएल के साथ किए गए हैं।
 - आरएसईपीएल के संबंध के बारे में एनकेएनएच द्वारा गलत वक्तव्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए उसमें व्यापार सूचना 9 के अनुसार संबंधित पक्षकार की रिपोर्ट नहीं है।
 - सिबुर इन्वेस्टमेंट एजी का एनकेएनएच तथा घरेलू उत्पादक पर नियंत्रक है। साझा कारपारेट ढांचा जानने के बावजूद प्राधिकारी ने केवल एनकेएनएच के उत्तर पर भरोसा किया है और घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग घोषित किया है।
 - चूंकि निर्यातकों को सीधे रूस से भेज गया था इसलिए एनकेएनएच को इसकी जानकारी थी।
 - गतिरोध प्रावधानों पर भरोसा अधूरा था क्योंकि ऐसे प्रावधान के प्रयोग के परिणाम का मूल्यांकन नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से सिबुर संयुक्त उद्यम से बाहर हो सकता था तथा यह संयुक्त अनुमोदन और संबंधित पक्ष के सौदों पर लागू नहीं है। ऐसे प्रावधान को वास्तव में लागू करने का कोई साक्ष्य नहीं है।
 - रूस के उत्पादक के आचरण का मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वह आवेदक से जुड़ा हुआ है। उसने घरेलू उद्योग की पात्रता संबंधी तर्क का समर्थन किया है। सिबुर और आरएसईपीएल अपने बीच बिक्रियां रखने के लिए बाजार में पुनः व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि पहले भारत में रूस के आयात सर्वाधिक थे और आवेदक ने कम कीमत पर रूस से भारी आयात किया है। चूंकि आवेदक ने उत्पादन शुरू किया इसलिए रूस से आयात घट गए और आवेदक को बाजार मिल गया।

- viii. नियम 2(ख) के अनुसार यदि कोई घरेलू उत्पादक निर्यातक से संबंधित हो तो प्राधिकारी के लिए कानून के अनुसार ऐसे किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने के लिए किसी विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध कि क्योंकि उनके विरुद्ध एनकेएनएच भागीदारी कर रहा है, इसका अर्थ है कि सिबुर घरेलू उद्योग को नियंत्रित नहीं कर रहा है, एक निराधार मान्यता है जो डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के विरुद्ध है। सिबुर की भागीदारी बिल्कुल समन्वित और व्यवस्थित कार्य लगता है जो घरेलू उद्योग पर उसका नियंत्रण दर्शाता है।

ग.2. घरेलू उद्योग के विचार

20. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी के बाद घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. संबंधित घरेलू उत्पादक को बाहर रखने को उचित ठहराने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। संबंध का एक मात्र तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान स्थिति के मुकाबले उस स्थिति में आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, जहां वह कथित संबंधित पक्षकार नहीं था।
- ii. यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि आरएसईपीएल और सिबुर ने गठबंधन किया है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इन दोनों पक्षकारों के बीच संबंध के कारण आवेदक ने एक असंबंधित उत्पादक से अलग व्यवहार किया है।
- iii. सिबुर, आरएसईपीएल पर न्यायिक नियंत्रण या वास्तविक नियंत्रण नहीं रखता है।
- iv. आरक्षित मामले खरीद, उत्पादन, बिक्री, लागत, कीमत निर्धारण या पाटनरोधी जांच से संगत किसी अन्य साक्ष्य के संबंध में आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का नियंत्रण नहीं दर्शाते हैं।
- v. संस्था के नियमों में गतिरोध के प्रावधान सिबुर को आरआईएल के निर्णय के अतिव्यापन से रोकते हैं। गतिरोध के प्रावधान औपचारिकता नहीं हैं और एक्सोन संस्था के नियमों के कतिपय प्रावधानों पर चुनिंदा भरोसा नहीं कर सकता है।
- vi. रूसी उत्पादक वर्तमान जांच का विरोध कर रहा है। रूसी उत्पादक ने आवेदक को कमतर कीमत के लिए बाध्य किया है और उसने अपनी कीमत को कम नहीं किया होता, यदि उसका इरादा आवेदक को बाजार पहुंच होने का था।
- vii. गतिरोध के प्रावधान को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि सिबुर ने आवेदक या आरआईएल के हित के लिए हानिकारक ढंग से कभी नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया है।
- viii. आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद का अनुमोदन सिबुर से सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार प्राप्त हुआ था।
- ix. यदि यह भी पाया जाता है कि सिबुर ने भारत को सीधे निर्यात किया है तो सिबुर से निर्यातों को रोकने के लिए आवेदक की अक्षमता और शुल्क की मांग करने से आवेदक को रोकने में सिबुर की अक्षमता नियंत्रण के अभाव को सिद्ध करती है।
- x. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या भारत में आयात रूसी उत्पादकों की जानकारी में हैं। निर्यातक और उत्पादक शब्दों को नियम 2(ख) के अंतर्गत एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- xi. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के विपरीत कि सिबुर ने आवेदक से मिलीभगत की है क्योंकि रूस से आयातों में कमी आई है, अन्य देशों से आयातों में भी भारत में घरेलू उत्पादन शुरू होने के बाद गिरावट आई है जिसका यह अर्थ नहीं है कि सभी देशों ने आवेदक से मिलीभगत की है। चीन से आयात 2020-21 और 2021-22 के दौरान न्यूनतम थे।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

22. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी का अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। यह अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का न्यायसंगत और वास्तविक कोई नियंत्रण नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक से सिबुर द्वारा नियंत्रित होता है जो रूस में संबद्ध वस्तु के उत्पादक को भी नियंत्रित करता है।

23. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणाम के इस विवरण के कानूनी आधार पर प्रश्न उठाया है जो प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित बनाता है कि क्या उत्पादक ने उत्पाद के अन्य उत्पादकों से अलग व्यवहार किया है।

24. प्राधिकारी ने 21 जून 2024 को एक प्रकटन विवरण जारी किया जिस पर सभी इच्छुक पार्टियों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। टिप्पणियों पर विचार करने पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित मुद्दे की फिर से जांच की।

25. नियम 2(बी) का स्पष्टीकरण उन स्थितियों के लिए प्रदान करता है जहाँ घरेलू उत्पादक कथित पाटन किए गए लेख के आयातक या निर्यातक से संबंधित है। प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से संबंधित तभी माना जाएगा, जब -

(ए) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है; या

(बी) ये दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं; या

(सी) साथ में वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को इस शर्त के अधीन नियंत्रित करते हैं कि विश्वास करने या संदेह करने के लिए आधार हैं कि रिश्ते का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करना पड़ता है।

26. उपरोक्त स्पष्टीकरण का नोट "नियंत्रण" का अर्थ प्रदान करता है।

नोट: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, एक निर्माता को दूसरे निर्माता को नियंत्रित करने के लिए माना जाएगा जब पहला कानूनी या परिचालन रूप से दूसरे निर्माता पर प्रतिबंध लगाने या निर्देश देने की स्थिति में हो।

27. यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित दो स्थितियों में से किसी एक में नियंत्रित कर सकता है:

(i) पूर्व कानूनी तौर पर बाद वाले पर संयम या निर्देश देने की स्थिति में है, (कानूनी नियंत्रण) या

(ii) पहला सक्रिय रूप से दूसरे पर संयम बरतने या निर्देश देने की स्थिति में है। (वास्तविक नियंत्रण)

28. "संयम" या "निर्देश" शब्दों का अर्थ एडी नियमों या डब्ल्यूटीओ एंटी-डॉपिंग समझौते में परिभाषित नहीं है। "संयम" को किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्यों को रोकने या सीमित करने वाली कार्रवाई के रूप में समझा जा सकता है, जबकि

"निर्देश" उस तरीके या मार्ग को दर्शाता है जिसमें एक निश्चित कार्रवाई की जानी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रावधान विघटनकारी है यानी, या तो संयम या निर्देश मौजूद होना चाहिए।

29. आवेदन आरएसईपीएल द्वारा दायर किया गया है, जो रिलायंस और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें रिलायंस की 74.9% हिस्सेदारी है और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी (सिबुर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की 25.1% हिस्सेदारी है। सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के अधिकृत प्रतिनिधि, श्री दिमित्री खीचेंको, आवेदक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हैं, जैसा कि पीओआई के लिए याचिकाकर्ता की लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है।
30. इसमें कहा गया है कि सिबुर रूस में पीयूसी के निर्माता एनकेएनएच पर नियंत्रण रखता है।
31. याचिकाकर्ता के एओए के अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता के व्यवसाय को निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जिसमें 10 निदेशक होंगे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक होंगे, छह निदेशक रिलायंस शेयरधारकों द्वारा नामित किए जाएंगे, और शेष दो निदेशक सिबुर और उसके सहयोगी द्वारा नामित किए जाएंगे। एओए से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

29 (ए) कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। बोर्ड में दस (10) निदेशक होंगे जिनमें से दो (2) स्वतंत्र निदेशक होंगे, रिलायंस शेयरधारक छह (6) निदेशकों को नामित करने के हकदार होंगे और सिबुर शेयरधारक दो (2) निदेशकों को नामित करने के हकदार होंगे।

32. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के निर्णय लेने के लिए मतदान से संबंधित एओए का अनुच्छेद 38 निम्नानुसार है:

निर्णय

38. (ए) अनुच्छेद 39 और 41 के अधीन, बोर्ड की बैठकों में मतदान उन निदेशकों के वोटों के साधारण बहुमत के माध्यम से होगा जो बैठक में भाग ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। प्रत्येक निदेशक (या निदेशक के स्थान पर बैठक में उपस्थित वैकल्पिक निदेशक) के पास एक (1) वोट होगा।

(बी) अनुच्छेद 39 और 41 और अधिनियम के अधीन, शेयरधारकों की बैठक में मतदान बैठक में डाले गए वोटों के साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। किसी भी शेयरधारक की बैठक में प्रत्येक शेयर पर एक (1) वोट होगा।

33. उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की बैठकों और शेयरधारकों की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाएंगे। हालाँकि, यह नोट करना प्रासंगिक है कि अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 और 41 के अधीन है, जो क्रमशः "आरक्षित मामलों" और "संबंधित पार्टी लेनदेन और संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" से निपटते हैं। "आरक्षित मामलों" और "संबंधित पार्टी लेनदेन और संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" के संबंध में याचिकाकर्ता का कोई भी निर्णय केवल साधारण बहुमत के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है, बल्कि अनुच्छेद क्रमशः 39 और 41 के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया/अनुमोदन के अधीन है।
34. एओए का अनुच्छेद 39(ए) बोर्ड और शेयरधारकों की बैठक में आरक्षित मामले के लेनदेन के लिए आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया/अनुमोदन प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास याचिकाकर्ता के योग्य शेयर हैं, तब तक बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों में निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक कि रिलायंस और सिबुर द्वारा नियुक्त कम से कम एक निदेशक ने मामले के पक्ष में मतदान नहीं किया हो (बोर्ड मीटिंग के मामले में) और रिलायंस और सिबुर के प्रत्येक शेयरधारक के कम से कम एक अधिकृत प्रतिनिधि ने ऐसे मामले

के लिए अपनी मंजूरी दे दी है (शेयरधारकों की बैठक के मामले में)। अनुच्छेद 39 के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाले गए हैं:

39. (ए) जब तक सिबुर शेयरधारक सामूहिक रूप से योग्य शेयरधारिता रखते हैं, तब तक बचत करें और अनुच्छेद 43 (ई) और अनुच्छेद 44 (सी) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई स्थितियों को छोड़कर, कंपनी ऐसा नहीं करेगी और शेयरधारक इसे खरीद लेंगे। कंपनी किसी आरक्षित मामले के संबंध में कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि:

(i) प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने कंपनी को ऐसे आरक्षित मामले के लिए लिखित रूप में अपनी मंजूरी दे दी है, या, यदि ऐसा आरक्षित मामला अधिनियम के तहत पूरी तरह से शेयरधारकों की बैठक की क्षमता के अंतर्गत आता है तो एक प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ii) प्रत्येक शेयरधारक समूह द्वारा नियुक्त कम से कम एक (1) निदेशक ने विधिवत बुलाई और आयोजित बोर्ड बैठक में मामले के पक्ष में मतदान किया है।

35. आरक्षित मामलों के समान, "संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" के संबंध में, अनुच्छेद 41 (बी) (i) में कहा गया है कि ऐसे सभी लेनदेन के लिए रिलायंस और सिबुर दोनों से कम से कम एक निदेशक और एक शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता होती है (जब तक सिबुर के पास अर्हक शेयर है)।
36. विशेष रूप से, एसोसिएशन के लेख (एओए) कुछ "आरक्षित मामले", "संबंधित पार्टी लेनदेन" और "संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" को परिभाषित करते हैं, जिसमें बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों में क्रमशः व्यवसायिक लेन-देन के लिए सिबुर के निदेशकों और शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि अधिकांश शेयर रिलायंस के स्वामित्व में होने के बावजूद, सिबुर नियम 2(बी) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में याचिकाकर्ता पर संयम बरत सकता है।
37. जबकि आवेदक एसोसिएशन के लेखों में गतिरोध प्रावधानों का प्रयोग कर सकता है, प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसे प्रावधानों को कभी भी लागू नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों के लागू होने की स्थिति में, संयुक्त उद्यम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
38. उपरोक्त के प्रकाश में, यह स्थापित किया गया है कि सिबुर, सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के माध्यम से, याचिकाकर्ता पर नियंत्रण रखता है और एडी नियमों के नियम 2 (बी) के संदर्भ में एक संबंध स्थापित होता है।
39. प्राधिकारी नोट करता है कि नियम 2(बी) केवल एक संभावित स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक घरेलू उत्पादक को अयोग्य माना जा सकता है। चूंकि नियमों के तहत कोई निर्देश या शर्त निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए प्राधिकारी उन संभावित स्थितियों की जांच करता है जहां प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों को संबद्ध देश/देशों में निर्यातक के साथ संबंध के बावजूद पात्र या अपात्र मान सकता है।
40. प्राधिकारी का मानना है कि एक उत्पादक और एक विदेशी निर्यातक के बीच संबंध के अस्तित्व का तथ्य ही ऐसे घरेलू उत्पादक को नियम 2(बी) के तहत अयोग्य ठहराने के लिए अपर्याप्त है।
41. दरअसल, नियमों को 'किया जाये' से 'हो सकता है' तक संशोधित किया गया है ताकि प्राधिकारी को उस स्थिति में विवेकाधिकार दिया जा सके जहां एक घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक है या आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित है।

42. प्राधिकारी प्राधिकरण को ऐसा विवेक प्रदान करने के उद्देश्य को याद करता है। जब एंटी-डंपिंग नियम मूल रूप से पेश किए गए थे तो इस संबंध में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया था। कुछ श्रेणी के उत्पादकों को पात्र और कुछ श्रेणी के उत्पादकों को अपात्र मानने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। चूंकि कानून के तहत कुछ भी विशिष्ट नहीं बताया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने इस संबंध में न्यायशास्त्र और पिछले निर्धारणों पर भरोसा किया है, जहां प्राधिकारी ने संभावित स्थितियों की जांच की है जहां एक घरेलू उत्पादक को पात्र या अपात्र माना जाएगा। विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर और चीन से सर्कुलर बुनाई मशीन से संबंधित जांच का संदर्भ लिया गया है, जहां प्राधिकारी ने नियम 2 (बी) के प्रावधानों और उन स्थितियों की विस्तार से जांच की है जहां घरेलू उत्पादकों को पात्र या अपात्र माना जा सकता है।
43. जहां तक इस दलील का संबंध है कि रूसी उत्पादक ने आवेदक के साथ मिलीभगत की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से आयात की कीमत अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में रखी गई थी। यह भी नोट किया गया है कि रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कीमतें कुछ संबद्ध देशों की तुलना में कम थीं जबकि अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थीं। यदि रूसी निर्माता बाजार को फिर से व्यवस्थित करने और आवेदक को बाजार पहुंच देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने आवेदक को न केवल बाजार पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए उच्च कीमतों की पेशकश की होगी, बल्कि अपनी बिक्री की सीमा तक बेहतर कीमतें भी प्राप्त की होंगी। हालाँकि, रूसी उत्पादक ने अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कीमतों की पेशकश की है, जिससे पता चलता है कि रूसी उत्पादक बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, और आवेदक को बाजार तक पहुंच नहीं दे रहा था। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध थी कि आवेदक ब्यूटाइल रबर के उत्पादन के लिए भारत में एक संयंत्र स्थापित कर रहा था और यह भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था कि आवेदक ने देश में उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी थी। यदि विदेशी उत्पादकों ने डंप किए गए मूल्यों पर अपना निर्यात जारी रखा, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह दो अन्य पक्षों, यानी रूसी उत्पादक और आवेदक के बीच मिलीभगत का परिणाम था। यह भी नोट किया गया है कि रूस को छोड़कर अन्य संबद्ध देशों की सामूहिक रूप से पीओआई में उच्च बाजार हिस्सेदारी थी।
44. प्राधिकरण मानता है कि घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक के बीच संबंध के अस्तित्व का मात्र तथ्य ऐसे घरेलू उत्पादक को नियम 2 (बी) के तहत अयोग्य ठहराने के लिए अपर्याप्त है।
45. वास्तव में, नियमों को 'करेगा' से 'कर सकता है' में संशोधित किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए जहां एक घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक है या आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित है। प्राधिकरण इस संबंध में मानता है कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां यह वारंट नहीं करती हैं कि याचिकाकर्ता को नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर अयोग्य घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही याचिकाकर्ता को विदेशी उत्पादक से संबंधित माना जाए।
46. जबकि प्राधिकरण नोट करता है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के विदेशी निर्माता से संबंधित है, प्राधिकरण, फिर भी, मानता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के कारण घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र है।
- a) डंपिंग रोधी कानून का उद्देश्य भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली डंपिंग की स्थिति का समाधान करना है। मात्र तथ्य यह है कि एक कंपनी जो किसी विदेशी उत्पादक से संबंधित हो सकती है और ऐसा विदेशी उत्पादक भी भारत में उत्पाद का निर्यात कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में उत्पाद की डंपिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।

नियमों के तहत विवेकाधिकार देने और पहले के नियम में संशोधन की मांग करने का उद्देश्य प्राधिकारी को विवेकाधिकार देना था ताकि घरेलू उत्पादकों को ऐसी स्थिति में उपाय मांगने से रोका न जाए जहां विदेशी उत्पादक भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन इस तरह से किया जाना

चाहिए कि कानून का उद्देश्य पूरा हो, और विफल न हो

- b) याचिकाकर्ता एक नई कंपनी है जिसने पहले देश में उत्पादित नहीं होने वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- c) देश में विषय वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और इसलिए, यदि याचिकाकर्ता को अयोग्य माना जाता है, तो कोई घरेलू उद्योग नहीं है जो निवारण की मांग कर सके। ऐसी स्थिति का तात्पर्य हानिकारक डंपिंग को जारी रखने की अनुमति देना होगा।
- d) जांच से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और क्षति का पता चला है।
- e) रूसी उत्पादक भारत में डंपिंग के अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त है और आवेदक ने रूसी उत्पादक के खिलाफ भी उसी तरह से उपाय करने की मांग की है जैसे अन्य संबद्ध देशों में अन्य उत्पादकों के लिए किया गया है।

केवल यह तथ्य कि आवेदक रूसी उत्पादक को उत्पाद का निर्यात करने से रोकने में सक्षम नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि आवेदक विदेशी उत्पादक को भारतीय बाजार में डंपिंग से रोकने में किसी भी नियंत्रण या विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ है।

- f) घरेलू उद्योग शुरू हुआ 2019-20 में उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन किया और जांच की अवधि से ठीक पहले वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। उत्पादन शुरू करने और वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने के बीच महत्वपूर्ण समय अंतराल को घरेलू उद्योग द्वारा देश में होने वाली डंपिंग के आधार पर उचित ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में, देश में उत्पाद की डंपिंग इतनी अधिक हो गई है कि इसने घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री की अपनी तकनीकी क्षमता पूरी तरह से स्थापित करने के बाद भी काफी लंबी अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने से रोक दिया है।
- g) प्राधिकारी ने कथित रूप से संबंधित इकाई द्वारा निर्यात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी; और इसलिए, इस सिफारिश से इस आधार पर विरोधी इच्छुक पार्टियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि याचिकाकर्ता और विदेशी निर्यातकों में से एक संभावित रूप से संबंधित हैं।
- h) रूसी निर्माता ने भाग लिया है और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी निर्माता के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हितों को दर्शाता है, इस प्रकार किसी भी टकराव या सामूहिक कार्रवाई की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
- i) रूस से आयात की कीमत अन्य विषय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में थी। रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो किसी टकराव या सामूहिक कार्रवाई की उपस्थिति को दर्शाता है। रूसी निर्माता ने पाटनरोधी शुल्क लगाने में भाग लिया है और इसका विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी उत्पादक के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हितों को दर्शाता है।

47. बहुत ही विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता को अयोग्य घरेलू उद्योग मानने का कोई आधार नहीं है।

48. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक डंपिंग रोधी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 (3) के अनुसार स्थिति सम्बन्धित अपेक्षाएं को पूरी करता है।

घ. गोपनीयता

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

49. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. सूचीबद्ध आंकड़े दिए बिना मालसूची से संबंधित समस्त आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ii. यह दावा कि उसी निर्यातक ने विभिन्न कीमतों पर वही सामग्री आपूर्ति की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

50. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. विभिन्न निर्यातकों द्वारा निर्यातों और विभिन्न आयातकों द्वारा आयातों से संबंधित आंकड़े गोपनीय संवेदनशील हैं। प्राधिकारी भागीदार निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा कर सकते हैं।
 - ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत मालसूची के लिए सूचीबद्ध आंकड़े दर्शाए गए हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

51. निर्यात आंकड़ों संबंधी गोपनीयता के दावों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न कीमतों पर विभिन्न निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित आंकड़े गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग को दिए गए थे और इसलिए उनकी गोपनीयता का दावा सही था। तथापि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने भागीदार निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। चूंकि प्राधिकारी ने आवेदक के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। इसलिए गोपनीयता के ऐसे दावे से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पक्षपात नहीं हुआ है।
52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षा के अनुसार क्षति अवधि में औसत मालसूची के सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं।

ड. विविध अनुरोध

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

53. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
 - i. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क की गणना की पद्धति का प्रकटन नहीं किया गया है।
 - ii. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने में प्राधिकारी पूर्वापेक्षा की पूर्ति करने में विफल रहे हैं जो जांच अवधि के दौरान पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण की है और आगे यह निर्धारण करना है कि क्षति अवधि के बाद जांच की प्रक्रिया में क्षति हुई है।
 - iii. प्राधिकारी प्रारंभिक निर्धारण के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं जो नियम 12 का घोर उल्लंघन है।
 - iv. प्रारंभिक निर्धारण जांच शुरुआत के 10 महीने बाद देरी का कोई कारण बताए बिना जारी किया गया है। अतः प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिनियम की धारा 9क में यथापरिकल्पित शीघ्रता से जारी किया नहीं माना जा सकता है।
 - v. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले सुनवाई करने में विफलता निर्धारित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

54. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी पर प्रारंभिक जांच परिणाम के स्तर पर पाटन मार्जिन की गणना बताने का कोई दायित्व नहीं है। चाहे क्षतिरहित कीमत की गणना किस स्तर पर शेयर न की गई हो।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में भारी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को सिद्ध किया है।
- iii. पाटनरोधी शुल्क लगाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग को संबंध देश से आयातों के कारण भारी क्षति हो रही है।
- iv. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने में देरी निर्यातकों द्वारा दिए गए अनेक समय विस्तार की वजह से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समय प्रतिबंधित टिप्पणियों के कारण हुई है।
- v. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले मौखिक सुनवाई करने का कोई अधिदेश नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और भागीदार निर्यातकों द्वारा निर्धारित निवल निर्यात कीमत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद निर्यातकों के साथ शेयर किए गए थे।
56. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी ने पाटन, क्षति की मात्रा और कारणात्मक संबंध की जांच की हैं। इन खातों की विस्तृत जांच प्रारंभिक जांच परिणाम में की गई है। प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता होने के कारण इतनी क्षति क्षति से संयंत्र अव्यवहार्य हो सकता है। चूंकि भारत में संबद्ध वस्तु का केवल एक उत्पादक है। इसलिए यह अनिवार्य है कि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन को भारत में बनाए रखा जाए और ऐसे उत्पादकों को समान अवसर दिए जाएं और पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से उनका उपचार किया जाए। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने आवेदन में ही अंतरिम शुल्क के लिए अनुरोध किया था और उसके लिए कारण बताए थे। प्रारंभिक जांच परिणाम की विषय वस्तु स्वयं अंतरिम उपायों के लिए पर्याप्त औचित्य को सिद्ध करती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी।
57. प्रारंभिक जांच परिणाम देरी से जारी करने संबंधी अनुरोध के बारे में और प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले सुनवाई नहीं करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले सुनवाई करने के लिए कानून में कोई अधिदेश नहीं है और न ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के लिए कोई समय सीमा है। प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष से पहले विस्तृत विश्लेषण और जांच की है कि वर्तमान जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने की आवश्यकता है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

58. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. पाटन मार्जिन निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने रूसी उत्पादकों के दावे पर व्यापार के स्तर के लिए कोई समायोजन नहीं किया है।
 - ii. प्राधिकारी को घरेलू तथा निर्यात दोनों विक्रियों के लिए मध्यवर्तियों हेतु रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत और सामान्य कीमत पर विचार करना चाहिए।
 - iii. पीजेएससी सिबुर होल्लिंग, पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़तेखिम और सिबुर इंटरनेशनल ने कीमत वचनबद्धता का प्रस्ताव किया है।
 - iv. रूसी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत वचनबद्धता को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि रूसी उत्पादक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, सहयोगी के रूप में उत्पादक के दर्जे संबंधी निर्णय

स्वीकृति या अस्वीकृति से पहले दिया जाना चाहिए। कीमत वचनबद्धता प्रारंभिक जांच परिणाम पर आधारित नहीं हो सकती है, नियम 15 के अंतर्गत वचनबद्धता नहीं दी गई है और उसकी निगरानी करना अव्यावहारिक है तथा इससे प्रवचना होगी।

- v. रूस से सभी सौदों और एनकेएनएच तथा निर्यातकों के बीच करारों की पत्तन पर लदाई का सत्यापन करना चाहिए। चूंकि केवल ट्रिगॉन ने भागीदारी की है और केवल 15 प्रतिशत आयात निर्यातित हुआ है इसलिए एनकेएनएच को सहयोगी नहीं माना जाना चाहिए।
- vi ईएमएपीपीएल और केम्या ईएमएपीपीएल और केम्या के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कंपनीवार लाभ जोड़ना कानून और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध है। ईएमएपीपीएल और केम्या विचाराधीन उत्पाद से इतर उत्पादों में भी शामिल है।

च.2. घरेलू उद्योग के विचार

59. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत व्यापार के स्तर संबंधी अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किए गए हैं। घरेलू उद्योग को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ऐसे समायोजन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।
- ii. प्राधिकारी को अपनी पूर्ववर्ती प्रक्रिया के आधार पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य पर विचार करना चाहिए।
- iii. भागीदार उत्पादकों द्वारा वास्तव में अर्जित लाभ की मार्जिन पर विचार करना चाहिए।
- iv. निर्यातक की कीमत वचनबद्धता को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद स्वीकार किया जाए कि विभिन्न कच्चे स्तरों पर गलत कीमत निर्धारण नहीं होना चाहिए इसके लिए किसी समायोजक (उदाहरण के लिए स्थिर संख्या x (95 डॉलर – कूड) अपेक्षित है या अन्य कोई उपयुक्त तरीका) अपेक्षित होगा जिसे प्रस्तावित कीमत फारमूले में जोड़ा जाना है जिसमें कूड मल्टीप्लायर शामिल है। निर्यातक के देश में और भारत में ऊर्जा कीमत में अंतर के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

60. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं

होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

61. चूंकि एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब की घरेलू बिक्रियां नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभों के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वारा उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर कंपनी के लाभ पर समग्र रूप से विचार किया गया है।
62. इन निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा लागू लाभ मार्जिन का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को रचनात्मक सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी की प्रक्रिया के संगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस दावे की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 4 में निम्नानुसार उल्लेख है:

“4. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) में यथा उल्लिखित लाभ की राशि निर्यातक की समान वस्तु या जांच के अधीन उत्पादक की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उत्पादन और बिक्री के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी। जब ऐसी राशि इस आधार पर निर्धारित नहीं हो सकती हो तो राशि को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाए:

- (i) *वस्तु की समान सामान्य श्रेणी के उद्गम के देश के घरेलू बाजार में उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन उत्पादक या निर्यातक द्वारा वहन की गई या प्राप्त वास्तविक राशि।*
- (ii) *उद्गम के देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन अन्य निर्यातकों या उत्पादकों द्वारा वहन की गई या प्राप्त वास्तविक राशियों का भारित औसत; या*
- (iii) ***कोई अन्य तर्कसंगत पद्धति,** बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि उद्गम के देश के घरेलू बाजार में समान सामान्य श्रेणी के उत्पादों की बिक्री पर निर्यातकों या उत्पादकों द्वारा सामान्यतः प्राप्त लाभ से अधिक नहीं होगी।*

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रावधानों में कोई क्रम नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त निर्यातकों ने वस्तु की समान सामान्य श्रेणी के उद्गम के देश के घरेलू बाजार में उत्पादन के बिक्री के संबंध में खर्च या प्राप्त की गई वास्तविक राशि के आधार पर या अन्य निर्यातकों द्वारा खर्च या प्राप्त की गई वास्तविक राशि के भारित औसत के आधार पर लाभ का दावा भी नहीं किया है या उद्गम के देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन उत्पादकों के अनुसार दावा नहीं किया है।
64. तथापि, इस मामले के वास्तविक मैट्रिक्स और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लाभ के निर्धारण के संबंध में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में से किसी के बारे में कोई सूचना रिकार्ड में नहीं है और निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने व्यापारी गतिविधियों पर भी लाभ को शामिल किया है। प्राधिकारी वर्तमान मामले के बिल्कुल विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दावे के अनुसार तर्कसंगत लाभ को अपनाना उचित समझते हैं। तदनुसार, दोनों सहयोगी निर्यातकों – सिंगापुर और सऊदी से निर्यातक के लिए तर्कसंगत लाभ प्रतिशत पर प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।
65. प्राधिकारी ने तीन उत्पादकों अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (“केमिया”), एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को स्वीकार नहीं किया है। उत्पादन लागत को अब प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किया गया है।
66. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी (“केमिया”), एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी के लिए संशोधित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।
67. सूचना के सत्यापन के प्रक्रिया के दौरान रूस के उत्पादक / निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से यह पाया गया कि उत्पादक ने एक से अधिक निर्यातक को सामग्री दी है। उत्पादक से निर्यातक को आपूर्ति की गई मात्रा में से

कुछ मात्रा भारत को निर्यातित की गई है। तथापि, यह पाया गया है कि ये वस्तुएं अंततः दो निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की गई हैं, इनमें से एक ने उत्तर नहीं दिया है। अतः उत्तर की विस्तार से जांच की गई थी।

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनकेएनएच ने सिबुर होल्लिंग्स और सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को भारत को निर्यात के लिए *** एमटी सामग्री की बिक्री की सूचना दी है। इन दोनों कंपनियों ने वर्तमान जांच में उत्तर दायर किया है। सिबुर होल्लिंग्स ने भारत को निर्यात के लिए सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** एमटी की बिक्री की अतिरिक्त सूचना दी है। सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ने ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ*** एमटी और ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (प्राइवेट) लिमिटेड के *** एमटी की बिक्री की। भारत को निर्यात के लिए सूचना दी है। यद्यपि ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ ने उत्तर प्रस्तुत किया है, परंतु ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (प्राइवेट) लिमिटेड ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः यह देखा गया है कि उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर लगभग *** एमटी के लिए अधूरा है और कुल निर्यातों के *** प्रतिशत के लिए उत्तर नहीं दिया गया है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए बिल्कुल अधूरा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यात के संबंध में पूरी सूचना रिकार्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, वहां प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए बिल्कुल सही निर्यात कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। प्राधिकारी की यह स्थापित प्रक्रिया रही है कि प्राधिकारी केवल तब निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं जब संबंधित उत्पादक और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देते हैं। चूंकि मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है। इसलिए प्राधिकारी उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने एनकेएनएच के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। यह भी नोट किया जाए कि रूस से केवल एक ज्ञात उत्पादक हैं और इसलिए भारत में संपूर्ण आयात एनकेएनएच द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात हैं। तदनुसार, पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी के बाद एनकेएनएच ने प्राधिकारी को एक कीमत वचनबद्धता दी है और एनकेएनएच के संबंध में जांच को बंद करने का अनुरोध किया है। एनकेएनएच ने प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में उक्त वचनबद्धता दी है और वचनबद्धता को पूरा करने के लिए समय-समय पर संगत सूचना देने पर सहमत हुआ है और संगत आंकड़े सत्यापित करने की अनुमति दी है। निर्यातक ने यह भी स्वीकार किया है कि कीमत वचनबद्धता के संभावित उल्लंघन के मामले में प्राधिकारी अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। निर्यातक ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस वचनबद्धता का अगोपनीय अंश (एनसीवी) दिया है। घरेलू उद्योग ने कीमत वचनबद्धता की स्वीकृति के लिए सशर्त सहमति दी है जबकि एक्सोनमोबिल ने इस कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करने का विरोध किया है। घरेलू उद्योग ने टिप्पणी की है कि वचनबद्धता को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह कच्ची सामग्री और ऊर्जा कीमतों के लिए समुचित रूप से सूचीबद्ध न हो, एक्सोनमोबिल ने इस आधार पर वचनबद्धता पर आपत्ति की है कि कीमत वचनबद्धता का प्रस्ताव अत्यधिक गोपनीय है जो गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की तर्कसंगत समझ नहीं देता है। प्रश्नावली का उत्तर स्वयं में बिल्कुल अधूरा है। प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्ण और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त है। संबंधित निर्यातक ने कीमत वचनबद्धता नहीं दी है और उत्पादक की वचनबद्धता नियम 15 के अंतर्गत नहीं दी गई है, यह वचनबद्धता प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित पाटन मार्जिन पर आधारित नहीं हो सकती है। रूसी उत्पादक / निर्यातक द्वारा दी गई पद्धति गलत है। कीमत वचनबद्धता निगरानी के लिए अव्यवहार्य है और इसलिए अस्वीकृत की जानी चाहिए, क्योंकि इससे प्रवचना होगी।
70. प्राधिकारी ने एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत कीमत वचनबद्धता और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि चूंकि कंपनी को अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया गया है इसलिए कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, एनकेएनएच ने अपनी वचनबद्धता के सार्वजनिक अंश में पर्याप्त प्रकटन नहीं है। इस प्रकार अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने हितों का बचाव नहीं कर सकते हैं। यह भी नोट किया गया है कि ऊर्जा लागत का प्रमुख तत्व है जैसा घरेलू उद्योग ने बताया है और इसलिए वचनबद्धता को तब तक स्वीकार करना उचित नहीं होगा जब तक वह ऊर्जा लागत में सूचीबद्ध न हो। इसके मद्देनजर प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं।

71. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केमिया")	***	***	***	***	30-40%
कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	70-80%
कोई अन्य	***	***	***	***	85-95%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	35-45%
कोई अन्य	***	***	***	***	40-50%
रूस					
कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%
चीन					
कोई	***	***	***	***	10-20%

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

72. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद उत्पादकों / निर्यातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि नहीं हुई है और आयात घरेलू उत्पाद की कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें चीन – जीओईएस में यथा निर्णित कारणात्मक विश्लेषण के लिए पर्याप्त आधार होगा। संबद्ध आयातों की मात्रा या कीमत आवेदक को प्रभावित नहीं करती है। क्षति विश्लेषण को कोई आधार नहीं है क्योंकि आयातों में गिरावट आई है और वे आवेदक की बिक्री कीमत से उच्चतर कीमत पर हुए हैं।
- वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी को जोड़ा नहीं जा सकता है। चूंकि उत्पादक एक स्थापित उद्योग है इसलिए उसे आयातों का स्थान लेने वाला नया उद्योग नहीं माना जा सकता है।

- iii. रूस से आयात क्षति विश्लेषण के लिए गैर संचयित होने चाहिए, क्योंकि रूस से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अलग हैं क्योंकि आवेदक के प्रमुख रूसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है, रूसी निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत पर गड़बड़ी है क्योंकि वह एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। रूस की आयात कीमत संबद्ध देशों में से सबसे कम है।
- iv. प्रयोक्ताओं ने उत्पाद की घरेलू खरीद बढ़ा दी है और आयात कुल खरीद का केवल 20-30 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- v. यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग एक नया प्रवेशक है और उसे कम कीमत पर आयातों की मात्रा से अवश्य प्रतिस्पर्धा करनी होगी, गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग की मात्रा बढ़ी है।
- vi. आयातों की मात्रा अधिक हो सकती है क्योंकि विशिष्ट ग्रेड घरेलू उद्योग के पास नहीं है। आयात मात्राओं में मांग में वृद्धि की तुलना में गिरावट आई है और उत्पादन में मात्रात्मक प्रभाव की कमी है।
- vii. गैर पाटित और इसलिए गैर क्षतिकारी आयात को क्षति विश्लेषण से बाहर रखना चाहिए।
- viii. आवेदक को रूसी कीमतों का मुकाबला करना पड़ा था क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से स्थापनीय था जिसे समान प्रौद्योगिकी की प्रयोग से उत्पादित और समान उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।
- ix. चूंकि कीमत कटौती ऋणात्मक है इसलिए आवेदक आयातों के स्तर पर अपनी कीमतें बढ़ा सकता था और घाटा कम कर सकता था। ऐसे सौदे जिनमें कीमत कटौती ऋणात्मक है, नकारे नहीं जा सकते हैं क्योंकि कीमत कटौती का समग्र आधार पर आकलन किया जाना चाहिए।
- x. यह दावा कि कटौती ऋणात्मक है और असंबद्ध कंपनियों से उच्चतर बिल के सौदों के कारण है, गलत है। कटौती ऋणात्मक है क्योंकि आवेदक के पास आयातों में कटौती करने और बाजार हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें थीं।
- xi. यह दावा कि समान निर्यातक ने विभिन्न कीमतों पर एक ही सामग्री की आपूर्ति की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आंकड़े नहीं दिए गए हैं। कीमत में अंतर आर्डर / पोत लदान के समय कच्ची सामग्री की बाजार कीमत के कारण हो सकते हैं। बाजार की गतिशीलता और कच्चे तेल के लिए मांग – आपूर्ति की स्थिति के कारण हो सकते हैं जो रूस – यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित हुई थीं या उस देश / संयंत्र के कारण जहां से उत्पाद का नौवहन हुआ है।
- xii. वर्ष 2019-20 को वास्तविक क्षति का वर्तमान मामला माना जाना चाहिए। आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 2021 में इष्टतम परीक्षण प्रचालन प्राप्त किया और केवल कोविड-19 के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी हुई।
- xiii. यद्यपि प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि आधार वर्ष से तुलना अनुचित है। तथापि, उन्होंने घाटे, बंदी, विनिर्देशन से अलग उत्पादन की मात्रा, बाजार हिस्सा और आधार वर्ष से समतुल्य का बिंदु जैसे मापदंडों की जांच की है।
- xiv. कोई कीमत ह्रास / न्यूनीकरण नहीं हुआ है। आधार वर्ष में असामान्य लागत और कीमत का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यदि गैर प्राइम सामग्री का उत्पादन उच्च होता तो लागत उच्च नहीं हो सकती है। आधार वर्ष की तुलना उचित है क्योंकि 2020-21 कोविड-19 के कारण प्रभावित था और इस अवधि के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।
- xv. यदि 2020-21 पर भी विचार किया जाए तो कोई कीमत ह्रास / न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि पहुंच कीमत में बिक्री कीमत की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है और 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

- xvi. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की तुलना कच्ची सामग्री की लागत से करनी चाहिए जो तिमाहीवार आधार पर कुल लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा है।
- xvii. मांग का आकलन आबद्ध खपत को अलग से शामिल करके और हटाकर करना चाहिए जो एक सामान्य प्रक्रिया है। केवल आईआईआर की वाणिज्यिक मात्रा में बेची गई मात्रा जो बाजार में बेची गई थी और आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, को क्षति विश्लेषण के लिए ध्यान में देना चाहिए।
- xviii. आरएसईपीएल ने 75,900 एमटी घरेलू बिक्री का उत्पादन किया है और एचआईआईआर के लिए 22,260 एमटी का उत्पादन किया है। आबद्ध खपत की लागत / व्यय को क्षति विश्लेषण से हटाया जाना चाहिए।
- xix. उपयोग कम हो सकता है, क्योंकि एक नए प्रवेशकर्ता के रूप में घरेलू उद्योग को लंबी अनुमोदन प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।
- xx. विनिर्देशन से अलग उत्पाद की आपूर्ति से बिक्री में कटौती हुई है क्योंकि गैर विनिर्देशन उत्पादों की मांग का अभाव है और उन पर कम लाभ मिलता है।
- xxi. आवेदक के सामने हुए शटडाउटन आईआईआर और एचआईआईआर के उत्पादन में समेकन की वजह से हुए हैं। संभावित तकनीकी मुद्दे, उत्पादन अनुमोदन, मांग – आपूर्ति परिदृश्य और 2022-23 में कोविड के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- xxii. घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पादन मांग से अधिक है और इसलिए यह स्वकारित क्षति है।
- xxiii. आर्थिक मापदंडों की तुलना पूर्ववर्ती वर्ष के प्रायोगिक प्रचालन से करना गुमराह करने वाला है क्योंकि इससे कंपनी के मानक और निरंतर वाणिज्यिक प्रचालन का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रायोगिक और वास्तविक वाणिज्यिक में विसंगति, बाजार आयामों, बाधित उत्पादन पैमानों और ट्रायल रन के दौरान नियंत्रित दशाओं के कारण सभी परिस्थितियों में होगी। घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत उसने 1 अप्रैल 2022 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया है।
- xxiv. 2019-20 में बिक्री लागत सामान्य थी परंतु महामारी के कारण उसके बाद कम हो गई। बिक्री लागत जांच अवधि के दौरान पुनः सामान्य हो गई जो कच्चे तेल की कीमत के अनुसार था। लागत पर पाटन से प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xxv. परियोजना रिपोर्ट से तुलना गलत है क्योंकि इसे केवल वास्तविक मंदी के मामलों में किया गया है और परियोजना की योजना 2010 में बनी थी और वैश्विक बाजारों में तब से परिवर्तन हुआ है।
- xxvi. घरेलू उद्योग के अनुमान और कीमत प्रत्याशा 2010-11 से परियोजना रिपोर्ट पर आधारित थी जिसका महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल परिवर्तनों विशेष रूप से अप्रत्याशित कोविड महामारी के आलोक में पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- xxvii. आवेदक ने 2013 से आईआईआर की कीमत के स्रोत को शेयर नहीं किया है। कीमतें सिद्ध करती हैं कि परियोजना रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नई वैश्विक क्षमताओं की शुरुआत के कारण 2011 में परिदृश्य बदल गया था।
- xxviii. वैश्विक और भारतीय दोनों कीमतों ने 2010 और 2022 के बीच कीमतों के समान रुझान का पालन किया इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के उत्पादन शुरू करने के कारण निर्यातकों ने भारत में पाटन शुरू कर दिया।
- xxix. यद्यपि आवेदक ने बताया है कि उसे शेयरधारकों द्वारा बताई गई चिंताओं के कारण संबद्ध आयातों की वजह से परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने पर बाध्य होना पड़ा था। फिर भी प्राधिकारी को शेयरधारकों का सत्यापन करना चाहिए और उनके बीच पत्राचार की जांच करनी चाहिए।

- xxx. आवेदक की लाभपद्धता में सुधार हुआ है। प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि मूल्यहास और ब्याज लागत आरंभिक चरण में अधिक होती है जिससे विशेष रूप से लगभग 50,000 मिलियन के निवेश के साथ घाटा होता है।
- xxxi. निर्यात में आवेदक के घाटे गैर प्राइम ग्रेड के निर्यात के कारण हुए थे।
- xxxii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि आवेदक का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है
- xxxiii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि आवेदक का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और यह भारत और रूस के दो सबसे बड़े शेयरधारक समूहों का संयुक्त उद्यम है।
- xxxiv. यह संभव है कि घरेलू उद्योग छूट पर या निःशुल्क अपने प्रायोगिक उत्पादन की आपूर्ति कर रहा था जिससे घाटा हुआ।
- xxxv. इस अवधि के दौरान घाटा इसमें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा था, अनुमोदित घरेलू आपूर्ति स्रोत की उपलब्धता के कारण हुआ है।
- xxxvi. चूंकि मार्च 2022 से पूंजीगत ब्याज को चुकाना शुरू हुआ है इसलिए यह घाटे का एक कारण होता है।
- xxxvii. स्टार्ट-अप लागतें स्टार्ट-अप खर्च तक सीमित नहीं होती हैं परंतु इसमें उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत शामिल होती है जिससे घरेलू उद्योग ने चुकाया होगा जो विचाराधीन उत्पाद के स्थापित निर्यातकों के मामले में नहीं हो सकता है।
- xxxviii. कच्ची सामग्रियों, सुविधाओं और उत्पादन क्षमताओं को ईष्टतम बनाना घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान संपूर्ण क्षति अवधि में तिमाही वार आधार पर किया जाना चाहिए।
- xxxix. आवद्ध खपत पर आवेदक को क्षति एचआईआईआर के गैर अनुमोदन के कारण हुई है। ऐसी क्षति को अलग रखना चाहिए और गैर आरोपण कारकों में शामिल करना चाहिए।
- xl. क्षति सीमित उत्पाद रेंज और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता, वैश्विक अत्यधिक क्षमता के कारण हुई है जिसमें वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है, निरंतर उत्पाद रूकावटें और कोविड की वजह से मांग में कमी भी इसका कारण है।
- xli. घरेलू उद्योग को क्षति एयर रेटिंग में बताए गए अनुसार कोविड के कारण आईआईआर संयंत्र के बंद होने की वजह से हुई है और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना की वजह से हुई थी।
- xlii. प्राधिकारी को अलाभकारी निर्यातों तथा घरेलू उद्योग के वित्तीय परिणामों पर कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।
- xliii. स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण उच्च स्थिर लागतों को 22 प्रतिशत की क्षतिरहित कीमत आय के निर्धारण के लिए मानकीकृत करना चाहिए जो 3400 – 3500 डॉलर प्रति एमटी की क्षतिरहित कीमत दर्शाएगा जो किसी बाजार में ऐसी कीमत नहीं है और प्राधिकारी को भागीदारी उत्पादकों द्वारा अर्जित वास्तविक आय का सत्यापन करना चाहिए।
- xliv. क्षतिरहित कीमत की गणना में स्टार्ट-अप लागतों और अन्य लागतों से संबंधित आंतरिक अक्षमताओं के लिए समायोजन करना चाहिए।
- xlv. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग ने ऐसी उच्च आय को सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। विशेष रूप से जबकि उद्योग ने इन वर्षों के दौरान लगभग नगण्य आय दर्ज की है। जबकि वैश्विक रूप से इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम

निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने माना है कि आय उद्योग विशिष्ट होनी चाहिए और ऐतिहासिक आय के क्रम में होना चाहिए।

- xlvi. यद्यपि प्राधिकारी ने बताया है कि घरेलू उद्योग 43 महीनों से प्रचालन में रहने के बावजूद लागत वसूलने में भी सक्षम नहीं रहा है। तथापि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक प्रचालन में केवल 13 महीनों से है।
- xlvii. आवेदक आरआईएल से अंतरण कीमत पर एचपी1बी खरीदता है। एचपी1बी की उत्पादन में मेथेनाल की रिकवरी होती है जिसे अन्य उत्पादों के लिए आरआईएल द्वारा आबद्ध रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यदि रिकवरी में अंतरण कीमत शामिल नहीं होती है तो आरआईएल बड़ी हुई कीमत पर आवेदक को बिक्री कर रहा है जिसके कारण आवेदक को घाटे हो सकते हैं।

छ.2. घरेलू उद्योग के विचार

73. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि रूस के आयात अन्य आयातों और भारतीय उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिससे आयातों का गैर संचयन हो सकता है। एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस की स्थिति केवल सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संगत है और न कि संचयी आकलन के लिए।
- ii. यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में आंतरिक नीतियों, लेखा परीक्षकों के विचार और राय, बाजार की स्थिति जैसे कारकों की वजह से समय लग सकता है परंतु वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन केवल संयंत्र की स्थिरता पर निर्भर करता है।
- iii. पाटन के परिणामस्वरूप बाजार में उपलब्ध कीमतों के कारण घरेलू उद्योग का संयंत्र अव्यवहार्य था और उसे बंद करना पड़ा।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्र के स्वतंत्र प्रचालन है और एचआईआईआर के स्वतंत्र प्रचालन के लिए आईआईआर संयंत्र को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
- v. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समान निर्यातक को एक ही समय एक ही वस्तु के लिए अलग-अलग कीमत पर निर्यात करने की प्रक्रिया को उचित नहीं बताया है। ऐसी कीमतों में अंतर के कारण घरेलू उद्योग को आयातों की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी।
- vi. कीमत कटौती को बिक्री पश्चात बीजक छूटों के समायोजन के बाद विश्लेषित किया जाना चाहिए। एक्सोन मोबिल ने बताया है कि उसने उपभोक्ताओं को ऐसी छूटें ऑफर की हैं।
- vii. संबद्ध देशों में संबंधित खरीद कंपनियां कम कीमतों पर खरीद रही हैं और भारत में कम कीमत पर संबंधित आयातकों को अंतरित कर रही हैं।
- viii. केवल सौदा कटौती में घरेलू उद्योग की कीमतों पर विचार किया जाए। ऐसा करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।
- ix. संबंधित पक्षकार के व्यय, लाभ और बीजक पश्चात छूटों को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण को निर्धारित किया जा सके।
- x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत घरेलू उद्योग को बाजार में पांव जमाने के लिए न्यूनतम आयात कीमतों का मुकाबला करना पड़ा था।

- xi. कीमत ह्रास तब भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब समायोजनों पर विचार न किया जाए क्योंकि 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री कीमत में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तिमाही वार आधार पर लागत की तुलना का कोई कारण नहीं बताया है।
- xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोधाभासी दावे किए हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि स्टार्ट-अप लागतों को समायोजित किया जाना चाहिए और 2019-20 की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
- xiv. वर्ष 2019-20 में लागत असामान्य थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में उत्पादन शुरू किया और 2019-20 में लागत स्टार्ट-अप प्रचालनों से प्रभावित हुई थी और बिक्री कीमत गैर विनिर्देशन सामग्री की बिक्री से प्रभावित हुई थी।
- xv. यदि 2019-20 पर विचार किया जाए तो गैर विनिर्देशन सामग्री के उच्च उत्पादन के संबंध में समायोजन करने की आवश्यकता है।
- xvi. यद्यपि घरेलू उद्योग के प्रचालन के *** महीनों के भीतर *** प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल करने का अनुमान है। तथापि, उसने घाटे में बिक्री के बावजूद केवल *** प्रतिशत हासिल किया है।
- xvii. घरेलू बिक्री के कारण क्षमता उपयोग और भी कम है।
- xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू बिक्री के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में मांग से कम है।
- xix. घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने में सक्षम रहा है क्योंकि उसने घाटे में बिक्री की है।
- xx. भारत में एक मात्र उत्पादक भी भारत में पर्याप्त मांग होने पर भी अपनी लागत वसूल करने में असमर्थ है।
- xxi. घरेलू उद्योग के घाटों में 2020-21 से वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विपरीत नियम लाभी की जांच का उल्लेख करते हैं और सकल लाभ / घाट पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- xxiii. ईबीआईडीटीए भी जिसमें उच्च मूल्यह्रास पर विचार नहीं किया जाता, ऋणात्मक है। चूंकि घरेलू उद्योग सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास दर्शाता है इसलिए मूल्यह्रास की लागत पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है।
- xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत घरेलू उद्योग को क्षति नए उद्योग होने के कारण नहीं हो सकती है। कंपनी ने भारत और निर्यात बाजारों में *** एमटी संबद्ध वस्तु की संचयी बिक्री की है।
- xxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है क्योंकि नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की कमी आई है।
- xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार के माहौल में परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिलाया है जिससे परियोजना रिपोर्ट गैर तुलनीय हो जाएगी। 2011 से लागत में वृद्धि होने के बाद भी यह उम्मीद थी कि कीमत में भी वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग ने अनेक बार अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया है।
- xxvii. घरेलू उद्योग को क्षति लंबित उपभोक्ताओं अनुमोदनों के कारण नहीं हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अनेक उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में बिक्री की है।
- xxviii. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य या 2022-23 में कोविड के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। भारत में मांग में कोई कमी नहीं थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि मांग में वृद्धि हुई है।

- xxix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत भारत में कोई अधिक क्षमता नहीं है और घरेलू उद्योग एक संपूर्ण उत्पाद रेंज का उत्पादन कर रहा है।
- xxx. घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों के संबंध में अलग से सूचना दी है इसलिए निर्यात बाजार में घाटे असंगत हैं।
- xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आईआईआर की कीमतें पहले काफी अधिक थीं। कीमतों में 4000 यूएसडी से 2000 यूएसडी की गिरावट आई है और यह लागत में गिरावट से न्यायोचित नहीं होती है। इस प्रकार आईआईआर के तर्कसंगत रूप से लाभप्रद उत्पाद रहा है।
- xxxii. हितबद्ध पक्षकारों ने 22 प्रतिशत से कम की आय पर विचार करने को उचित ठहराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- xxxiii. आवेदक को पाटन के अभाव में प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत समझे गए अनुसार निवेश पर आय प्राप्त होती। अनुमानित वापसी भुगतान अवधि *** वर्ष थी।
- xxxiv. उत्पाद की उच्च लाभप्रदता भी इस तथ्य से स्पष्ट है कि अन्य उत्पादकों में भारी क्षमताओं को जोड़ा है।
- xxxv. उद्योग को वर्तमान में कम आय होना एक्सोन की अत्यधिक क्षमताओं के कारण है और उत्पादक को उच्चतर क्षमता उपयोग पर संयंत्र को चलाने की आवश्यकता है।
- xxxvi. चूंकि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का है इसलिए घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु विचार करना होगा।
- xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू उद्योग को भी उत्पादन के ईष्टतम स्तर पर क्षति हुई होती।
- xxxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू उद्योग वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से मजबूत स्तर पर उत्पादन कर रहा था और आयातों के कारण उस पर थोड़ा दबाव पड़ा था। कीमतों में कटौती करने का कोई अन्य कारण नहीं था।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

74. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति – तर्कों की जांच की है और प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद जांच की है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पहले जांच की थी। वर्तमान प्रकटन विवरण में उस सीमा तक इसकी जांच नहीं की गई है, जहां तक प्रारंभिक जांच परिणाम में इसकी पहले ही जांच की गई है।
75. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ नहीं हो सकती है, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:
- क. कानून के अंतर्गत किसी मामले विशेष में क्षति के तीनों रूपों की एक साथ जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में यह मुद्दा कि क्या एक ही समय में क्षति के विभिन्न रूप मौजूद हो सकते हैं, पहले से भलिभांति निर्णित है। प्राधिकारी ने पिछली अनेक जांचों में और भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के संदर्भ में वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की है (घरेलू उद्योग का उल्लेख पीएचपीजी बेस, ड्रेन साल्ट आदि से संबंधित जांच में किया गया है)। इसके अलावा, प्राधिकारी ने एक ही जांच में वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग के विभिन्न घटकों के लिए घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की जांच की है (घरेलू उद्योग का उल्लेख एसबीआर से संबंधित जांच में किया गया है)। किसी भी तरह कानून के सरल पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि किसी एक समय पर क्षति का एक प्रकार मौजूद रह सकता है और न ही ऐसी किसी

व्यवस्था पर विशेष रूप से विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर विचार करना उचित होगा। जबकि वे अपने आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक बाधा के मामलों में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच में उस सीमा तक उसकी मौजूदगी की जांच करने की स्थापित प्रक्रिया रही है जिसमें ऐसे विभिन्न मापदंडों पर विचार होता है जिन्हें वास्तविक क्षति के मामले में रखा जाता है। इस प्रकार यदि वास्तविक क्षति की संगत मापदंडों जांच वास्तविक बाधा के मामलों में की जा सकती है तो यह दलील नहीं दी जा सकती कि वास्तविक बाधा से संगत मापदंड वास्तविक क्षति के मामलों में पूरी तरह असंगत हैं। प्राधिकारी वास्तविक बाधा के मामलों में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच करते हैं और उसकी तुलना अनुमान से करते हैं ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या पीओआई में घरेलू उद्योग के निष्पादन को क्षतिकारी माना जा सकता है। इसी प्रकार से नए उद्योग के निष्पादन पर विचार करना उचित होगा और अनुमानों के साथ उनकी तुलना करना सही होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पहले से निर्धारित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षतिकारी था।

ग. वर्तमान मामला देश में एक नए उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति का है। घरेलू उद्योग स्वीकृत रूप से घरेलू बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता है और उसने सितंबर, 2019 में उत्पादन तथा मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यद्यपि आवेदक 2020-21 से वाणिज्यिक मात्रा का उत्पादन और बिक्री कर रहा था फिर भी उसने केवल मार्च 2022 में ही वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। इस प्रकार यद्यपि प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया है। तथापि, यह नोट करना अनिवार्य है कि वर्तमान मामला भारत में एक नए उद्योग को वास्तविक क्षति का है, जहां घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है और 2019-20 से वाणिज्यिक मात्राओं की बिक्री कर रहा है परंतु मार्च 2022 से ही वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की है। जांच अवधि अर्थात् 2022-23 इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा के बाद उत्पादन का पहला पूरा वर्ष है। अतः वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति उस स्थिति से तुलनीय नहीं है, जहां घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि और उससे पहले भी वाणिज्यिक उत्पादन के घोषणा के बाद उत्पादन करता रहा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का विश्लेषण किया है और घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन की तुलना वास्तविक निष्पादन के साथ की है।

76. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि न केवल वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि जांच अवधि के बाद भी उसमें और वृद्धि हुई है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग पीओआई के बाद अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम था। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उसे पीओआई में वित्तीय घाटे होना जारी रहा और पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में पीओआई में कंपनी द्वारा उच्चतर मात्रा में उत्पादन के बाद भी घाटे जारी रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाद की अवधि में अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहने की स्थिति में घरेलू उद्योग को फिर भी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। यह निष्कर्ष होना चाहिए कि घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से क्षति हो रही है और न कि तकनीकी दृष्टिकोण के कारण। जहां तक घरेलू उद्योग के संयंत्र के उत्पाद का संबंध है यह पूर्णतः प्रचालन में थे और घरेलू उद्योग को कोई तकनीकी बाधा नहीं थी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। यह बात सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों की वजह से हुई थी।

77. प्रायोगिक उत्पादन, व्यय विनिर्देशन उत्पादन और स्टार्ट-अप लागतों के संबंध में पक्षकारों के बार-बार तर्कों के संबंध में आवेदक के उत्पादन कार्यकलापों की विस्तार से जांच की गई थी। निम्नलिखित नोट किया गया था:

क. आवेदक ने सितंबर, 2019 में वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन शुरू किया था और मार्च 2022 तक प्रायोगिक उत्पादन जारी रखा। आवेदक ने इस अवधि के दौरान कुल *** एमटी का उत्पादन किया। इस उत्पादन को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रायोगिक उत्पादन घोषित किया गया। उस उत्पादन में काफी गैर विनिर्देशन उत्पादन शामिल था।

ख. आवेदक ने मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। आवेदक ने जांच अवधि के अंत तक *** एमटी का उत्पादन किया। पीओआई में उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अच्छे विनिर्देशन का था।

78. नीचे दी गई तालिका संगत अवधि के दौरान बिक्रियों के विभिन्न चरण, बिक्रियों की मात्रा, गैर विनिर्देशन बिक्रियों की मात्रा, अच्छे विनिर्देशन बिक्रियों की मात्रा, गैर विनिर्देशन बिक्रियों मात्रा और मूल्य और अच्छे उत्पादन की बिक्री को दर्शाती है।

वस्तुओं की मात्रा और आवेदक द्वारा गैर विनिर्देशन बिक्रियां

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	संचयी
क	घरेलू बिक्री	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		कुल	***	***	***	***	***
		% गैर विनिर्देशन	60-70%	20-30%	10-20%	10-20%	15-25%
ख	निर्यात	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
ग	कुल	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		कुल	***	***	***	***	***
		% गैर विनिर्देशन	35-45%	10-20%	5-15%	5-15%	10-20%

79. नीचे दी गई तालिका गैर विनिर्देशन और उत्तम विनिर्देशन उत्पाद बिक्रियों की बिक्री कीमत दर्शाती है।

बाजार	प्रकार	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
घरेलू निर्यात	गैर विनिर्देशन	रु/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे विनिर्देशन	रु/एमटी	***	***	***	***
	कुल	रु/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे और गैर विनिर्देशन के बीच अंतर	रु/एमटी	***	***	***	***
	औसत कीमत और अच्छे विनिर्देशन कीमत के बीच अंतर	रु/एमटी	***	***	***	***
	गैर विनिर्देशन	रु/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे विनिर्देशन	रु/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे और गैर विनिर्देशन के बीच अंतर	रु/एमटी	***	***	***	***

80. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क. आवेदक की कुल बिक्री में विनिर्देशन से अलग बिक्री के हिस्से में भी 2029-20 के बाद तेजी से गिरावट आई। जबकि घरेलू बाजार में कुल बिक्री में विनिर्देशन से अलग बिक्री का हिस्सा आधार वर्ष में 60-70% था, उसमें भी जांच की अवधि में 10-20% तक गिरावट आई।
- ख. विनिर्देशन से अलग सामग्री और अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की कीमतों में बहुत अधिक अंतर है। यह अंतर क्षति की पूरी अवधि के दौरान है। इन दोनों के बीच कीमत में अंतर 15-30% की सीमा तक अलग अलग थी।
- ग. चूंकि घरेलू बाजार में विनिर्देशन से अलग बिक्री का हिस्सा 2019-20 में बहुत अधिक (60-70%) था, अच्छी विनिर्देशन वाली और विनिर्देशन से अलग बिक्री की भारित औसत बिक्री कीमत अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की बिक्री से काफी हद तक कमतर थी। औसत बिक्री कीमत और अच्छे विनिर्देशन वाली सामग्री की बिक्री कीमत के बीच अंतर 2019-20 में *** प्रति एमटी तक अधिक थी और उसमें जांच की अवधि में ***प्रति एमटी तक गिरावट आई।

81. चूंकि कीमत में कटौती, कीमत पर दबाव, लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल का निर्धारण औसत बिक्री कीमत पर विचार करते हुए किया जाता है, अतः यह देखा जाता है कि ये मापदंड घरेलू बाजार में विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, चूंकि इस तरह की विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्री का अनुपात 2019-20 में उच्चतर था, अतः इसमें इन मापदंडों को विरूपित किया है। उसके देखते हुए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों को बाहर रखने के बाद कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल का निर्धारण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह इस तथ्य पर विचार करते हुए अतिरिक्त रूप से उपयुक्त है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्री की है और वह घरेलू उद्योग को क्षति के कारणों में से एक है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण विनिर्देशन से अलग इन सामग्रियों की बिक्री को बाहर रखने के बाद किया जाता है, यह स्पष्ट है कि ये आंकड़े विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों से विरूपित नहीं होंगे।
82. आवेदक ने विनिर्देशन से अलग उत्पादन की कुछ मात्राओं का निर्यात किया है। हालांकि, आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान विनिर्देशन से अलग सामग्री की ***एमटी की बिक्री की है, जिसमें से केवल ***एमटी की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की गई थी। इस प्रकार, विनिर्देशन से अलग बिक्री का लगभग 90-100% घरेलू बाजार में हुई थी।
83. प्राधिकारी यह मानते हैं कि विनिर्देशन से अलग बहुत अधिक उत्पादन और नए संयंत्र से बिक्री तथा विनिर्देशन से अलग तथा अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की कीमत में बहुत अधिक अंतरों के फलस्वरूप औसत बिक्री कीमत में विरूपण आया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसे 2019-20 में स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण क्षति हुई, उत्पादन की लागत भी इस अवधि में प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की स्टार्ट-अप लागतें बहुत अधिक थीं। इन कारणों से, प्राधिकारी ने इस जांच के उद्देश्य से 2019-20 पर विचार नहीं करने तथा कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के उद्देश्य से 2020-21 से तुलना करने के लिए इसे उपयुक्त माना।
84. इन अनुरोधों के संबंध में कि जांच उत्पादन के साथ वाणिज्यिक उत्पादन की तुलना उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2019-20 से वाणिज्यिक मात्राओं में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता रहा है और इसने अपनी लेखा बुक में इसकी सूचना जांच शेष के रूप में दी है। चूंकि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 से उत्पादन शुरू किया, अतः इस संयंत्र ने आरंभ में विनिर्देशन से अलग उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया। चूंकि इस संयंत्र ने जांच उत्पादन के चरण के दौरान अर्थात् 2019-20 में विनिर्देशन से अलग उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा का उत्पादन किया और आगे चूंकि 2019-20 के दौरान बहुत अधिक बिक्री(60-70%) विनिर्देशन से अलग सामग्री की थी, कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के निर्धारण के उद्देश्य से 2019-20 को बाहर करना उपयुक्त माना गया था। इस अवधि में बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत, दोनों एक नई उत्पादन सुविधा के स्टार्ट-अप प्रचालनों से प्रभावित हुई थी।
85. इन अनुरोधों के संबंध में कि कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमताओं का ईष्टतम उपयोग क्षति के आकलन के तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत को क्षति की अवधि के

दौरान सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार कर तैयार किया गया है क्योंकि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मामला है। आवेदक द्वारा सूचित की गई खपत की भी तुलना विदेशी उत्पादकों द्वारा सूचित खपत से की गई थी और यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग के खपत कारक विदेशी उत्पादकों द्वारा सूचित किए गए खपत कारकों से अच्छी तरह से मेल खाते हैं।

86. साफ्ट फेराइट कोर्स मामले पर निर्भरता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है कि कुछ अन्य जांच, विशेषकर जब दोनों जांचों का वास्तविक मैट्रिक्स बिल्कुल अलग अलग हो तब उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए साफ्ट फेराइट मामले में, घरेलू उद्योग कई वर्षों से प्रचालन में एक स्थापित उद्योग है। वर्तमान मामले में, हालांकि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन शुरू किया और मार्च, 2022 में अर्थात् जांच की अवधि के ठीक पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। इसके अलावा, साफ्ट फेराइट मामले में, प्राधिकारी ने यह पाया कि इस उत्पाद का कुछ जियो-मैट्रीज से जिनका आयात इस देश में नहीं किया गया है और न ही उसकी आपूर्ति चीन अथवा अन्य देशों से की जा रही है या उसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन और आपूर्ति की जा रही उन जियो-मैट्रीज की संभावना अधिक है। वर्तमान मामले में, हालांकि इन विशिष्ट ग्रेडों की कोई मांग नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक प्रकार के साफ्ट फेराइट को एक विशिष्ट उपयोग/अंतिम उपयोग के लिए बनाया गया है। ट्रांसफार्मर के निर्माता अलग अलग जियो-मैट्रीज के साफ्ट फेराइट कोर्स का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में, अलग अलग ग्रेडों विशेषकर उन ग्रेडों, जिनका निर्माण ट्यूब अनुप्रयोगों के लिए किया गया है, के उपयोगों में अधिक हो सकता है। वास्तव में, इन पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उसी ग्रेड का उपयोग ट्यूब ब्लैड्स और ट्यूब का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी नोट किया जा सकता है कि साफ्ट फेराइट कोर्स से संबंधित जांच एक चालू जांच है और प्राधिकारी को अभी उक्त जांच में अंतिम निर्धारण करना है।
87. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक वाक्य “रूस से आयातों की पहुंच कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है” का संबंध है, प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 99 में टंकण संबंधी त्रुटि है। प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 99 में संदर्भ इस तथ्य का है कि रूस से पहुंच कीमत कुछ संबद्ध देशों से उच्चतर है जबकि वर्तमान जांच की अवधि में यह कुछ संबद्ध देशों से कमतर है।
88. इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी को दो पक्षकारों के बीच संबंध के कारण आरआईएल से आवेदक द्वारा आपूर्ति की जा रही कच्चे माल की जांच करनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन पक्षकारों ने जोरदार तरीके से यह तर्क दिया है कि इन दोनों साझेदारों के बीच संयुक्त उद्यम करार और उनके द्वारा हस्ताक्षरित संघ के अंतर-नियम आवेदक और आरआईएल दोनों पर पर्याप्त दायित्व डालते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार का लेन-देन आर्म्स लेंथ पर हैं। इसके अलावा, आवेदक और आरआईएल, दोनों संबंधित पक्षकार के लेन-देन से संबंधित प्रावधानों सहित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं जिनमें इन पक्षकारों को संबंधित पक्षकारों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन घोषित करना तथा यह बताना कि ये लेन-देन आर्म्स लेंथ पर हैं, अपेक्षित है।

छ. 3.1 क्षति का संचयी आकलन


89. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.3 और इस नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि उस स्थिति में जहां एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात की एक ही समय में पाटनरोधी जांच हो रही है, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करता हो कि:

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, ये आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक हो; और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त हो।

90. वर्तमान मामले में, संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। जहां तक संचयी आकलन की उपयुक्तता का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एक पीसीएन (एचएम) का आयात भारत में किया गया है और उसी ग्रेड की बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा मर्चेट बाजार में की गई है। जबकि घरेलू उद्योग ने भी एक अन्य पीसीएन (एलएम) का उत्पादन किया है, उसका उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए किया गया है। केवल सीमित पीसीएन की आपूर्ति उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग में की जा रही है। किसी भी पक्षकार ने एक विशिष्ट ग्रेड की मौजूदगी को नहीं दर्शाया है जिसके लिए बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ता समान वस्तु नहीं दे रहे हैं। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने दावा किया कि ट्यूब खपत का 94% है जबकि अन्य खंड खपत का लगभग 6% है। यह स्पष्ट है कि इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री सीमित प्रकारों के रूप में किया जाता है और बाजार में सभी आपूर्तिकर्ता इन सीमित प्रकारों की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, खंड और खंड के भीतर दोनों अर्थों में उपभोक्ताओं की सीमित संख्या है। यह सभी उपभोक्ता विभिन्न बाजारों से और अलग अलग समय पर इन उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। यह देखा जाता है कि अलग-अलग आपूर्तिकर्ता इसी बाजार में एक दूसरे से परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
91. यह भी देखा जाता है कि वर्तमान जांच में ऐसा कोई देश नहीं था जिसकी आयात कीमत सभी चार वर्षों में कम से कम थी बल्कि अलग अलग देशों की अलग-अलग वर्षों में कीमतें कम से कम थी। इस प्रकार, ऐसा कोई देश नहीं है जिनकी कीमतें निरंतर रूप से कमतर अथवा उच्चतर थी। वास्तव में, रूस के बाजार चार वर्षों में से तीन वर्षों में शेष संबद्ध देशों की तुलना में कमतर थी। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि अलग अलग देशों से आयात परस्पर और उसी बाजार में घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
92. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस से आयातों को आवेदक के साथ रूस के प्रतिष्ठान के साथ संबंध, रूस का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा और रूस से आयातों की मात्रा और कीमत को देखते हुए क्षति आकलन के लिए अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस को वर्तमान जांच के उद्देश्य से, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना गया है। या तो इनमें से अथवा यूरोप द्वारा किए गए निर्धारण वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकारी के लिए संगत नहीं हैं। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने इन स्थितियों में भी आयातों को अलग नहीं किया है, जहां संबद्ध देशों से एक देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है, जबकि दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था देश है। प्राधिकारी ने अन्य देशों के साथ चीन से रूटीन रूप में आयातों की जांच की है जहां चीन के उत्पादकों को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने के रूप में माना गया है। इस प्रकार, रूस की विगत कार्य-पद्धति के अनुसार, रूस को वर्तमान जांच के उद्देश्य से एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा रहा है। प्राधिकारी ने संगत खंड में रूस के उत्पादक और आवेदक के बीच संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर पहले ही ध्यान दिया है।
93. इन अनुरोधों के संबंध में कि रूस के आयातों में आवेदक को बाजार पहुंच देने के लिए गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उत्पादन के आरंभ होने के बाद गिरावट आई है। यह किसी भी मामले में वर्तमान मामले की तरह नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन के आरंभ होने का एक साझा परिणाम है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि रूस के उत्पादक आवेदक को बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के लिए भारत को निर्यातों में कटौती का सहारा लिए होते तब यह कुछ संबद्ध देशों से कमतर कीमतों पर बिक्री के द्वारा नहीं किया गया होता। रूस के उत्पादकों ने अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए कीमतें बनाई रखी हैं। ऐसी स्थिति में, आयातों की कीमत आवेदक को उच्चतर कीमत वाला बाजार उपलब्ध कराने के लिए उच्चतर हुआ होता।
94. नीचे दी गई तालिका विभिन्न संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों से आयात की कीमतों को दर्शाता है:

क्र.स.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क.	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267
1	सिंगापुर	रु./एमटी	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909

2	रूस	रु./एमटी	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	सऊदी अरब	रु./एमटी	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	यूएसए	रु./एमटी	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	चीन जन.गण.	रु./एमटी	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308



95. इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रस्ताव करते हैं कि निम्नलिखित कारणों, जिनका सारांश नीचे दिया गया है, से वर्तमान जांच में रूस से आयातों को बाहर रखना उपयुक्त नहीं होगा।

- क. संबद्ध वस्तुओं को भारत में संबद्ध देशों से पाटित किया जा रहा है।
- ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।
- ग. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग रूप में आयातों की कुल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है।
- घ. आयात के प्रभावों और संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों के आयात न केवल सीधे तौर पर उनमें से प्रत्येक के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करता है।

छ. 3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

96. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 101-102 में नोट किया गया है, विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। यह देखा जाता है कि इस उत्पाद का देश में बहुत अधिक और सकारात्मक विकास हुआ था। इन अनुरोधों के संबंध में कि मांग का आकलन कैप्टिव खपत और बिना कैप्टिव खपत दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने भारत में आयातों के संबंध में मांग तथा घरेलू उद्योग की मर्चेट बिक्री पर विचार किया है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि केवल घरेलू उद्योग की मर्चेट बिक्री आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

97. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह पाया कि संबद्ध देशों से संचयी रूप से आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई। हितबद्ध पक्षकारों ने जोरदार तरीके से यह तर्क दिया है कि कानूनी आवश्यकता यह है कि आयात इस अवधि के दौरान बढ़ना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति जहां आयात

की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने रूस से आयातों को बाहर करने तथा इसका संचयन नहीं करने का भी तर्क दिया है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य – स्पेन से राइप ओलिव्स पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (डब्ल्यूटी/डीएस577/आर दिनांक 19 नवंबर, 2021) पर डब्ल्यूटीओ के पैनल ने घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों की मात्रा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं और उसके संबंध में जांच करने वाले प्राधिकारियों के दायित्व की विस्तार से जांच की है। इस पैनल ने स्पष्ट रूप से यह माना कि ये प्रावधान जांच करने वाले अधिकारी को “इस तथ्य पर विचार करने के लिए अनुदेश देते हैं कि क्या पाटित अथवा सब्सिडीयुक्त आयातों में बहुत अधिक वृद्धि रही है। “इस तथ्य पर विचार करना कि क्या” उस अपेक्षा को अनुसूचित करता है जिसे जांच करने वाले अधिकारी को अपने निर्णय पर पहुंचने में आयातों की मात्रा पर विचार करना चाहिए। यह सिद्ध नहीं करता है कि आयातों की मात्रा प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व आवश्यक रूप से बढ़ जाना चाहिए था कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। जांच करने वाले अधिकारी यह विचार करना कि क्या मात्रा में “बहुत अधिक वृद्धि” हुई है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी मात्रा वास्तव में बढ़ी है, घटी है अथवा स्थिर रही है, मात्रा में परिवर्तनों की जांच से स्पष्ट हो जाती है।
99. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी का दायित्व स्वयं क्षति की अवधि के दौरान आयात की मात्राओं की जांच करने के संबंध में है और इसके लिए प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व उदाहरण के रूप में एक शर्त के रूप में आयातों में निर्णायक रूप से वृद्धि पाएं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में भी जहां आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है, घरेलू उद्योग को अभी भी देश में पाटन के फलस्वरूप बहुत अधिक वास्तविक क्षति हो सकती थी।
100. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों में गिरावट एक सामान्य घटना/इस तथ्य का परिणाम है कि घरेलू उद्योग का 2019-20 में वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन हुआ है, यद्यपि मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की गई। चूंकि इस उत्पाद की सकल मांग ***एमटी के आसपास थी जब घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद की बिक्री शुरू की, यह बढ़कर केवल ***एमटी हो गई तथा आगे चूंकि घरेलू उद्योग के पास 1.20 लाख एमटी की उत्पादन क्षमता है और इसने वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान लगभग ***करोड़ रु. के मूल्य का ***एमटी से अधिक संचयी मात्रा का उत्पादन किया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उपभोक्ता अब तक पूर्ण रूप से आयातों पर निर्भर उत्पाद में घरेलू आपूर्ति विकसित भी करना चाहेगा। घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन का परिणाम इस प्रकार से देश में उत्पादन आरंभ करने के बाद हुए आयातों की मात्रा में गिरावट थी। इस कारण से संबद्ध आयातों में गिरावट यह सिद्ध नहीं करता है कि उसने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाई होगी।
101. इन अनुरोधों के संबंध में कि आयात भारत में विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन के अभाव के कारण बहुत अधिक रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशिष्ट उत्पादों का भारत में आयात किया जा रहा है। लगभग समग्र आयात नियमित ग्रेड के उत्पादों का हुआ है। केवल एक पीसीएन का आयात भारत में किया गया है और उसकी बिक्री घरेलू बाजार द्वारा मर्चेट बाजार में की गई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आयात भारत में विशिष्ट उत्पाद के आयातों के कारण बहुत अधिक हैं। प्राधिकारी उन उत्तरों पर विश्वास करते हैं जो भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
102. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि चूंकि इसने प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश कर अपनी बिक्री में वृद्धि की, आयातों में गिरावट आई; हालांकि, घरेलू उद्योग को की गई बिक्री में बहुत अधिक कीमत संबंधी क्षति उठानी पड़ी और यह उत्पादन और क्षमताओं की सीमा तक इस सामग्री की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा था। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि यह इतनी लंबी समय अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने में सक्षम नहीं था।

103. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि यह तर्क दिया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं था और उसके परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में गिरावट आई, कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है, यह वर्तमान बाजार की स्थिति और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पूर्ण एवं उचित मूल्यांकन नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग इस सामग्री की बिक्री करने में सक्षम था और क्षति की अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री को बढ़ाने में भी सक्षम था, घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से काफी कम था। नीचे दी गई तालिका निम्नलिखित दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	122	124
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	381	516
क्षमता	एमटी	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,316
कैप्टिव खपत को छोड़कर क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	156	140
कैप्टिव खपत को छोड़कर उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	355	307	365
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816

104. स्पष्ट रूप से, बिक्री में वृद्धि इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के पास बहुत अधिक उत्पादन क्षमता थी, उत्पादन में वृद्धि से कम थी। ***एमटी की घरेलू मांग की तुलना में, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन क्षमताएं 1,20,000 एमटी थी। यदि इसको भी मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के उत्पादन के लिए ***एमटी आईआईआर की खपत की, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास आईआईआर की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ***एमटी की उत्पादन क्षमता अभी भी उपलब्ध थी।

105. यदि उत्पादन क्षमताओं की उपेक्षा भी कर दी जाती है और केवल उत्पादन की गणना की जाती है, तब यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास ***एमटी का उत्पादन था, जिसके विरुद्ध घरेलू बिक्री केवल ***एमटी थी। स्पष्ट तौर पर घरेलू उद्योग बाजार में आयातों के कारण उत्पादन की सीमा तक इन मात्राओं की बिक्री करने में सक्षम नहीं था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में न केवल मात्रा संबंधी प्रतिकूल प्रभाव थे क्योंकि घरेलू उद्योग कैप्टिव खपत को बाहर करने के बाद अपना पूर्ण उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम नहीं था, घरेलू उद्योग कीमतों के संबंध में बहुत अधिक समझौता करने के बाद ही वर्तमान मात्राओं की बिक्री करने में सक्षम था। यह देखा जाता है कि घरेलू

उद्योग समग्र अवधि के दौरान इस उत्पाद की बिक्री उस कीमत पर कर रहा था जो इस उत्पाद की उचित कीमत और उत्पादन की लागत से बहुत कम थी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	44,860	36,272	29,808	19,110
सिंगापुर	एमटी	13,546	6,094	6,830	11,291
रूस	एमटी	25,847	18,642	14,014	3,104
सऊदी अरब	एमटी	1,299	1,577	1,790	1,903
यूएसए	एमटी	4,168	9,943	6,939	1,563
चीन जन.गण.	एमटी	0	17	234	1,249
अन्य देश	एमटी	1,531	566	621	361
कुल आयात	एमटी	46,391	36,838	30,428	19,470
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध आयात:					
कुल आयात	%	97%	98%	98%	98%
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	55	34
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	17	8

क) कीमत में कटौती

107. कीमत में कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से तुलना करके की गई है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	यूएसडॉ./एमटी	***
पहुंच कीमत	यूएसडॉ./एमटी	2,541
कीमत में कटौती	यूएसडॉ./एमटी	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)
प्रवृत्ति	रेंज	नकारात्मक

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि औसत आधार पर कीमत में कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह आयातों से प्रतिस्पर्धा करने तथा घरेलू बाजार में अपनी पकड़ बनाने के उद्देश्य से कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य रहा है।

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से उच्चतर थी, अतः घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयातों की पहुंच कीमत के स्तर तक बढ़ा सकता था। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया:

- क. वही निर्यातक किसी उत्पाद की बिक्री उसी आयातक को एक ही समय में काफी हद तक अलग अलग कीमतों पर कर रहा था। घरेलू उद्योग ने इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए अनेक आयात संबंधी लेन-देन की पहचान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के इस तर्क का जवाब नहीं दिया है।
- ख. चूंकि आयात उसी समय काफी हद तक अलग अलग कीमतों पर हुए हैं, घरेलू उद्योग न्यूनतम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य हुआ है।
- ग. घरेलू उद्योग देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण ही कमतर कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है।
- घ. सीआईएफ आयात कीमत के आधार पर कीमत में नकारात्मक कटौती इस कारण से उपयुक्त नहीं है कि यह भारतीय आयातकों और उनसे संबद्ध व्यापारियों के बीच लेन-देन को दर्शाता है। ये अंतरण कीमतें इस कीमत को नहीं दर्शाते हैं, जिस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने इस उत्पाद के लिए मोलभाव किया है और या तो घरेलू उद्योग अथवा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास ऑर्डर दिए हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चूंकि कुछ भारतीय आयातक अपने संबद्ध विदेशी व्यापारियों से खरीद कर रहे हैं, अतः सीआईएफ आयात कीमत संबद्ध विदेशी व्यापारियों की कीमत है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने यह मांग की कि कीमत में कटौती का निर्धारण विदेशी उत्पादक की बिक्री कीमत और न कि ऐसे संबद्ध व्यापारी से सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करके किया जाना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यह एक सामान्य ज्ञान का मामला है कि विदेशी उत्पादक बीजक तैयार करने के बाद बहुत अधिक छूट दे रहे हैं और आयात की कीमत उन कीमतों को दर्शाती है, जिसे भारतीय सीमा शुल्क को प्रस्तुत की गई वाणिज्यिक बीजकों में सूचना दी गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि बीजकों को जारी किए जाने के बाद, विदेशी उत्पादकों ने भारतीय आयातक अथवा विदेशी व्यापारी को बहुत अधिक छूट दी है और उन छूटों को आयात कीमतों में नहीं दर्शाया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ विदेशी उत्पादकों ने कीमत समायोजनों में से एक समायोजन के रूप में छूट की सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि निर्यातकों ने बीजक कीमत पर छूट दी है, भारतीय सीमा शुल्क को सूचित की गई सीआईएफ कीमत उस कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसे वास्तव में आयातक द्वारा भुगतान किया गया और निर्यातक द्वारा प्राप्त किया गया।
- च. प्राधिकारी ने उस कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया, जिस पर विदेशी उत्पादक ने इस माल की बिक्री की है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने बीजक बनाने के बाद के छूट सहित सभी खर्च की कटौती करने के बाद एक्स-फैक्टरी कीमतों का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यदि पाटन मार्जिन उत्पादक के स्तर पर एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पर आधारित है, यह उपयुक्त नहीं होगा कि क्षति मार्जिन और कीमत में कटौती का निर्धारण कुछ अन्य प्रतिष्ठानों की सीआईएफ कीमतों पर विचार करके किया जाए और विशेष रूप से जब भारतीय आयातकों का ऐसे निर्यातक के संबंध में और इन कीमतों का मोलभाव भारतीय क्रेता और उत्पादक के बीच किया गया हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के निर्धारण का उद्देश्य उस सीमा का आकलन करना है जिस सीमा तक विदेशी उत्पादकों ने इस सामग्री की बिक्री उस कीमत पर की जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अथवा एनआईपी से कम थी। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चूंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किसी विदेशी उत्पादक के लिए किया जाता है, यह उपयुक्त नहीं है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अलग अलग प्रतिष्ठानों की कीमतों पर आधारित हैं, विशेषरूप से जब कीमतों के संबंध में मोलभाव प्रयोक्ताओं द्वारा विदेशी उत्पादकों के साथ किया गया है और प्रयोक्ता इन वस्तुओं का बीजक बनाने वाले निर्यातकों से संबद्ध हों।

- छ. बीजक में प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए उनकी कीमतों पर विचार करके कीमत में कटौती का निर्धारण किया था। संदर्भ व्याख्यात्मक मामले जैसे डिकोर पेपर और कैथोड रे कलर पिक्चर ट्यूब्स से संबंधित जांचों की ओर आकर्षित किया गया था जिनमें कीमत में कटौती का निर्धारण उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए पृथक रूप से किया गया है। यूरोपीय आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों की ओर भी संदर्भ आकर्षित किया गया है जिसमें कीमत में कटौती का निर्धारण उत्तर देने वाले विदेशी उत्पादकों और न कि संचयी रूप से केवल संबद्ध देशों के लिए किया गया है।
- ज. यदि घरेलू उद्योग अपने पूर्व के अनुमानों पर विचार करते हुए लाभप्रद कीमतें (और इनपुट कीमतों में परिवर्तन करने के बाद) वसूल किया होते तब आयात की मात्राएं वर्तमान मात्राओं की तुलना में बहुत अधिक हुई होती क्योंकि घरेलू उद्योग बाजार से कोई ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ होता। यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन की आदर्शतम लागत से ***% कम और क्षति रहित कीमतों से ***% कम थीं। इस प्रकार, आयातों की मात्रा अधिक रही होती और यह भारत में समग्र मांग को बहुत अधिक संभव रूप में पूरा किया होता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा घाटे पर की गई बिक्री के फलस्वरूप भारत में आयातों में पूर्ण रूप से अथवा सापेक्ष रूप से गिरावट हुई है।
110. उपर्युक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर कीमत में कटौती का निर्धारण करते हैं।
111. हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों के कारण क्षति के होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व एक ही समय में अवश्य मौजूद होना चाहिए। वास्तव में, यह नोट किया जाता है कि अक्सर कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण एक ही समय में मौजूद नहीं रहता है। इसके अलावा, यह संभव है कि केवल कीमत में कटौती सकारात्मक है और यह घरेलू कीमतों पर बिना किसी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव के हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी नहीं दिया है कि कीमत में कटौती प्राधिकारी द्वारा क्षति के मौजूद होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व आवश्यक रूप से सकारात्मक होनी ही चाहिए। वास्तव में, प्राधिकारी ने अनेक मामलों में वास्तविक क्षति की मौजूदगी पाई है, जहां कीमत में कटौती नकारात्मक पाई गई थी। अन्य प्रकार से भी, कीमत में नकारात्मक कटौती का होना केवल घरेलू और आयात किए गए उत्पाद के बीच कीमत में प्रतिस्पर्धा को संसूचित करता है। यह बिल्कुल संभव है कि ऐसी स्थिति में वहां, जहां एक नया उद्योग अपनी क्षमता और सामर्थ्य की सीमा तक बाजार में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर, वैसा करेगा। हालांकि, यदि इस प्रकार की कीमत में नकारात्मक कटौती पाटित आयातों के कारण हुई है, तब यह साक्ष्य है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अलाभप्रद कीमतों की पेशकश करने के लिए बाध्य किया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कीमत में कटौती का निर्धारण भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए पृथक रूप से किया जाए। प्राधिकारी किसी भी मामले में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को कीमत ह्रास की मौजूदगी पर आधारित किया है और आगे उसकी जांच वर्तमान प्रकटन विवरण में किया गया है।
112. इन अनुरोधों के संबंध में कि आवेदक रूस की कीमतों का मुकाबला करने के लिए बाध्य थे क्योंकि इसमें रूस से अधिग्रहीत प्रौद्योगिकी के आधार पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया और यह रूस से इन उत्पादों का व्यापार कर रहा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों की पहुंच कीमत 2020-21 और 2021-22 में रूस की पहुंच कीमत से कमतर थी, जबकि सिंगापुर की पहुंच कीमत 2019-20 और 2021-22 के दौरान रूस की पहुंच कीमत से कमतर थी। आवेदक इस उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों से पहुंच कीमत से कम पर इस उत्पाद की कीमत रखने के लिए बाध्य थे। चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत विभिन्न देशों न कि केवल रूस की पहुंच कीमत से कम थी, ऐसा कहा जा सकता है कि आवेदक रूस से आयातों की पहुंच कीमत का मुकाबला करने के लिए बाध्य थे।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267

1	सिंगापुर	रु./एमटी	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909
2	रूस	रु./एमटी	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	सऊदी अरब	रु./एमटी	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	यूएसए	रु./एमटी	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	चीन जन.गण.	रु./एमटी	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

113. प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने यह पाया था कि आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा था। प्राधिकारी 2020-21 और जांच की अवधि के बीच लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2019 में ही उत्पादन शुरू किया और इसको उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित करने के कारण उत्पाद कि शुरू होने के बाद संयंत्र को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार, छह से कम महीनों के आंकड़े 2019-20 के लिए उपलब्ध हैं। चूंकि घरेलू उद्योग को भी 2019-20 में उच्च स्टार्ट-अप लागतों, उच्च उत्पादन और विनिर्देशन से अलग माल की बिक्री और कम क्षमता का उपयोग का सामना करना पड़ा, प्राधिकारी ने इसे 2020-21 से कीमत ह्रास/न्यूनीकरण पर विचार करने के लिए संगत माना है। केवल यह तथ्य कि आवेदक ने 2022-23 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की, का आशय यह नहीं होता है कि आवेदक को 2022-23 में स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण हानि हुई।
114. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्ष 2019-20, चूंकि यह उत्पादन का प्रथम वर्ष था और वह अवधि थी जब इस संयंत्र को स्टार्ट-अप प्रचालनों और विनिर्देशन से अलग बहुत अधिक माल की बिक्री के कारण हानि हो रही थी, की उपेक्षा कर कीमत ह्रास की स्थिति को माना। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

2019-20 की अवधि की उपेक्षा कर कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	आधार वर्ष के साथ जांच की अवधि में परिवर्तन
1	बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	156	56%
3	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	149	49%

115. यह देखा गया है कि:

- क. यदि 2019-20 की उपेक्षा की जाती है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में ***रु. प्रति एमटी तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को केवल ***रु. प्रति एमटी तक वृद्धि की।
- ख. अवधि जो भी रही हो, बाजार में पाटित आयातों के न होने के कारण, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को दो कारणों से बढ़ाई होती – (i) इसका बहुत अधिक वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा, जब इसने इस

उत्पाद को शुरु किया और इसके लिए यह अपेक्षित था कि यह ऐसी हानि से उबरे और उचित लाभ अर्जित करे (ii) उत्पादन की लागत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई थी। प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण की जांच की। यह देखा गया है कि इनपुट लागतों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह उस कीमत को प्राप्त करने, जो उसकी लागतों को वसूलने की अनुमति देगा, निवेशों पर कुछ लाभ अर्जित करने और इसके साथ ही क्षति की अवधि के दौरान लागतों में वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कीमतों में वृद्धि करे।

116. इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग हानि से उबरने के लिए तथा बिक्री की लागत में वृद्धि का निवारण करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से संचयी रूप से 2020-21 और जांच की अवधि के बीच आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा घाटे पर की जाने वाली अपनी बिक्री से बाहर निकलने के लिए कीमतों में अपेक्षित वृद्धि से कमतर है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप अपनी कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव के कारण हानि हुई है।
117. जबकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण इत्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया, कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ, के उद्देश्य से 2019-20 को बाहर करना उपयुक्त होगा, वैकल्पिक रूप से प्राधिकारी ने क्षति की समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जबकि उत्पादन की लागत में 2019-20 और 2020-21 के बीच बहुत अधिक हद तक गिरावट आई, उसमें बाद में वृद्धि हुई। हालांकि बिक्री की कीमत में जांच की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को 2019-20 और 2020-21 के बीच कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद जबकि लागतों और कीमतों, दोनों में वृद्धि हुई, बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से बहुत कम थी। अन्य शब्दों में, जबकि घरेलू उद्योग को 2019-20 और 2020-21 के बीच कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण के कारण हानि नहीं हुई, घरेलू उद्योग को उसके बाद कीमत में ह्रास के कारण हानि हुई। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में घरेलू उद्योग को इन कीमतों में वृद्धि करने से रोका जो देश में पाटित आयातों के नहीं होने पर हुआ होता।
118. प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में अपनी कीमतों में वृद्धि की होती। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादक उस उत्पाद की आपूर्ति करने के एकमात्र स्रोत हैं, अतः घरेलू उद्योग इस उत्पाद के उत्पादन की लागत और उचित कीमत पर विचार करते हुए कीमत वसूली होती। घरेलू उद्योग ने कमतर कीमत की पेशकश की जब इसने इस उत्पाद की शुरुआत की क्योंकि ये एक नए उत्पादक द्वारा बिक्री थे। हालांकि, चूंकि घरेलू उद्योग को बाजार में इसकी स्वीकार्यता मिली, अतः घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई बहुत अधिक वित्तीय हानि से बाजार निकलने के उद्देश्य से अपनी कीमतों को बढ़ाए। हालांकि, घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत से बहुत अधिक हद तक कम कीमत वसूलने के लिए बाध्य था, जब इसने उस उत्पाद की बिक्री करना शुरु किया। पाटित आयातों के अभाव में, घरेलू उद्योग वास्तव में लागत में वृद्धि की मात्रा, वित्तीय हानि और निवेशों पर अपेक्षित उचित लाभ के द्वारा अपनी कीमतें बढ़ाई होती। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोका है।
119. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2020-21 कोविड के कारण प्रभावित हुआ था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कोविड के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उसी दर से 2020-21 में गिरावट आई, जिस दर से 2021-22 में उसमें गिरावट आई थी। इसके अलावा, 2020-21 का केवल एक हिस्सा और न कि पूरी अवधि कोविड के कारण प्रभावित हुई थी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कुल मिलाकर

2020-21 कोविड के कारण प्रभावित हुआ था और इस प्रकार इसकी तुलना जांच की अवधि से नहीं की जा सकती है।

120. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2020-21 कच्चे तेल की कीमत में अत्यधिक गिरावट के कारण प्रभावित हुआ था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तन ने घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों, दोनों को प्रभावित किया है। चूंकि, उक्त घटना ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों, दोनों को प्रभावित किया, अतः 2020-21 और जांच की अवधि में बिक्री की लागत, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत की तुलना करना वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

121. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग नीचे दिए गए अनुसार थे:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	171	171
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	381	516
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	214	222	301
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	611	357	212
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,315
उत्पादन बंद होने के दिनों की संख्या	दिन	***	***	***	***

122. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यदि कुल मिलाकर जांच की अवधि में कुल उत्पादन क्षति की अवधि के दौरान अधिकतम था, तब भी जांच की अवधि में उत्पादन को भी देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण हानि हुई। आवेदक ने अपने आवेदन पर विश्वास किया जिसमें मासिक उत्पादन, क्षमता का उपयोग, भंडार, कैप्टिव खपत और घरेलू तथा निर्यात बिक्री के आंकड़े दिए गए थे। यह देखा गया था कि आवेदक का उत्पादन ***में ***एमटी था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और यह ***में ***एमटी था जो सबसे कम था। आवेदक को मालसूची के जमा होने के कारण *** से *** तक संयंत्र को बंद करना पड़ा। उत्पादन में उसके बाद *** में वृद्धि हुई और यह ***एमटी था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का जांच की अवधि के कुछ भाग में उत्पादन जांच की अवधि के अन्य कुछ भागों में प्राप्त

उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हद तक कमतर था। यदि आवेदक को *** अवधि में उत्पादन की हानि नहीं हुई होती, तब आवेदक जांच की अवधि में लगभग अतिरिक्त ***एमटी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया होता।

123. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण नहीं बल्कि तकनीकी बाधाओं के कारण अपना उत्पादन स्थगित किया। हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, कंपनी ने अन्य उत्पाद (एचआईआईआर) का उत्पादन शुरू किया और इस कारण से उसे एचआईआईआर संयंत्र शुरू करने के उद्देश्य से अपना उत्पादन स्थगित करना पड़ा था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि क्यों इसके लिए एचआईआईआर का उत्पादन शुरू करने के लिए आईआईआर हेतु उत्पादन बंद करना अपेक्षित था, ये दोनों संयंत्र पूर्ण रूप से अलग अलग धाराएं हैं और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
124. यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने ***में अपना उत्पादन स्थगित किया था जब इसको ***एमटी की मालसूची का सामना करना पड़ा था। यह घरेलू उद्योग द्वारा धारित मालसूची का उच्चतम स्तर था। इस कारण से, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में सत्यता पाते हैं कि घरेलू उद्योग के पास अधिक भंडार था जिसने इसे उत्पादन को स्थगित करने के लिए बाध्य किया और न कि एचआईआईआर संयंत्र शुरू करने के लिए यह एक तकनीकी अपेक्षा थी।
125. किसी भी स्थिति में यदि यह मान भी लिया जाता है कि घरेलू उद्योग से एचआईआईआर का उत्पादन शुरू करने के उद्देश्य से उत्पादन को स्थगित करना अपेक्षित था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास ***एमटी का भंडार था जब उसने उत्पादन को स्थगित कर दिया। इस प्रकार घरेलू उद्योग इस सामग्री की आपूर्ति करने की स्थिति में था जब उसने उत्पादन स्थगित कर दिया था। घरेलू उद्योग की बिक्री को इस कारण से हानि नहीं हो सकती थी।
126. बिक्री के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि यह प्रचालन के तीसरे वर्ष के लिए अनुमानित ***एमटी की तुलना में जांच की अवधि में केवल ***एमटी मात्रा की बिक्री करने में सक्षम था।
127. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने भारत में घरेलू मांग से अधिक उत्पादन किया है और तदनुसार इसका अपने ही कारण से क्षति उठानी पड़ी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन ***एमटी था जिसमें कैप्टिव खपत के उद्देश्य से उत्पादन भी शामिल है। यदि कैप्टिव खपत के उद्देश्य से उत्पादन को बाहर कर दिया जाता है तब घरेलू उद्योग का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान ***एमटी था जबकि जांच की अवधि के दौरान मांग ***एमटी थी। इस प्रकार, मर्चेट बाजार के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में मांग से कम था।
128. इन अनुरोधों के संबंध में कि कैप्टिव खपत को क्षति के विश्लेषण के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के विश्लेषण से कैप्टिव खपत को शामिल करना अथवा उसे बाहर रखना वर्तमान जांच में स्थापित तथ्यों के उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्राधिकारी ने कैप्टिव खपत को शामिल कर और उसे बाहर रखकर इन मानदंडों की जांच की है।

ख) बाजार हिस्सा

129. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यद्यपि इसके बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान सुधार आया, फिर भी यह अभी भी उस बाजार हिस्से से बहुत अधिक हद तक कमतर था जो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में प्राप्त किए होते। घरेलू उद्योग का यह अनुरोध था कि यदि उसने उस सीमा तक मात्रा की बिक्री की होती, जिस सीमा तक उसने उत्पादन किया था (कैप्टिव खपत को बाहर करने के बाद), यह तब भी ***% बाजार हिस्से को प्राप्त कर लिया होता। हालांकि घरेलू उद्योग देश में अपने उत्पाद की मांग नहीं होने के कारण केवल ***एमटी उत्पादन का निर्यात करने के लिए विवश था क्योंकि उपभोक्ता संबद्ध देशों से उसे प्राप्त कर रहे थे।
130. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के तीसरे वर्ष तक ***% के बाजार हिस्से का अनुमान लगाया था। हालांकि, आवेदक ने वर्तमान अवधि में केवल ***% बाजार हिस्सा प्राप्त किया जिसे घाटे पर बिक्री कर प्राप्त किया गया था। इस

प्रकार, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि इस उत्पाद का पाटन में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

ग) मालसूची

131. मौके पर सत्यापन के समय, घरेलू उद्योग ने विशिष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर इतना अधिक हद तक बढ़ गया था कि आवेदक को उत्पादन को बंद करना पड़ा था। आवेदक ने अपने आवेदन, जिसमें माह-वार मालसूची का उल्लेख था, का उल्लेख किया। नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के लिए माह-वार मालसूची के स्तर को दर्शाता है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में ***एमटी तक वृद्धि हुई थी। यही समय था जब आवेदक उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य था। उसके बाद मालसूची के स्तर में गिरावट आई थी। हालांकि, भंडार का अंतिम स्तर अभी भी बहुत अधिक है।

अवधि	माल सूची (एमटी)
2019-20	***
2020-21	***
2021-22	***
पीओआई	***
अप्रैल-22	***
मई-22	***
जून -22	***
जुलाई-22	***
अगस्त -22	***
सितंबर-22	***
अक्तूबर-22	***
नवंबर-22	***
दिसंबर 22	***
जनवरी-23	***
फरवरी-23	***
मार्च-23	***

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

132. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
लाभ/ (हानि)	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-349
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-263
निवेश पर प्रतिफल	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-25	-92	-125
प्रति इकाई लाभ/हानि	रु./एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-22	-40	-43

133. यह देखा जाता है कि (क) घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान वित्तीय हानि हुई है, और (ख) कुल घरेलू बिक्री पर हानि की सीमा इतनी अधिक थी कि कुल घरेलू बिक्री पर हुई हानि क्षति की अवधि के दौरान बढ़ती रही। अन्य शब्दों में, घरेलू उद्योग ने अधिक माल की बिक्री की परंतु अधिक हानि हुई।
134. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग को हुई प्रति इकाई हानि में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई। यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में, प्रति इकाई हानि 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ गई है। हालांकि यदि बिक्री कीमत का निर्धारण केवल अच्छे विनिर्देशन वाले उत्पादन के लिए किया जाता है और लागतों का समायोजन स्टार्ट-अप प्रचालनों के लिए किया जाता है तब यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति इकाई हानि में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू बिक्री पर हुई कुल हानि में वृद्धि हुई है। जब उत्पादन और घरेलू बिक्री में भी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक बिक्री के साथ अपेक्षाकृत अधिक हानि हुई। इसके अलावा, क्षति की अवधि के दौरान प्रति इकाई हानि केवल इस कारण से गिरावट को दर्शाती है कि आधार वर्ष में लागतें और कीमतें स्टार्ट-अप प्रचालनों और विनिर्देशन से अलग उत्पाद की बिक्री के कारण प्रभावित हुई थी।
135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नोट किया है कि निर्यात बाजार में आवेदक को हानि विनिर्देशन से अलग वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अच्छी विनिर्देशन वाले उत्पादों का भी किया गया निर्यात घाटे पर हुआ था। हालांकि, क्षति की जांच घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के लिए की गई है और इस कारण से निर्यात बाजार में प्रदर्शन संगत नहीं है।
136. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना वास्तविक क्षति के मामले में उपयुक्त नहीं है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग एक नया घरेलू उत्पादक है और उसने 2019-20 में ही उत्पादन शुरू किया और जांच की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषण की, यह उपयुक्त है कि क्षति की अवधि के दौरान वास्तविक प्रदर्शन पर विचार कर तथा इस उत्पाद के लिए लगाए गए अनुमानों के साथ उसकी तुलना, दोनों कर घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। वास्तविक क्षति की जांच में अनुमान के साथ घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की तुलना पर इस नियमावली के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है।
137. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2011 में बनाई गई परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना व्यापार के परिदृश्य, कच्चे माल की कीमतों और मांग-आपूर्ति की स्थिति में परिवर्तनों के कारण उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की मूल परियोजना रिपोर्ट 2011 में बनाई गई थी। हालांकि, बाजार के परिदृश्य और कच्चे माल की कीमतों में

परिवर्तन के साथ, आवेदक ने परियोजना रिपोर्ट को दो बार संशोधित किया था। संशोधित अनुमानों जिसे क्षति की अवधि के ठीक पहले बनाया गया था, के साथ तुलना करने पर भी, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रतिकूल है। जबकि घरेलू उद्योग ने दूसरे संशोधित अनुमानों में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल का अनुमान लगाया था, उसे वास्तव में वित्तीय हानि हुई है और इसने जांच की अवधि में लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि अनुमानों में संशोधन अपने आप में इस उत्पाद के पाटन का परिणाम था जो विश्व में अधिक क्षमता और उसके फलस्वरूप विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में शुरू हुआ था। इसके अलावा, नई क्षमताएं विकसित होने के साथ, विदेशी उत्पादकों ने अपनी मात्राओं को बनाए रखने तथा नए उत्पादकों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से अनुचित प्रतिस्पर्धा और पाटन का सहारा लेना शुरू कर दिया।

138. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी को हितधारकों का सत्यापन करना चाहिए जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट का संशोधन तथा पत्राचारों की जांच करना अपेक्षित था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट में संशोधन पाटनरोधी जांच के लिए इस आवेदन को प्रस्तुत करने के बहुत पहले हुआ था। इस प्रकार, स्टैकहोल्डरों की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना रिपोर्ट में संशोधन केवल व्यापारित उद्देश्य से हुई थी और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से बनाया गया था। यदि ऐसा मान भी लिया जाता है कि ऐसे अन्य कारक थे जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसे अन्य कारकों का प्रभाव इतना अधिक है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारण नहीं है।
139. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि इसने प्रचालन के पहले वर्ष में ही लाभ अर्जित करने तथा ***वर्षों की पेबैक अवधि के अनुमानों के साथ इस संयंत्र को स्थापित किया था। जब इन परियोजनाओं को समय समय पर संशोधित भी किया गया था तब घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए बिल्कुल हाल के अनुमान भी यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही लाभ अर्जित हुआ होता और उसमें प्रचालन के तीसरे वर्ष तक वृद्धि हुई होती। वर्तमान मामले में, हालांकि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने के बाद चाथे वर्ष में भी वित्तीय हानि हो रही है।
140. जैसाकि उपर्युक्त पैरा में नोट किया गया है, आयातों ने कीमत में वृद्धि को रोक दिया है जो पाटित आयातों के नहीं होने पर बाजार में हुआ होता। पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को इस उत्पाद की उचित कीमत के अनुसार रखा होता। हालांकि, घरेलू उद्योग इस माल की बिक्री उस कीमत पर करने के लिए बाध्य हुआ है जो काफी हद तक उचित कीमत से कम। उसके बाद, घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतें बढ़ाने को रोका गया था।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

141. चूंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से संबंधित प्रारंभिक निर्धारण के बारे में आगे कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 134-135 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

च) विकास

142. चूंकि घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से कोई नया अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 136 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

143. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और आवेदक रूस तथा भारत में दो सबसे बड़े शेयरहोल्डर समूहों का एक संयुक्त उद्यम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री

में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग को 2019-20 में उत्पादन के आरंभ होने के समय से *** करोड़ रु. की संचयी हानि हुई है। घरेलू उद्योग ने नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। इन हानियों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

144. यदि आवेदक दो बड़ी कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम भी है तब आवेदक एक स्वतंत्र कंपनी है और इसे हुई संचयी हानि बहुत अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

145. हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वैश्विक बाजार में अन्य मापदंड हैं, जिन्होंने कीमतों को प्रभावित किया है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध विदेशी उत्पादक उस कीमत पर बिक्री कर रहे थे जो सामान्य मूल्य से कम थी। इस प्रकार, कथित वैश्विक कारक घरेलू उद्योग को अलाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। घरेलू उद्योग को पाटन नहीं होने की स्थिति में तर्कसंगत रूप से लाभप्रद कीमतें प्राप्त हुई होती। यह भी नोट किया जाता है कि ये वैश्विक कारक भारतीय बाजार को चयनित रूप में प्रभावित कर सकते थे और विदेशी उत्पादकों का अपना बाजार ऐसे कारकों से अप्रभावित नहीं रह सकता था।

झ) पाटन का आकार

146. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक पाटन हुआ है जिसने बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को नष्ट कर दिया है।

गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

147. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की मॉजूदगी की जांच करने पर, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

148. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से आयात नगण्य है। संबद्ध देशों से आयात भारत में आयातों का 97% है। अतः क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

149. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग निरंतर बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी। संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग बढ़ते रहने की उम्मीद है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

150. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का दावा करने के लिए जिम्मेदार हों।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

152. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

च) उत्पादकता

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

154. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।
155. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के गैर लाभकारी निर्यातों की जांच की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति आईआईआर की बिक्री के लिए घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में सत्यापित सूचना सूचना के आधार पर है। अतः गैर-लाभकारी निर्यातों का प्रभाव वर्तमान जांच में संगत नहीं है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

156. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।
157. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग परीक्षण उत्पादन को छूट अथवा निशुल्क आपूर्ति कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2020-21 से वाणिज्यिक मात्राओं घरेलू उद्योग में उत्पादन और बिक्री करता आ रहा है। ये मात्राएं परीक्षण बिक्री नहीं थी और निशुल्क नहीं दी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया है और नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री वाणिज्यिक मात्राओं में थी और नमूना बिक्री नहीं थी। घरेलू उद्योग ने परीक्षण नमूनों के रूप में कुछ सामग्री भी दी थी। तथापि, यह प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आंकड़ों का भाग नहीं बनते।

झ) उत्पाद और उत्पाद रेंज का अनुमोदन न होना

158. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति एचआईआईआर का अनुमोदन न होने जाने के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच आईआईआर के संबंध में घरेलू उद्योग के आयात और निष्पादन से संबंधित है। घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करते हुए क्षति विश्लेषण किया गया है। तथापि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने ग्राहकों और उस अवधि को देखने के लिए जब से घरेलू उद्योग ने उत्पाद आरंभ किया, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा की जांच की है।
159. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति ग्राहकों द्वारा उत्पाद का अनुमोदन न किए जाने के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की ग्राहक-वार बार-बार बिक्री क्षति की अवधि के दौरान विभिन्न पक्षकारों को काफी बिक्री मात्रा दर्शाती है।

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	नियमित खरीद शुरू करने का माह/वर्ष	बिक्री की कुल मात्रा
			पीओआई तक (केटी)
1	[जेके टायर्स	मार्च 2020	19.541
2	एमआरएफ लि.	जनवरी 2021	12.970
3	सिएट लि.	जून 2020	12.942
4	क्लासिक इंडस्ट्री	अगस्त 2020	9.176
5	टीवीएस	जून 2020	5.587
6	रबड़ किंग	अक्टूबर 2020	4.838
7	अग्रवाल रबड़	अप्रैल 2019	4.156
8	जयम इंडस्ट्री	अप्रैल 2019	4.000

9	रालसन	मई 2019	2.881
10	एक्सल रबड़	मई 2020	2.116

160. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रेंज के कारण क्षति के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों की उत्पाद रेंज की जांच की। यह देखा जाता है कि लगभग सभी विदेशी उत्पादकों ने केवल एक ग्रेड से संबंधित अधिकतर बिक्री सूचित की है। घरेलू उद्योग भारत में आयातित समान वस्तु का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किया गया उत्पाद पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग के सीमित उत्पाद पोर्टफोलियो के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

ज.) कोविड-19 का प्रभाव

161. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति कोविड के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में कोविड-19 के कोई प्रभाव नहीं थे और जांच की अवधि में कोविड-19 में कोविड के प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखे गये हैं।

ट) वैश्विक अतिक्षमताएं

162. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षति वैश्विक रूप से अधिक क्षमताओं के कारण है, प्राधिकरण ने नोट करते हैं कि (क) आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, (ख) भारत में कोई अतिक्षमता नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो, (ग) वैश्विक बाजार में अतिक्षमता को संबद्ध भारत में उन संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने के लिए संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए औचित्य के रूप में नहीं माना जा सकता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ठ) संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद

163. आरआईएल द्वारा बड़ी हुई कीमतों पर कच्ची सामग्री के अंतरण और मेथानल से वसूली का कारक न होने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित खपत कीमत का सत्यापन किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि दोनों पक्षकारों ने आस-पास की कीमतों पर उपर्युक्त लेन-देन को सूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने खुद ही यह तर्क दिया है कि एओए के प्रावधान कोई कीमत लगाने से आरआईएल और घरेलू उद्योग को कोई कीमत देने से रोकते हैं; तथा संयुक्त उद्यम भागीदार के पास उन लेन-देनों को रोकने की काफी शक्तियां हैं जो आस-पास की नहीं हैं।

ड) स्टार्ट-अप लागत और हाई ऑफ-स्पेसिफिकेशन उत्पादन

164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम था और 2019-20 में नए संयंत्र के स्टार्ट-अप प्रचालन के कारण 2019-20 में आफ स्पैक सामग्री का काफी उत्पादन था क्योंकि संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया था तथा उत्पाद को काफी मात्रा में बेचा जा रहा था। वास्तव में, संयंत्र ने मार्च 2022 तक 1,24,683 मीट्रिक टन की संचयी मात्रा का उत्पादन किया था। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को स्टार्ट-अप लागत की क्षति 2019-20 में हुई थी, न कि 2022-23 में।

165. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की प्रति युनिट हानियां पूर्व वर्षों और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ी हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, किसी भी नए उत्पादक की हानियां क्षमता उपयोग में वृद्धि से कम होती हैं, तथापि, यह स्थिति वर्तमान घरेलू उद्योग के मामले में नहीं है। इसके बजाए घरेलू उद्योग की हानियां पूर्ण दृष्टि से (प्रति युनिट आधार पर भी) बढ़ रही थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि से हानियां बढ़ी हैं।

166. नकद हानियां भी क्षति की अवधि में बढ़ी हैं और घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। जांच की अवधि में नकद हानियां उच्चतम थीं और नियोजित पूंजी पर आय इस अवधि में न्यूनतम रही है।

कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

167. यद्यपि नियमावली के तहत सूचीबद्ध तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात कारक अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन है।
 - ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया, अतः क्षमता उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, पाटन से उत्पादन क्षमताओं का इष्टतम उपयोग रूका है।
 - iii. यहां तक कि जब नए उत्पादन के परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में गिरावट आई है, मात्रा काफी अधिक है और इसने घरेलू उद्योग को उसके उत्पादन और स्थापित क्षमताओं की सीमा तक बिक्री करने से रोका है।
 - iv. घरेलू उद्योग के निर्यात बाजारों को आपूर्ति करने और उसकी कैप्टिव खपत के लिए उपलब्ध कराने के बाद भी भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद आयातों का बाजार हिस्सा काफी रहा है।
 - v. घरेलू बिक्री के लिए उपयोग में लाई गई जांच अवधि के दौरान केवल 37% है। घरेलू उद्योग केवल कैप्टिव खपत और निर्यात बिक्री के कारण ही अपनी क्षमताओं का अधिकतर हिस्सा उपयोग में लाने में सक्षम रहा है।
 - vi. घरेलू उद्योग को अपनी मालसूची का निपटान करने के लिए हानियों पर निर्यात करने के लिए मजबूर था।
 - vii. आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।
 - viii. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में भारी हानियां हुई हैं, और जांच की अवधि के दौरान इसकी हानियां बढ़ी हैं।
 - ix. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह इस अवधि में घटे हैं और नकारात्मक हैं।
 - x. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, तथापि, लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई।
 - xi. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित की है।
168. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।
169. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रेंज के कारण क्षति के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों के उत्पाद रेंज की जांच की। यह देखा जाता है कि प्रायः सभी विदेशी उत्पादकों ने केवल एक ग्रेड से संबंधित अधिकांश बिक्री की सूचना दी है। घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए उत्पादों के समान वस्तु पर उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किए गए उत्पाद को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग के सीमित उत्पाद पोर्टफोलियो के कारण नहीं हो सकती है।
170. बढ़ाई गई कीमतों पर आरआईएल द्वारा कच्चे माल के अंतरण और मिथानोल से रिकवरी पर विचार नहीं करने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित की गई खपत कीमत का सत्यापन किया है। इसके अलावा, यह नोट

किया जाता है कि दोनों पक्षकारों ने स्वतंत्र कीमतों पर उक्त लेन-देन की सूचना दी है। इसके अलावा, विविध पक्षकारों ने स्वयं यह तर्क दिया है कि संघ के अंतरनियम के प्रावधान औरआईएल को किसी कीमत को वसूलने और घरेलू उद्योग को किसी कीमत का भुगतान करने से रोकता है और संयुक्त उद्यम दावेदार के पास उन लेनदेन को रोकने की पर्याप्त शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं की गई हैं।

ज. क्षति मार्जिन का आकार

171. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग, उपयोगिताएं और उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन की लागत में वसूला जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित क्षति रहित कीमत तय करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी और उसका अनुसरण किया जा रहा है।
172. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
173. इस तर्क के संबंध में कि स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण, उच्च लागतों को सामान्य बनाया ही जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का मामला है अतः जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर किया गया है।
174. इस तर्क के संबंध में कि लगाई गई पूंजी पर 22% प्रतिफल आवश्यक नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाई गई पूंजी पर उचित प्रतिफल जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने की प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति है जिसमें यह शामिल नहीं है कि रिकॉर्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध है वह यह है कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अन्य आंकड़े अधिक उपयुक्त हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने *** वर्षों की पेबैक अवधि पर विचार किया था जिसका अभिप्राय *** की नियोजित पूंजी पर औसत प्रतिफल से है। प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल उस प्रतिफल से कम है जिस पर आवेदक द्वारा विचार किया गया और जो प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार है।
175. ऊपर में निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:-

उत्पादक	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(%)	(रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी("केईएमवाईए")	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%

सिंगापुर					
एक्सोन मोबिल एशिया पैसिफिक प्रा.लि./ एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	45-55%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सोन मोबिल प्रोडक्ट साल्युशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
कोई	***	***	***	***	75-85%
चीन					
अन्य	***	***	***	***	25-35%

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

176. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रतिस्पर्धा पर रोक लगेगी, एकाधिकार उत्पन्न होगा और इसके फलस्वरूप प्रयोक्ताओं के लिए उच्चतर कीमतें होंगी।
- प्रयोक्ताओं को संभावित नुकसान की उपेक्षा करने के लिए औचित्य के रूप में सीमित प्रयोक्ता प्रतिक्रिया पर विश्वास करना सही नहीं है।
- प्रभाव का मूल्यांकन टायरों के बजाए ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेड्स के संबंध में किया जाना है क्योंकि इस उत्पाद का उपयोग सीधे तौर पर टायरों में नहीं किया जाता है। यदि 30% शुल्क लगाया जाता है तब टायर इनरट्यूब की लागत 15% तक बढ़ जाएगी। यदि 500 डॉलर औसत प्रति एमटी कीमत वृद्धि है तब केवल एसआरटीसी पर प्रभाव लगभग 1 करोड़ रु. प्रति वर्ष है।
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेड्स के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप आशियान और कोरिया से टायर इनरट्यूब और ब्लेड्स के आयातों में शून्य सीमा शुल्क पर वृद्धि होगी।
- ट्यूब मैनुफैक्चरिंग का कार्य एमएसएमई क्षेत्र से करवाया जाता है और ऐसा क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा क्योंकि यह 5% से कम लाभ मार्जिन पर कार्य करता है। इसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर बेरोजगारी होगी और फैक्टरी बंद होंगी।

- vi ब्लेडर के उपयोग के लिए आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए आईआईआर के उपयोग के फलस्वरूप ब्लेडर के जीवन-काल में 40% की हानि होगी। चूंकि यह सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, अतः इसके फलस्वरूप संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो टायर बनाने के दौरान मानव जीवन को हानि पहुंचा सकता है।
- vii. चूंकि घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि ब्लेडर में अनुप्रयोग मात्रा का केवल 10% है, किसी अपवर्जन पर प्रभाव भी बहुत कम होगा और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाएगा।
- viii. प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खरीद में वृद्धि की है और आयात कुल खरीद का केवल 20-30% है। हालांकि, प्रयोक्ताओं का घरेलू उत्पाद के संबंध में कुछ व्यापारी चिंताएं हैं।
- ix. घरेलू उद्योग, घरेलू आपूर्ति पर अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है जो घरेलू उद्योग की एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि प्रयोक्ता को इस उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण उच्च लागतों का सामना करना पड़ सकता है।
- x. इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रयोक्ता को घरेलू उद्योग के उत्पादन में किसी रुकावट की स्थिति में हानि उठानी पड़ सकती है। संबद्ध देशों में उत्पादक अपनी आपूर्ति अन्य वैश्विक बाजारों को किए होते। गैर-संबद्ध देशों से आयात भी एक विकल्प नहीं है क्योंकि जापान में सीमित क्षमता के कारण भारत को आईआईआर का निर्यात करना बंद कर दिया है जबकि आस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने निर्माण सुविधाएं बंद कर दी हैं।
- xi. घरेलू उद्योग के इस तर्क के ठीक विपरीत कि फीड-स्टॉक संयंत्र को स्थापित करने के संबंध में बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया गया है, आरआईएल का पहले से ही एक मिथाईल टरसरी बुटाइल इथर (एमटीबीई) सुविधा थी और केवल निवेश मिथाईल टरसरी बुटाइल इथर (एमटीबीई) को हाई प्र्युरिटी आइसोबुटाइलीन (एचपीआईबी) में परिवर्तन तक सीमित था।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

177. घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक भारत में आईआईआर का उत्पादन शुरू करने वाला पहला उत्पादक है। आईआईआर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी निःशुल्क रूप से उपलब्ध नहीं थी और बहुत अधिक बाधाओं का सामना आवेदक द्वारा भारत को उच्च प्रौद्योगिकी लाने के लिए किया गया है।
- ii. जबकि यह परियोजना लाभप्रद थी जब परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, वैश्विक स्तर पर उत्पादकों ने भारत में इस उत्पाद का पाटन शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप आईआईआर और एचआईआईआर की कीमतों में तीव्र गिरावट आई। बहुत अधिक निवेश करने के बाद स्थापित परियोजना भारत में गहन पाटन के कारण गैर-अर्थक्षम हो गई है।
- iii. उपभोक्ता पाटनरोधी के लगाए जाने से चिंतित नहीं हैं क्योंकि केवल सीमित उपभोक्ताओं उत्तर प्रस्तुत किया है। जबकि एटीएमए ने भाग लिया है, उपभोक्ता इस जांच के बारे में पूरी तरह से अवगत थे परंतु पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के किसी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के उद्देश्य से ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- iv. जबकि भारत में एसबीआर की कोई आपूर्ति नहीं हुई थी और पाटनरोधी शुल्क क्षमताओं को स्थापित किए जाने के बाद एसबीआर के आयातों पर लगाया गया था। इसके फलस्वरूप, भारत इस उत्पाद में आत्मनिर्भर बन गया था। इसी प्रकार का शुल्क इस वर्तमान मामले में भी अपेक्षित है, विशेषकर क्योंकि आईआईआर का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी को निकटता से देखा जाता है।

- v. टायर उद्योग का 2029 तक 256.24 मिलियन की मात्रा तक पहुंचते हुए 5.54% का सीएजीआर है। टायर के एक लघु कच्चे माल पर शुल्क लगाए जाने का क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।
- vi. आवेदक द्वारा स्थापित ये क्षमताएं भारत में दीर्घ अवधि की मांग को ध्यान में रखकर हैं। भारत में क्षमताएं भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- vii. वैश्विक स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के केवल 10 उत्पादक हैं। भारत में घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। यदि घरेलू उद्योग अपने संयंत्र बंद कर देते हैं तब उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा।
- viii. भारतीय उत्पादकों के विपरीत, सिंगापुर जैसे देशों में उत्पादकों के पास वास्तव में बिना किसी घरेलू खपत के उत्पादन सुविधाएं हैं और ऐसी क्षमताओं का उद्देश्य केवल निर्यात करना है।
- ix. इस परियोजना की अवधारण के समय से, आईआईआर के लिए प्रमुख कच्चे माल पर डेल्टा बहुत अधिक था। घरेलू उत्पादन की स्थापना के कारण ऐसे डेल्टा में गिरावट आई है।
- x. यदि घरेलू उत्पाद को आयात किए गए उत्पादों की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है तब बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को संरक्षित रखा जाएगा और यह भुगतान के अनुकूल संतुलन के प्रति एक कदम होगा।
- xi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अपनी लागत वसूल करने, लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने और बाजार में बने रहने की अनुमति मिलेगी।
- xii. आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने में इस देश की कल्पना और लक्ष्य इस देश में हो रहे पाटन का निवारण करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।
- xiii. घरेलू उद्योग से खरीद करने के फलस्वरूप बाजार में सही कीमतों की स्थिरता, बिना किसी बाधा के आपूर्ति, डाउनस्ट्रीम उद्योग का विकास और प्रयोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार बनेगा।
- xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत, यह प्रभाव अंतिम उत्पाद के आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि ट्यूब के निर्माता लागत में वृद्धि को नहीं सहन करेंगे बल्कि कीमत में वृद्धि अपने उपभोक्ताओं पर डालेंगे। प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस उत्पाद की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप अलग अलग है और इस कारण से ऐसे प्रयोक्ता कीमत में उतार-चढ़ाव के अभ्यस्त हैं।
- xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के विपरीत, उत्पादक के ट्यूब का राजस्व 100 करोड़ों से भी अधिक है और ये एमएसएमई के नहीं हैं।
- xvi. यदि कैप्टिव खपत पर विचार भी किया जाता है तब घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- xvii. संबद्ध देशों में उत्पादक अपने उत्तर के अनुसार अनुचित कीमत निर्धारण व्यवहार में लिप्त हैं। इस कारण से, यह शुल्क बाजार में किसी अनुचित कीमत निर्धारण के प्रभाव को निष्क्रिय करने के सीमित उद्देश्य को ही पूरा करेगा।
- xviii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप बाजार में एकाधिकार उत्पन्न होगा क्योंकि यह भारत में आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस मामले में भी, घरेलू उद्योग ऐसे व्यवहार में लिप्त है, प्रयोक्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

178. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप एकाधिकार और प्रयोक्ताओं के लिए उच्चतर कीमतें होंगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाना केवल यह सुनिश्चित करता है कि भारत में उचित कीमतें निर्धारित हों और यह आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर सीमित संख्या में उत्पादक हैं और प्रमुख रूप से संबद्ध देशों में सभी उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। प्राधिकारी ने

पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर और न कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया है। ऐसी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उचित बाजार कीमतें सुनिश्चित होंगी।

179. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन के शुरु होने के पहले भारत में उच्चतर थी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में पाटन की अनुचित कार्य-पद्धति का निवारण होगा और सभी उत्पादकों के लिए यह समान अवसर सुनिश्चित करेगा।
180. आर्थिक हित प्रभावली (ईआईक्यू) उत्तर एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन उत्तरों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई समय सीमा के समाप्त होने के बाद बहुत देर से प्रस्तुत किए गए थे। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए प्राधिकारी द्वारा किए जा रही विभिन्न जांचों में भाग लेता रहा है और यह स्वयं पाटन और सब्सिडी कानूनों के अंतर्गत राहत मांग करने वाला एक आवेदक रहा है। इस कारण से, कार्यवाहियों के ऐसे विलंबित चरण में प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे विलंबित उत्तर के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं दिए गए हैं। इस कारण से, प्राधिकारी ने एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि ईआईक्यू किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं करता है जो वर्तमान मामले में स्थापित तथ्यों में किसी परिवर्तन को आवश्यक बनाए।
181. जहां तक बेल्जियम और आस्ट्रिया से आयातों के संदर्भ का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात का आंकड़ा इन देशों से आयातों को दर्शाता है। यह मानना उपयुक्त है कि इन देशों से सामग्री की आपूर्ति की है। हालांकि, प्राधिकारी ने इन पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है कि इन देशों के पास कोई उत्पादन क्षमताएं नहीं हैं। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह वर्तमान प्रकटन विवरण में स्थापित आवश्यक तथ्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने टायरों के एक सैट के रूप में उपयोग किए जाने वाले ट्यूबों की कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने ट्यूब की लागत और कीमत पर शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का अधिकांश रूप से उपयोग ट्यूब के उत्पादन में किया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना दर्शाती है कि आईआईआर के कारण लागत ट्यूब में अधिक है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्यूब का अनिवार्य रूप से उपयोग टायरों के साथ किया जाता है जबकि टायरों का उपयोग ट्यूब के बिना किया जाता सकता है। इसके अलावा, अधिकांश ट्यूब की बिक्री टायरों के साथ की जाती है। यह नोट किया जाता है कि ट्यूब के कारण लागत टायर, ट्यूब और फ्लैप के सैट की कीमत की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, जहां तक अंतिम उत्पाद में आईआईआर की खपत का प्रश्न है, आईआईआर के कारण लागत टायर सैट की समग्र लागत का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद के कारण लागत ट्यूब की कीमत में बहुत अधिक हिस्सा बनता है।
183. रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप भारत में एकाधिकार उत्पन्न होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी अनेक जांच रही हैं, जहां पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, यद्यपि देश में एकमात्र उत्पादक और भारत से बाहर एकमात्र आपूर्ति करने वाला देश था। ऐसी स्थिति में बाजार की एकाधिकारवाद की कोई शिकायतें नहीं थी। किसी भी मामले में प्रयोक्ता प्रतिस्पर्धा आयोग तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं यदि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार में लिप्त होता है अथवा अंतरिम समीक्षा की मांग करता है। यदि हितबद्ध पक्षकार यह पाते हैं कि कीमतें अतार्किक हैं।
184. इस तर्क के संबंध में कि प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया नहीं होने पर किया गया विश्वास सही नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत की गई थी और उसे इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था। चूंकि प्रयोक्ता संघ (एटीएमए) ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, यह तर्कसंगत रूप से आशा की जाती है कि इस उत्पाद के प्रयोक्ता को जांच की जानकारी थी। प्रयोक्ता को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के किसी प्रतिकूल प्रभाव को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए

- गए थे। हालांकि, सीमित संख्या में प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में आर्थिक हित प्रभावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और ये उत्तर इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बड़े प्रभाव को सिद्ध नहीं करता है।
185. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रभाव का मूल्यांकन ट्यूब पर और न कि टायरों पर किया जाना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग ट्यूब का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसका आगे उपयोग टायरों के साथ किया जाता है। इसके अलावा, ट्यूब अपने आप में टायरों की कीमत का एक छोटा हिस्सा है।
186. प्रयोक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत कच्चे तेल की कीमत पर आधारित है और चूंकि कच्चे तेल की कीमत घटती बढ़ती रहती है, आईआईआर की कीमत भी नियमित रूप से घटती-बढ़ती रहती है और इस तरह की अस्थिरता भारत में प्रयोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है। विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में लगभग 50% तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के मामले में कीमत में वृद्धि (अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री के लिए) लगभग 45% थी। डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कीमत में वृद्धि के किसी सतत प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए यह पर्याप्त था। हालांकि यह देखा जाता है कि न तो खपत में गिरावट आई है और नहीं घरेलू उद्योग ने आईआईआर की कीमत में वृद्धि के किसी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में पैरा 161 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।
187. इस तर्क के संबंध में कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई का एक हिस्सा है और इसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण हानि होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, विनिर्माता बड़ी कंपनियां हैं और एमईएमएस क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनता है। उत्तर देने वाले प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की तुलना में बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिसका बहुत अधिक निवेश और कारोबार है। इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अर्जित निरंतर लाभ को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में उचित कीमतों को केवल सुनिश्चित करेगा और यह किसी भी उद्योग चाहे वह एमएसएमई हो अथवा कोई अन्य के हित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगा।
188. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप ट्यूब की लागत में वृद्धि होगी और ऐसे उत्पादों का आयात होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षति की अवधि के दौरान आईआईआर की आयात कीमतों में 50% वृद्धि होने के बावजूद, प्रयोक्ता उद्योग ने या तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पर अथवा व्यापक रूप से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया है। दूसरी ओर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संभवतः अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण किया जाएगा।
189. सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए इस उत्पाद के उपयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में तथा निर्यात बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पहले ही आपूर्ति की है और वह भी पर्याप्त मात्राओं में की गई है तथा अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं से घरेलू उद्योग के उत्पाद के उपयोग के कारण समझौता किया गया। सत्यापन के समय, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि आरंभ से उनके द्वारा बेची गई संचयी उत्पादन लाखों ट्यूब का उत्पादन किया होता और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना दी गई थी।
190. इस तर्क से संबंध में कि घरेलू उद्योग मर्चेट बाजार की तुलना में अपनी निजी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार तथा कैप्टिव खपत को पूरा करने के लिए 1,20,000 एमटी की कुल क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा एचआईआईआर के लिए स्थापित क्षमता लगभग 60,000 एमटी है। जबकि एचआईआईआर के आयातों की समानांतर पाटनरोधी जांच चल रही है, यदि अनुमानित प्रदर्शन पर विचार भी किया जाता है, तब प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचआईआईआर के लिए घरेलू उद्योग की अनुमानित क्षमता उपयोग ***% है। चूंकि आईआईआर और एचआईआईआर के बीच परिवर्तनकारक 1:1 है, घरेलू उद्योग के पास

लगभग ***एमटी की अतिरिक्त क्षमताएं हैं जो भारत में मांग का 97% तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के फलस्वरूप भारत में संबद्ध वस्तुओं की अनुपलब्धता नहीं होगी।

191. इस तर्क के संबंध में कि आरआईएल के पास पहले ही मिथाइल टरसरी बुटाइल इतर (एमटीबीई) सुविधा थी और उच्च शुद्धता वाली आइसोबुटाइलीन (एचपीआईबी) में परिवर्तन के लिए सीमित निवेश किया गया है, प्राधिकारी मौके पर सत्यापन के समय घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि आरआईएल में अप-स्ट्रीम उत्पाद में *** करोड़ रु. का निवेश किया है। यह राशि मामूली नहीं है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच आईआईआर के पाटन और आईआईआर के संबंध में और न कि फीडस्टॉक के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के संबंध में हुई है। अतः, फीडस्टॉक में निवेश वर्तमान जांच के संगत नहीं है।
192. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयातों के अन्य स्रोत गैर-अर्थक्षम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 में आयातों का 20% गैर-संबद्ध स्रोतों से हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए क्षमता है।
193. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू निर्माण को संरक्षण प्रदान किया जाए। विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पाद से शुरू होने के पूर्व अपेक्षाकृत अधिक थी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसे बहुत अधिक हानि हुई है और इसने लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है और यह संयंत्र ऐसी स्थिति में गैर-अर्थक्षम हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रचालनों को बंद किए जाने की स्थिति में, प्रयोक्ता पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाएंगे।

ब. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

प्राधिकारी ने 21 जून, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच उस सीमा तक की है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया। कोई भी अनुरोध जो पूर्व के अनुरोध को केवल फिर से प्रस्तुत किया गया था और जिसकी समुचित रूप से जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी, को संक्षिप्तता के वास्ते दोहराया नहीं गया है।

ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

194. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
 - i. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
 - ii. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
 - iii. उत्पाद के अपवर्तन के संबंध में एटीएमए द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों को विलंबित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किए जाने और मौखिक सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन अधिसूचना में अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह एक राजपत्र दस्तावेज नहीं है और प्रारंभिक जांच परिणामों में भी, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है क्योंकि उन्हें उत्पाद के अपवर्तन के लिए अनुरोध करने हेतु उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिये गए थे।
 - iv. ब्लेडर अनुप्रयोग के लिए आईआईआर के अपवर्जन और तकनीकी विवरण के लिए अनुरोध एक्सोन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए गए ईक्यूआर में किया गया था।

- v. विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट ग्रेड का आयात टायर प्यूरिंग ब्लेडर का निर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध वस्तुओं के नियमित ग्रेड की गुणवत्ता की दृष्टि से और अनुपयुक्तता के कारण एटीएमए के सदस्यों द्वारा आयात किया गया है।
- vi. प्राधिकारी ने एक ग्राहक को बिक्री तथा ब्लेडर के अनुप्रयोग के लिए इसके संतोषजनक फीडबैक पर विश्वास किया है। आवेदक ने भारत में प्रमुख ओईएम, जो ब्लेडर के लिए आईआईआर का उपयोग करते हैं, से संपर्क नहीं किया है जो इस उत्पाद की अनुपयुक्तता को दर्शाता है। आवेदक अपवर्जन अनुरोधों को नहीं मानने के लिए गैर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के वास्ते ब्लेडर के निर्माण के लिए आईआईआर की कम मात्रा की आपूर्ति की होगी। प्राधिकारी को क्रेता द्वारा खरीदी गई मात्रा; डेटा का आकार और ब्लेडर के निर्माण की इसके कार्यकलाप; खरीदी गई मात्रा का वास्तविक उपयोग; क्षति की अवधि के दौरान ऐसी खरीद की निरंतरता और जांच की अवधि; क्रेता द्वारा निर्मित ब्लेडरों के प्रकार और आकारों की अवश्य जांच करनी चाहिए।
- vii. चूंकि विशिष्ट ग्रेडों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी को इस तथ्य की अवश्य जांच करनी चाहिए कि क्या नियमित और विशेष ग्रेड "समान वस्तु" हैं। एक्सोन मोबिल ने अपेक्षित उत्पादन सुविधाओं में अंतर का विवरण और उनके कारण दिए हैं कि क्यों आवेदक उसका निर्माण करने में सक्षम नहीं है।
- viii. एक्सॉनमोबिल समूह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास डंप की गई वस्तु के रूसी उत्पादक/निर्यातकों के साथ अपने अंतर्निहित संबंधों के कारण एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, और इसलिए, जांच शुरू से ही समाप्त कर दी जानी चाहिए थी।
- ix. विवाद हमेशा रिलायंस से याचिकाकर्ता द्वारा HPIB और ऊर्जा की किसी भी संबंधित पार्टी खरीद को वीटो करने के लिए SIBUR की शक्ति के बारे में रहा है, न कि क्या SIBUR याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पहचाने गए स्रोत से HPIB खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है। रिलायंस के साथ आइसोब्यूटिलीन आपूर्ति अनुबंध तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि एसआईबीयूआर याचिकाकर्ता के एओए के संदर्भ में अपनी मंजूरी नहीं देता है जो इसके व्यवसाय के संचालन और इसके आंतरिक मामलों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह प्रमुख इनपुट और ऊर्जा की याचिकाकर्ता की खरीद पर SIBUR के नियंत्रण को दर्शाता है।
- x. विनिर्दिष्ट शीट, मासिक उत्पादन और मालसूची के आंकड़े जिन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ बाद के चरण में साझा किया गया था, की अवश्य उपेक्षा की जानी चाहिए।
- xi. प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए एक दूसरे के स्थान पर का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। इस तथ्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या आवेदक के संयंत्र और मशीनरी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर अलग अलग ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है अथवा क्या प्रयोक्ता ट्यूब और ब्लेडरों का उत्पादन करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर उसी श्रेणी का उपयोग कर रहे हैं।
- xii. आइसोब्यूटाइलीन आपूर्ति संविदा को एसआईबीयूआर के अनुमोदन के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। यह प्रमुख इनपुट और ऊर्जा की खरीद पर नियंत्रण को दर्शाता है।
- xiii. प्राधिकारी ने आवेदक और रूस के उत्पादक के सहयोगी प्रयासों की जांच करने में रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट पर विचार नहीं किया है। जांच की अवधि के पिछली दो तिमाहियों में रूस से कोई आयात नहीं हुआ था।
- xiv. एक ही समय में निर्यातकों की अलग अलग कीमतों को दर्शाने वाला आयात आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- xv. परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी की इस जांच का खंडन करते हैं कि वर्तमान जांच में कोई वास्तविक शिथिलता नहीं है। चूंकि इस दावे को प्रकटन चरण में फिर से प्रस्तुत किया गया, अतः अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका खंडन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

- xvi. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में विनिर्देशन से अलग सामग्री का 10-20% बिक्री की है, यह दर्शाता है कि आवेदक की उत्पादन प्रक्रिया अब भी अस्थिर है, और इस प्रकार विनिर्देशन से अलग होने के कारण क्षति को अलग अलग किया जाना चाहिए और गैर-आरोपण विश्लेषण में उस पर विचार किया जाना चाहिए।
- xvii. कोविड, स्टार्ट-अप संबंधी मुद्दों, वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमताएं, फीडस्टॉक की कीमतों में परिवर्तन, उत्पादों का अनुमोदन देने में विलंब और उत्पाद ग्रेडों की सीमित रेंज तथा आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्रों के एकीकरण जैसे कारकों के कारण क्षति अलग अलग की जानी चाहिए।
- xviii. प्राधिकारी न पिक एंड चूज दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले को वास्तविक क्षति के मामले के रूप में विचार करते हुए तिमाही आधार पर कच्चे माल का ईष्टतम उपयोग, उपयोगिताओं और क्षमताओं पर विचार नहीं किया है लेकिन उन्होंने परियोजना रिपोर्ट की तुलना वास्तविक प्रदर्शन से की है। प्राधिकारी ने पीयू लैटर से संबंधित जांच में तिमाही आधार पर कच्चा माल का ईष्टतम उपयोग, उपयोगिताओं और क्षमताओं पर विचार, यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि से दो वर्ष पूर्व उत्पादन शुरू किया।
- xix. जबकि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव किया है कि मात्रा संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग को केवल कीमत संबंधी क्षति हो रही है।
- xx. यह निष्कर्ष कि घरेलू बिक्री में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि से कम थी, इस तथ्य के आलोक में सही नहीं है कि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। वर्तमान मामले में मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है।
- xxi. यह निष्कर्ष कि घरेलू उद्योग आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश था, सही नहीं है क्योंकि कीमत में कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के उसके अपने निर्णय के कारण है।
- xxii. प्राधिकारी को क्षति के निर्धारण के लिए विश्लेषण की अवधि के संबंध में एकमात्र दृष्टिकोण बनाए रखना है। जबकि प्राधिकारी ने कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के निर्धारण के लिए 2019-20 को बाहर रखा है, इसे क्षति के निर्धारण में शामिल किया गया है।
- xxiii. प्राधिकारी को ह्रास/न्यूनीकरण के लिए 2020-21 को भी निकाल देना चाहिए क्योंकि लागत और कीमत कोविड-19 और विनिर्देशन से अलग सामग्री से अधिक उत्पादन के कारण इस वर्ष में असामान्य था। यदि 2020-21 पर विचार भी किया जाता है तब कोई ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।
- xxiv. जबकि संबद्ध आयातों की मात्रा 2019-20 में अधिकतम थी और इस अवधि में कोई ह्रास नहीं हुआ था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जांच की अवधि में आयातों की कमतर मात्रा घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोक सकता है।
- xxv. घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजारों में कोई कीमत न्यूनकारी प्रभाव नहीं होने के बावजूद घाटे पर निर्यात किया और इस प्रकार यह जांच की कि घरेलू उद्योग की कीमतों का घरेलू बाजार में ह्रास हुआ था, सही नहीं है।
- xxvi. कोविड के प्रतिकूल प्रभाव को घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2022 की 10वीं वार्षिक आम सभा में स्वीकार किया गया है।
- xxvii. यह कथन कि एचआईआईआर और आईआईआर संयंत्र पूरी तरह से अलग हैं, सही नहीं है।
- xxviii. रूस की कीमत की प्रवृत्तियां जिस पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है, सही नहीं हैं और उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए।

- xxix. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट के संशोधन का वर्ष और मासिक उत्पादन का अगोपनीय रूपांतर साझा नहीं किया गया है।
- xxx. निवेश पर 22% प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग के हाल के प्रतिफल और न कि अनुमानित प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए।
- xxxi. अनेक उपभोक्ता कम कीमत वाले पैसंजर वाहनों के लिए ट्यूब की खरीद करते हैं। इस उत्पाद का उपयोग वाणिज्यिक वाहनों में किया जाता है और सामान्य तौर पर ट्रक अथवा बसों के लिए टायरों को लगभग 7 बार टायरों के जीवन-काल में रिशेड किया जाता है और ट्यूब को बदला जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाना इन ट्यूबों की लागत में वृद्धि करेगा, जो प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- xxxii. प्राधिकारी ने आइआईआर के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू के उत्तरों की प्रभाव के विश्लेषण के वास्ते उपेक्षा की है।
- xxxiii. यह जांच परिणाम भी विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन के शुरु होने के पूर्व उच्चतर थी, त्रुटिपूर्ण और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल है।
- xxxiv. आवेदक का संबंध आरआईएल ग्रुप से है, जिसने ऐतिहासिक रूप से बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करने और बाजार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों को जानबूझकर कम रखा है। अतः, इन हानियों से बचा जा सकता था यदि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों के करीब के स्तर पर कीमत लगाई गई होती।
- xxxv. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किए जाने के बाद किसी भी तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। यदि, आंकड़ों की पर्याप्तता के संबंध में कोई चिंताएं थीं तो उसे प्रारंभिक जांच परिणामों में व्यक्त किया जा सकता था। प्राधिकारी के पास भारत को लदान किए गए कुल मात्राओं तथा आयातकों को अंतिम कीमत की पूरी जानकारी है, यदि मध्यवर्तियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं भी किया हो। सहयोगी निर्यातकों को उन बातों के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। विगत में प्राधिकारी ने तब भी उत्तरों को स्वीकार किया है जब संबंधित पक्षकारों ने इसमें भाग लिया है।
- xxxvi. सामान्य मूल्य के संबंध में एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पूर्ण है और उस पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने जिप्सम बोर्ड/लेमिनेशन के साथ टाइल्स में निर्यातकों में से एक निर्यातक की निर्यात कीमत को स्वीकार किया था, यद्यपि सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना अस्वीकार कर दी गई थी।
- xxxvii. प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर कीमत अंडरटेकिंग को अस्वीकार किया है कि अगोपनीय रूपांतर पर्याप्त नहीं था, हालांकि निर्यातक ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके ऑपरेटिव हिस्से के बारे में पूर्ण रूप से बता दिया था और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।
- xxxviii. एनकेएनएच ने संशोधित अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है और वह प्राधिकारी को उसे स्वीकार करने का अनुरोध करता है।
- xxxix. प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि उचित लाभ मार्जिन के रूप में 5% माना गया है। ईएमपीपीएल, ईएमपीएससी और केमिया के लिए उत्पादन की लागत में दावा किए गए समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए।
- xl. प्राधिकारी ने पहुंच कीमत के सऊदी अरब की कीमत से कम होने के बावजूद भाग न लेने वाले चीन के उत्पादकों को कमतर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों के विपरीत उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों का विकल्प चुना है।

- xli. चूंकि सभी लागतें और कीमतें प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में प्रकटन विवरण में वही थी, क्षति रहित कीमत में वृद्धि का कोई कारण नहीं है जिसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई हो।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

195. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

- i. निर्यातकों द्वारा दी जा रही बीजक बनाने के बाद की छूट, एक ही समय में उसी उपभोक्ता को उसी निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की पहुंच कीमत में बहुत अधिक अंतर और क्रेडिट लागतों जिन्हें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में शामिल नहीं किया गया है परंतु पहुंच कीमत में शामिल किया गया है, पर कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।
- ii. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में न्यूनतम प्रचलित कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य है। उसी निर्यातक द्वारा कीमतों में परिवर्तन के कारण, औसत आधार पर कीमत में कटौती की जांच भ्रम उत्पन्न करने वाली है।
- iii. निर्यातकों ने बीजक बनाने के बाद की सभी छूटों की सूचना नहीं दी है और इसका सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसी छूट के कारण, ग्राहकों की खरीद कीमत संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से कमतर है। इसके अलावा, भुगतान का प्रमाण भी निर्यातकों द्वारा बीजक मूल्य का समर्थन करने के लिए नहीं दिया गया है।
- iv. भारत में अनेक उपभोक्ताओं ने संबद्ध देशों में खरीद संबंधी प्रविष्टियों को संबद्ध किया है जो इस उत्पाद के उत्पादकों से कमतर कीमतों पर खरीद करते हैं और भारत को उच्चतर कीमतों पर निर्यात करते हैं। पहुंच कीमत इन उत्पादकों और न कि निर्यातकों द्वारा वसूली जाने वाली कीमत पर आधारित होना चाहिए।
- v. उच्चतर कीमतों पर आयात इस बाजार में इस उत्पाद की बिक्री करने में घरेलू उद्योग के लिए संगत नहीं है। कीमत में कटौती का निर्धारण केवल उन लेनदेन पर आधारित होना चाहिए जहां आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।
- vi. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का भी निर्धारण इस अवधि में स्टार्ट-अप लागतों और अक्षमताओं के लिए समायोजन करने के बाद 2019-20 को विचार करते हुए किया जाना चाहिए।
- vii. आवेदक ने स्टार्ट-अप प्रचालनों के लिए समायोजन के बाद उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है। उसका निर्धारण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने सत्यापित सूचना पर विचार किया है और क्षति की अवधि में अधिकतम क्षमता उपयोग पर लागत की गणना की है। इस लागत की गणना बंद करने के दिनों को छोड़ने के बाद की गई है। कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत का निर्धारण क्षति अवधि में सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित और संगत अवधि में लागत पर विचार करते हुए किया गया है।
- viii. समायोजित लागतों के आधार पर, बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों में वृद्धि से कम वृद्धि हुई है और पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमत उस हद तक बढ़ाने से रोका है जिस हद तक आयातों के न होने पर कीमतें बढ़ गई होती।
- ix. घरेलू उद्योग को क्षति की जांच स्टार्ट-अप लागतों के लिए समायोजन करने के बाद किया जाना चाहिए। स्टार्ट-अप लागतों के लिए समायोजन करने के बाद यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग की प्रति इकाई हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार, उत्पादन में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग को उच्चतर हानि हुई है। निवेश पर प्रतिफल न्यूनतम है और नकद हानि जांच की अवधि में अधिकतम है। यदि स्थिति में बदलाव नहीं आता है तब यह घरेलू उद्योग के संयंत्र को गैर-अर्थक्षम बना देगा।
- x. यह नियमावली लाभ का और न कि प्रति इकाई लाभ का उल्लेख करता है। घरेलू उद्योग की सकल हानि पर क्षति के विश्लेषण के लिए विचार किया जा सकता है।

- xi. यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग के सभी मापदंड क्षति को अवश्य दर्शाएं। प्राधिकारी संबद्ध आयातों के पाटन के कारण गिरावट को दर्शाने वाले एकमात्र आर्थिक मापदंड के मामले में भी क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि यह मान भी लिया जाता है कि प्रति इकाई हानि में गिरावट भी आई है, तब नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है।
- xii. चूंकि घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में क्षति स्टार्ट-अप लागतों तथा संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई थी, अतः कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए स्टार्ट-अप लागत का समायोजन करना महत्वपूर्ण है। यूएस-हॉट रोलड स्टील में अपीलीय निकाय ने यह माना कि यदि पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को अन्य कारकों के क्षतिकारक प्रभावों से अलग अलग नहीं किया जाता है तब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे कि यह क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने अपेक्षित स्टार्ट-अप लागतों और समायोजनों की सूचना दी है। पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से, उस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
- xiv. आधार वर्ष और जांच की अवधि की कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के लिए तुलना का अधिकार इस नियमावली के अंतर्गत नहीं दिया गया है और यह चीन की जनतांत्रिक गणतंत्र के मूल के फेरो मोलिब्डेनम तथा अल्जीरिया, बेलारूस, लिथुआनिया, रूस और यूक्रेन के मूल के यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट में ईसी द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार उपयुक्त नहीं होगा। मध्यवर्ती अवधि के आधार पर भी कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- xv. स्टार्ट-अप का लागतों का समायोजन किए बिना भी, घरेलू उद्योग को 2020-21 के बाद बिक्री की इसकी लागत में वृद्धि के स्तर तक अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका गया है।
- xvi. आवेदक ने परियोजना रिपोर्ट में अनेक बार संशोधन किया। जबकि यह संयंत्र उत्पादन के शुरु होने के पूर्व 2019 में अनुमानों संशोधन के बाद भी अर्थक्षम था, घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में सघन पाटन के कारण निवेश पर प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम नहीं है।
- xvii. केवल एक जांच में सभी तीनों प्रकार की क्षति की जांच पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी पहले ही जांच की गई मापदंडों के अलावा घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन के साथ अनुमानित प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं।
- xviii. इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए मापदंडों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू उद्योग की अपना लक्ष्य प्रदर्शन प्राप्त करने की अर्थक्षमता घरेलू उद्योग द्वारा पहचान किया गया एक मापदंड है। हालांकि, प्राधिकारी ने यह कहते हुए न तो सूचना को अस्वीकार किया है कि यह अनुमत्य नहीं है जिसने इस संबंध में सूचना का विश्लेषण किया है।
- xix. घरेलू उद्योग अपने अनुमानित प्रदर्शन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। जबकि घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल का अनुमान लगाया है, इसे हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग भी इसके लक्षित प्रदर्शन से कम है।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

196. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जाँच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियाँ पुनरावृत्ति की हैं जिनकी अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से पहले ही जांच कर दी गई है और उन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।
197. जहां तक टिप्पणियाँ दायरे करने के लिए दिए गए समय का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो भारतीय नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ करार में किसी न्यूनतम समय का प्रावधान है जिसे टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के

लिए पक्षकारों को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ हितबद्ध पक्षों ने अतिरिक्त समय मांगा था जो प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। एटीएमए ने उत्तर दायर करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मांगा। किसी भी दशा में, एटीएमए ने व्यापक अनुरोध दायर किए हैं, और उन पर वर्तमान निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। एटीएमए ने इस संबंध में उनके प्रति हुआ कोई पूर्वाग्रह नहीं दर्शाया है।

198. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्रारंभिक जांच परिणामों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा कानूनी आधार के बिना है। प्रारंभिक जांच परिणाम जांचों में एक चरण है और यदि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के चरण में कुछ तथ्य पहले से ही स्थापित किए हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों को उन तथ्यों पर पुनर्विचार अथवा समीक्षा के लिए कारण दर्शाने चाहिए। यह तथ्य कि अभी तक प्रारंभिक जांच परिणामों पर वित्त मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया है, पूर्णतः। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में कुछ जांच की हैं, अतः उसे प्रकटन विवरण में पुष्ट किए जाने का प्रस्ताव है और इस अंतिम जांच परिणाम में निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला गया है। न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और संक्षिप्तता भी यह मांग करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज किए गए तथ्य और कारणों का विवरण की प्रकटन अथवा अंतिम जांच परिणामों में एक बार फिर पुनरावृत्ति न हो।
199. उत्पाद को अलग करने के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपनी-अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया था और उन टिप्पणियों पर विचार करने के बाद जांच की गई है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और प्राधिकारी के विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के चरण तक एपीए द्वारा कोई टिप्पणियां दायर नहीं की गई थीं। पाटनरोधी जांच प्रकृति में समयबद्ध है और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी एटीएमए से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर करने का अनुरोध करने वाली कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह भी एटीएमए अथवा कानूनी परामर्शदाता का मामला नहीं है कि कोई भी कानून के तहत प्रक्रिया अथवा अपेक्षाओं के संबंध में अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार, क्षेत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दायर की गई टिप्पणियों पर देरी से विचार किया जाता है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा किए गए दावे की जांच की है और इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में इसकी जांच की है।
200. इस अनुरोध के संबंध में कि टायर क्योरिंग ब्लैडर के विनिर्माण के लिए विशेषीकृत ग्रेड का आयात किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे विशेषीकृत ग्रेड की कोई विशिष्टियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में जांच की गई है, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में तथा निर्यात बाजार में टायर क्योरिंग ब्लैडर के विनिर्माण के लिए उत्पाद की आपूर्ति की है और उसके लिए सकारात्मक फीडबैक प्राप्त किया है। इस प्रकार, इस उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
201. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के आधार पर वर्तमान मामले की जांच नहीं की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के चार वर्षों से प्रचालन हों, प्राधिकारी ने अनुबंध-III के प्रावधानों को निरंतर लागू किया है, जिसमें प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि जांच अवधि में खपत कारकों पर विचार करें और पूर्व वर्षों के साथ उनकी तुलना करें। इसे वर्तमान मामले में अपनाया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, क्षतिरहित कीमत की मात्रा में अदृढ़ता नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि कच्ची सामग्री, उपयोगिताओं अथवा उत्पादन क्षमताओं को ईष्टतम बनाने का कार्य तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब अनुबंध-III में जांच अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार किए जाने और पूर्व तीन वर्षों के साथ तुलना किए जाने का स्पष्ट रूप से प्रावधान है। वस्तुतः, वर्तमान मामले में तिमाही खपत कारकों पर विचार किया जाना अनुबंध-III के प्रावधानों के सीधे ही असंगत होता। जहां तक पीयू लैडर मामले के संदर्भ का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रत्येक मामले में उस मामले में विद्यमान विशिष्ट तथ्यों और

परिस्थितियों में विचार किया जाना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं सिद्ध किया कि दोनों मामले कैसे तुलनीय हैं और किसी विशेष मामले में उनको लागू करना कैसे संगत, उपयुक्त और आवश्यक है। प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि पीयू चमड़े के मामले में एक विस्तृत पीसीएन शामिल था, जिसे सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता थी, वही वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

202. घरेलू उद्योग के उत्पाद की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच पत्राचार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त पत्राचार दो पक्षों के बीच है और घरेलू उद्योग के साथ पत्राचार नहीं है। जब तक घरेलू उद्योग को संबोधित करके कोई पत्राचार नहीं होता, तब तक यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद अथवा इसके निष्पादन की गुणवत्ता के संबंध में उस पत्राचार का उत्तर देगा देगा। यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के उत्पादक को घरेलू उत्पाद में पाए गए तथाकथित अंतरों के लिए वास्तविक स्थिति और कारण को स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं दिया गया था। यह किन्हीं अन्य कठिनाइयों को छिपाना भी हो सकता है जिसका किसी पक्षकार द्वारा सामना करना पड़े। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की जानकारी के बिना दो पक्षकारों के बीच तथाकथित रूप से लिखा गया पत्राचार यह सिद्ध नहीं करता है कि घरेलू उद्योग ब्लैडर एप्लीकेशन के लिए उत्पादन करने और आईआईआर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।
203. इन अनुरोधों के संबंध में कि केवल एक ग्राहक को बिक्री पर विश्वास किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में विभिन्न ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और भारी मात्रा में बिक्री दर्शायी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वही ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा ब्लैडर अनुप्रयोग और ट्यूब के विनिर्माण के लिए आपूर्ति किया गया है। ग्राहक ने ब्लैडर प्रयोग के लिए अपने उत्पाद के उपयोग के लिए विशेष रूप से घरेलू उद्योग को सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराई है। अतः, चूंकि घरेलू उद्योग ने ब्लैडर अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए गुणवत्ता के उत्पाद उत्पाद का उत्पादन करने और बिक्री करने में अपनी अपनी क्षमता दर्शायी है, अतः उपर्युक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
204. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विशेषता वाले ग्रेड परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी ने संगत भाग में पहले ही नोट कर लिया है कि रेगुलर ग्रेड का ब्लैडर अनुप्रयोगों तथा ट्यूबों के विनिर्माण के लिए परस्पर से प्रयुक्त किया जा रहा है। एक्सॉन ग्रुप द्वारा पहचाने गए विशेषता उत्पादों के संबंध में, भारत में उस उत्पाद की कोई मांग नहीं है और इसलिए, भारत में उस उत्पाद का कोई आयात नहीं है। भारत में कोई आयात नहीं होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तु के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मूनी लचीलेपन और अस्थिर स्तर की सीमा, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, एक्सॉन ग्रुप द्वारा पहचाने गए विशेषता वाले ग्रेड के समान है।
205. इन अनुरोधों के संबंध में कि विनिर्देश शीटों, मासिक उत्पादन और मालसूची आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे देरी से दायर किए गए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई विनिर्देशन तालिकाएं उन्हीं समान विनिर्देशों को दर्शाती हैं जैसा कि प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार में हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने से पूर्व साझा की गई थी। मासिक उत्पादन और मालसूची आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा याचिका के चरण में साझा किए गए थे, इस प्रकार ऐसे अनुरोध देरी से किए गए नहीं माने जा सकते किसी भी दशा में अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार, इस सूचना पर विचार करके किसी हितबद्ध पक्षकार के हित में कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है।
206. रूसी उत्पादक के साथ आवेदक के संबंध पर प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने धारा के तहत संबंध मुद्दे की फिर से जांच की है - घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति।
207. इस अनुरोध के संबंध में कि "परस्पर परिवर्तनीय" शब्द का प्रयोग स्पष्ट नहीं है, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग उसी संयंत्र और मशीनरी पर संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न ग्रेडों का विनिर्माण परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर

सकता है। इसके अलावा, उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए आईआईआर के उसी ग्रेड का प्रयोग ट्यूबों और टायर क्यूरिक ब्लाडरों के विनिर्माण के लिए किया है।

208. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है कि रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है जो घरेलू उत्पादन के प्रारंभ होने के सामान्य परिणामस्वरूप है। चूंकि रूसी आयातों ने भी वही प्रवृत्ति का अनुसरण किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक और रूसी उत्पादक के बीच किसी प्रकार का कोई सहयोगी प्रयास किया गया था।
209. आवेदक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए आंकड़े तीसरे पक्षकार की सूचना है जो प्रकट करने के लिए वह प्रधिकृत नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है और इस प्रकार, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने परियोजना की शुरुआत से कई बार अपनी परियोजना रिपोर्ट संशोधित की है। संशोधन के वर्ष व्यापार स्वामित्व वाली जानकारी है और इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं की गई है।
210. प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति के मामले के रूप में माना गया है न कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के रूप में। घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ परियोजना रिपोर्ट/अनुमानित निष्पादन की तुलना करना यह सिद्ध नहीं करता कि वर्तमान मामला वास्तविक मंदी का मामला है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा 4 में निम्नलिखित उल्लेख है:

(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय और क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मानलसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्व शामिल होंगे।

नियमावली में प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे रिकॉर्ड में लाए गए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के किसी भी मापदंड की जांच करें। उपरोक्त प्रावधान में सूचीबद्ध क्षति मानदंड पूरे नहीं हैं, बल्कि केवल व्याख्यात्मक और न्यूनतम हैं जिनकी प्राधिकारी को आवश्यक रूप से जांच करनी चाहिए। चूंकि आवेदक भारत में इस उत्पाद का एकमात्र पहला उत्पादक है, अतः वास्तविक क्षति को दर्शाने वाला अनुमानित निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना एक क्षति मानदंड के रूप में अभिज्ञातकी गड़ है अतः प्राधिकारी ने इसकी जांच की है।

211. इस तर्क के संबंध में कि ऑफ-ग्रेड उत्पाद की बिक्री को अलग किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में इसे अलग किया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया था कि क्षति अवधि में ऑफ ग्रेड उत्पाद की बिक्री कम हो गई है। यद्यपि, ऑफ-ग्रेड उत्पाद की बिक्री आधार वर्ष में अधिक थी, तथापि वह क्षति अवधि में इसमें कमी आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि ऑफ-स्पेसिफिकेशन सामग्री का कुछ उत्पादन होता है। तथापि, शुरुआत में ऑफ-स्पेसिफिकेशन उत्पादन शुरुआत में अधिक था क्योंकि संयंत्र स्वयं ही नया था। अतः, इसे समायोजित करना आवश्यक था। तथापि, ऑफ-स्पेक सामग्री का उत्पादन और बिक्री जांच की अवधि में अधिक नहीं थी। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि में ऑफ-स्पेसिफिकेशन और गुड स्पेसिफिकेशन को अलग करने की आवश्यकता नहीं थी।
212. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि अन्य कारकों के प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए, जांच की अवधि में ऐसे मापदंडों की पहचान की गई है और प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उसकी विस्तृत जांच की है।

213. यह तर्क कि घरेलू उद्योग में मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया, वास्तव में गलत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में, घरेलू उद्योग ने याचिका स्तर से ही पाटित किए गए आयातों के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले कारक के रूप में मात्रात्मक क्षति का तर्क दिया है। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से कम क्षमता, उपयोग, बढ़ती हुई मालसूची, देश में काफी मांग के बावजूद निर्यात, अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं और काफी लंबी अवधि के लिए संयंत्र की बंदी मात्रात्मक क्षति दर्शाते हुए विशेष रूप से उल्लेख किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी सुनवाई के बाद अपने लिखित अनुरोधों में भी वर्तमान मामले में मात्रात्मक क्षति की मौजूदगी को दोहराया है।
214. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी की यह जांच कि घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर रहा है, गलत है। उसके लिए कारण के रूप में नकारात्मक कीमत कटौती को कारण बताया गया है। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने कई कारकों पर उल्लेख किया है कि कीमत कटौती नकारात्मक क्यों है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग बाजार में एक नया व्यापारी होने के नाते, आयात कीमतों से कम कीमत पर बिक्री करके बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों से कम थी। इसके अलावा, जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में जांच किए गए अनुसार घरेलू उद्योग उच्चतर कीमत वाले लेनदेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, परंतु घरेलू बाजार में आयातों की न्यूनतम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर रहा है। इस प्रकार, औसत आधार पर कीमत कटौती बाजार में कीमतों पर आयात के प्रभाव का निर्धारक नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में एक नया उद्योग था जिसने 2019-20 में ही काफी मात्रा में उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, आयात कीमतों से कम कीमतों पर कथित रूप से बिक्री करने के बावजूद, घरेलू उद्योग काफी मात्रा में निर्यात करने के लिए मजबूर था, मालसूची का भंडार बनाने की समस्या उसके सामने थी और काफी अवधि तक कम उत्पादन क्षमताओं का काफी कम उपयोग और उत्पादन कर रहा था। यह तथ्य यह कि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक उत्पादन को जांच की अवधि के आरंभ में भी विलंब के रूप में घोषित करने के लिए विवश था, यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित किए गए आयातों के कारण क्षति हुई।
215. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण के लिए केवल एक सतत अवधि पर विचार करना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए पूरी क्षति अवधि पर विचार किया है। तथापि, क्षति अवधि के रूप में चार वर्ष के निर्धारण का यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकारी को जांच वर्ष की तुलना आधार वर्ष से करनी चाहिए। बीच की अवधि की भी जांच किया जाना अपेक्षित है और ये समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त वह स्थिति जिसमें हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के प्रचालन 2019-20 में स्टार्टअप प्रचालनों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए इसे अलग करना उचित माना गया था कि क्या घरेलू उद्योग पाटित आयातों द्वारा न्यूनीकृत/हासमान प्रभाव से घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टार्टअप प्रचालनों का प्रभाव उस अवधि के दौरान उच्चतर लागतों पर था। ऐसी स्थिति होने पर कीमत न्यूनीकरण/हास के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस अवधि में लागत पर विचार करना पूरी तरह से अनुपयुक्त होगा। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में हितबद्ध पक्षकार और विशेष एटीएमए ने यह तर्क दिया है कि स्टार्टअप प्रचालनों को उपयुक्त रूप से हल किया जाना चाहिए।
216. संबद्ध आयातों की मात्रा वर्ष 2019-20 में उच्चतम थी, क्योंकि पहले छह महीनों तक देश में कोई घरेलू उत्पादन नहीं हुआ था। यहां तक कि बाद छह महीनों में भी, घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादन शुरू किया और इसलिए आयात की मात्रा अधिक थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 और 2020-21 के बीच आंकड़ों पर विचार किए जाने के कारण, जो स्टार्टअप लागतों और ऑफ-स्पेक स्पेसिफिकेशन सामग्री की बिक्री के अधिक हिस्से से प्रभावित। निम्नलिखित तालिका तथ्यात्मक स्थिति दर्शाती है जब आधार वर्ष के लिए आंकड़े स्टार्ट अप लागतों और उच्च उत्पादन तथा आफ स्पेसिफिकेशन सामग्री की बिक्री के लिए समायोजित किए जाते हैं।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	2019-20 की तुलना में पी.ओ.आई में परिवर्तन
स्टार्टअप लागतों के लिए अलग करने के बाद बिक्री लागत	₹/मी.ट.	1,53,364	1,28,670	1,64,805	2,18,927	65,563
बिक्री की लागत	सूचीबद्ध	100	84	107	143	-

बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	1,13,6 54	1,16,5 92	1,38,9 96	1,74,0 84	60,429
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	103	122	153	-
ऑफ स्पेश को हटाकर लागत	₹/मी.ट.	1,31,6 65	1,29,9 79	1,51,3 34	1,87,0 22	55,357
ऑफ स्पेश को हटाकर लागत	सूचीबद्ध	100	99	115	142	-
पहुंच कीमत	₹/मी.ट.	1,35,6 78	1,28,8 82	1,53,9 15	2,05,2 67	69,589
पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	95	113	151	-

217. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि से काफी कम बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत इस अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी।
218. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार में कीमत न्यूनीकरण प्रभाव न होने के बावजूद हानियों पर निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन केवल घरेलू बाजार में परिचालनों के संबंध में किया गया है, और इस प्रकार, हानियों में निर्यात बिक्री प्राधिकारी द्वारा स्थापित तथ्य अथवा जारी जांच परिणाम को कम नहीं करते।
219. इन अनुरोधों के संबंध में कि कोविड का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में कोविड का कोई संदर्भ नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में कोविड का संदर्भ दिया है। इसके अलावा, जांच की अवधि में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि यदि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया जाए कि पिछले वर्षों में कोविड का प्रभाव था, तो घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है। इस संबंध में अनुरोधों पर विचार करने पर, हानियों की प्रवृत्ति नकद हानियां और निवेश पर आय आयातों के प्रतिकूल प्रभाव पर भी दर्शाएंगे।
220. घरेलू उद्योग ने आंकड़े दिए हैं और यह दर्शाया है कि एचआईआईआर और आई आई आर दो अलग-अलग संयंत्र हैं और एचआईआईआर संयंत्र ने उसे एकीकृत करने के लिए आईआईआर संयंत्र में उत्पादन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
221. जहां तक निवेश पर 22% आय की अनुपयुक्तता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है। इस विशेष मामले में, चूंकि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हो रही हैं, इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पिछली आय निवेश पर उपयुक्त आय की मात्रा बताने के लिए भी उपलब्ध है।
222. इन अनुरोधों के संबंध में कि आवेदक आरआईएल समूह का हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने उत्पाद की कीमतें बाजार में एकाधिकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा से कम रखता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह बाजार में सबसे कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया था, यहां तक कि यदि यह माना जाए कि वह आयात मूल्य के स्तर पर बिक्री कर सकता था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक को ऐसी स्थिति में भी घाटा हानियां हुई होतीं, क्योंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

223. इन अनुरोधों के संबंध में कि ऐसे ग्राहक हैं जो लो-एंड वाले वाहनों के लिए सीधे ही ट्यूब खरीदते हैं, , प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए ने उत्पाद के लिए कुल बाजार की तुलना में ऐसे ग्राहकों के आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह नहीं दर्शाया गया है कि ऐसे ग्राहकों की हिस्सा उन उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी की तुलना में काफी है जो टायर के साथ ट्यूब खरीदते हैं। इसी प्रकार, एक्सॉन ग्रुप ने वाणिज्यिक वाहनों के ग्राहकों के आकार के संबंध में कोई संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और यह सूचना भी नहीं दी कि आईआईआर की प्रमुख खपत करने वाले ऐसे ग्राहक कैसे हैं। प्राधिकारी ने भारत में अधिकांश उपभोक्ताओं के आधार पर प्रभाव का विश्लेषण किया है।
224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनकेएनएच की कीमत संबंधी वचनबद्धता इस तथ्य के आधार पर निरस्त की गई है कि यह ऊर्जा लागतों के उचित प्रयोग से जुड़ी हुई नहीं थी जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एक प्रमुख लागत है और कोई अलग-अलग माध्यम अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के कारण उपर्युक्त उत्पादक निर्धारित नहीं की गई थी।
225. प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस जांच में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए एक उचित लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है।
226. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसलिए एनकेएनएच के उत्तर को रद्द नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी मानते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए किसी सत्यापन के बिना स्वीकार किया गया था। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर का विस्तृत सत्यापन किया। इस सत्यापन के समय ऐसा हुआ कि प्राधिकारी निर्यातक द्वारा दायर उत्तर में काफी कमियों से अवगत हुए। वास्तव में, निर्यातक ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि प्रश्नावली का उत्तर कमी पूर्ण था था। उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को पूर्ण उत्तर दायर करने के लिए कई अवसर दिए गए थे। इसके अलावा 11 जून 2024 को प्रश्नावली के उत्तर में कमियों पर चर्चा करने के लिए उत्पादक/निर्यातक के प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत रूप से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, एनकेएनएच द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर अपूर्ण थे और उनमें आवश्यक सूचना का अभाव था। यह तथ्य कि अंतिम आयात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी, सीमाशुल्क आंकड़े संबंधित निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर की संगतता और महत्ता को कम नहीं करते। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे केवल आयातों की पहुंच कीमत ही न निकाले बल्कि कारखानागत निर्यात कीमत भी निकाले ताकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सके। इसके अतिरिक्त निर्यातक से प्रश्नावली का उत्तर निर्यात कीमत स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि भारतीय सीमाशुल्क को सूचित सीआईएफ कीमत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पर्याप्त तो निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर जहां तक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का संबंध है, निर्यातकों प्रश्नावली के उत्तर पूर्णतः अनावश्यक होते। तथापि, यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि प्राधिकारी के पास पाटन और क्षति मार्जिन स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए पूरी सूचना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्यातक ने यह नहीं दर्शाया है कि रिकॉर्ड में संगत सूचना लाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे। यद्यपि, निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि संबंधित निर्यातक की ओर से प्रश्नावली का उत्तर उसके नियंत्रण से बाहर था, तथापि, निर्यातक ने उन प्रयासों को सिद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं दर्शायी है जो संगत सूचना मंगाने के लिए किए गए थे और संगत सूचना प्राप्त करना उनके नियंत्रण से बाहर कैसे था, विशेष रूप से जब उत्पादक निरंतर और नियमित आधार पर संबंधित निर्यातक को काफी मात्रा में बिक्री कर रहा है।
227. इस प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि प्राधिकरण ने एनकेएनएच और एसआईबीयूआर द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं की अस्वीकृति के लिए वास्तविक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने पहले ही उन व्यापारियों के नाम प्रदान कर दिए हैं जिन्होंने भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी खुलासा किया है कि ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (पीटीई) लिमिटेड द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख मात्रा है। ये नंबर सीधे एनकेएनएच और एसआईबीयूआर द्वारा दायर जवाबों से लिए गए हैं और अन्य इच्छुक पक्षों से गोपनीय हैं और इसलिए सभी इच्छुक पक्षों के साथ साझा किए गए खुलासे विवरण में इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए, इच्छुक पार्टी पहले से ही प्राधिकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी से अवगत है।

इसलिए, प्राधिकरण नोट करता है कि चूंकि निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किए गए समान आंकड़ों पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए वास्तविक आंकड़ों का खुलासा न करने से एनकेएनएच या एसआईबीयूआर के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

228. प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यातक द्वारा दी गई संशोधित कीमत वचनबद्धता पर भी इस कारण से विचार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन से इनकार कर दिया है। वस्तुतः, निर्यातक ने प्राधिकारी की इस चिंता का समाधान नहीं किया है कि कीमत वचनबद्धता को उस स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जहां प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार नहीं किया गया है।
229. जहां तक गैर-भागीदारी चीनी उत्पादकों और प्रतिभागी सऊदी उत्पादकों के बीच पाटन मार्जिन में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों के लिए पाटन मार्जिन सिद्धांत ऊपर निर्धारण में पर्याप्त रूप से बताया गया है। प्राधिकारी ने प्राधिकरण के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीनी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। केवल इस कारण किसी पक्षकार ने असहयोग किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी नियम 6(8) के प्रावधानों की अनदेखी करेंगे, जिसके तहत प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे उपलब्ध तथ्यों को लागू करें।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

230. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:
- चीन जन., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबर ("आईआईआर") के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए आवेदन पत्र रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
 - विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रिन रबर (आईआईआर) है, जो कि एक सिंथेटिक रबर है, जिसका सामान्य रूप से टायरों तथा अन्य उच्च दाब ट्यूबों के लिए भीतरी ट्यूबों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। च्यूइंग गम के उत्पादन में प्रयुक्त फूड-ग्रेड आईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग किया गया है।
 - प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति अपनाई है तथा उसे अधिसूचित किया है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि आयातित तथा घरेलू उत्पाद की तुलना उचित है, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन वह उचित तुलना करके निर्धारित किए गए हैं। पीसीएन सिद्धांत सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद और विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद तैयार किया गया था।
 - संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे अधिक थी।
 - क्षति अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आई है। प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों में यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा नई उत्पादन सुविधाओं से अपना उत्पाद बेचने के लिए पेश की गई कम कीमतों का परिणाम थी। चूंकि याचिकाकर्ता एक नई कंपनी है और उसने सितंबर, 2019 में ही काफी मात्रा में उत्पादन शुरू किया और इसके अलावा चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री की मात्रा मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी, अतः याचिकाकर्ता ने कम कीमतों की पेशकश करके आयातों की कुछ मात्रा को अलग कर दिया। इस प्रकार, आयातों में गिरावट नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन की शुरुआत से घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तियां और बाजार में उसकी सामग्री बेचने के घरेलू उद्योगद्वारा प्रयास दर्शाता है। तथ्यपि, यह भी नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग अत्यधिक हानिप्रद कीमतें पेश करने के लिए मजबूर था। यह भी नोट किया गया था कि यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों से मेल खाती हुई कीमत पर उत्पाद बेचा होता तो घरेलू उद्योग को ऐसी बिक्री से भी वित्तीय हानियां हुई होती।

- vi. जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस पाटन के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है और उसे वास्तविक क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है:
- क. घरेलू उद्योग, कुल 1280 दिन (रखरखाव बंदी को छोड़कर) में से क्षति अवधि के दौरान 256 दिनों के लिए संचयी रूप से, पाटन के आरण अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए मजबूर था। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान अपने परिचालन दिवसों के लगभग 20% में बंदी का सामना करना पड़ा।
- ख. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमताओं के काफी कम उपयोग से नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा और क्षमता उपयोग, वास्तविक रूप से उससे कम हैं जो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के अभाव में हासिल कर सकता था।
- ग. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है, अतः उसका बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान बढ़ गया है। तथापि, वह कैप्टिव खपत और निर्यात बिक्री को अलग करने के बाद घरेलू उद्योग की क्षमताओं के अनुरूप नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मालसूची में वृद्धि देश में उत्पाद के लिए काफी मांग और उस अत्यधिक हानिप्रद कीमतों के बावजूद है जिस पर घरेलू उद्योग सामग्री की बिक्री कर रहा है।
- ङ. घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है। घरेलू उद्योग को हुई हानियां बढ़ती हुई बिक्री की मात्रा से बढ़ी हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अधिक हानियां होने के लिए अधिक सामग्री बेची। इसके अलावा, वित्तीय हानियों की मात्रा, नकद हानियां क्षति की अवधि में बढ़ी। घरेलू उद्योग आधार वर्ष से निवेश पर नकारात्मक आय अर्जित कर रहा था और वह क्षति की अवधि के दौरान कम हुए।
- च. ब्याज पूर्व आय और घरेलू उद्योग का मुख्य ह्रास पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रहा है। इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कि उत्पाद की कीमत इतनी रही है कि घरेलू उद्योग अपना ब्याज और मूल्यह्रास लागतों को भी वसूल नहीं करने में सक्षम नहीं पाया है, निवेश पर उपयुक्त आय को तो एक तरफ रख दें।
- छ. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों में सुधार हुआ है परंतु लाभप्रदता मानदंडों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपना उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्राएं बढ़ाने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पादन का स्तर का स्तर क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्रा उससे बहुत कम हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित किया गया था और जो प्राप्त किया जा सकता था, परंतु देश में पाटन के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।
- ज. आयातों ने आगे निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित की है। घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद में लगभग 3000 करोड़ रूपए के कुल निवेश के विरुद्ध मार्च, 2023 तक 500 करोड़ रूपए से अधिक की संचयी वित्तीय हानियां हुई हैं।
- vii. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित सामानों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।
- viii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि क्षति मार्जिन संबद्ध देशों से विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों के संबंध में पूरी तरह से काफी और सकारात्मक है।
- ix. जांच से यह बात सामने आई है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता है।
- x. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागतों और एनआईपी से वास्तविक रूप से कम आयात कीमतें, उत्पाद क्षमताओं का कम उपयोग और उत्पादन से कम घरेलू बिक्री जैसे मानदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।

xi. पाटनरोधी शुल्क व्यापक जनहित में है, जैसा कि निम्नलिखित से सिद्ध है :

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है।

ख. संबद्ध सामान निचले स्तर के उद्योग में प्रमुख लागत नहीं है।

ग. संबद्ध सामानों के लिए प्रमुख अनुप्रयोग टायर उद्योग में है। तथापि, टायर उद्योग में उत्पाद बास्केट पर शुल्कों का काफी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्यूबों पर मात्र संभावित प्रतिकूल प्रभाव अपर्याप्त है, जब ट्यूबों का प्रयोग अनिवार्य रूप से टायरों के साथ किया जाए और ट्यूब उनके निचले स्तर के उद्योग द्वारा उपभोग में लाए गए अंतिम उत्पाद का छोटा भाग बनता हो।

घ. शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता है। किसी भी दशा में आयातों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं है और प्रस्तावित उपाय का अर्थ मात्र उचित कीमत पर आयातों की संभावना है।

ङ. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन शुरू होने से पूर्व भारत में अधिक थीं।

च. कैप्टिव मांग को अलग करके घरेलू उद्योग की क्षमताएं भारत में मांग का पर्याप्त हिस्सा (लगभग 97 प्रतिशत) पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

231. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति को दूर करने के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

232. इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए आंकड़ों के बराबर निश्चयात्मक शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक मानते हैं। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 दर्शायी गई राशि के बराबर प्रतिकारी शुल्क चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40023100	आइसोबुटालीन- आइसोप्रेन रबड़	चीन	चीन सहित कोई देश	कोई भी	325	मी.ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	चीन	कोई भी	325	मी.ट.	अम.डॉ.

3	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई भी	931	मी.ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई भी	931	मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल-जुबेल पैट्रोकेमिकल कंपनी	594	मी.ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई देश	क्र.सं. (5) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	653	मी.ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	सऊदी अरब	कोई भी	653	मी.ट.	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	ऐसोनमोबिल एशिया पीटीई लि.	1047	मी.ट.	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कं. सं. (8) पर उल्लिखित के अलावा अन्य कोई उत्पादक	1152	मी.ट.	अम.डॉ.
10	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	सिंगापुर	कोई भी	1152	मी.ट.	अम.डॉ.
11	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	एक्सोनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्युशन कंपनी	781	मी.ट.	अम.डॉ.

12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका सहित कोई देश	क्र.सं. (11)में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	859	मी.ट.	अम.डॉ.
13	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई भी	859	मी.ट.	अम.डॉ.

ठ. आगे की प्रक्रिया

233. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No.—AD(OI) – 05/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Isobutylene-Isoprene Rubber” (“IIR”) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America.

BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/05/2023-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or AD Rules”), Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Isobutylene-Isoprene Rubber” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “PUC” or “IIR”) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as the “subject countries”).

The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/05/2023-DGTR dated 30th June 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

- a. Pursuant to the initiation of the investigation, and after providing due opportunity to the interested parties to provide relevant information and defend their interests, and on the basis of information and evidence on record, having regard to the Anti-Dumping Act and the Rules, the Authority issued preliminary findings dated 16th April 2024, provisionally concluding that the product under consideration has been exported from the subject countries at a price below their normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods, the domestic industry has suffered material injury due to such dumping and injury to the domestic industry has been caused by such dumped imports. The Authority recommended the imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
- b. The Authority notified the interested parties about the following procedure that was to be followed subsequent to issuance of preliminary findings.
 - i. Comments were invited by all interested parties on the preliminary findings within 30 days of publication of such findings.
 - ii. It was notified that an oral hearing will be conducted in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules.
 - iii. Further verification deemed necessary will be conducted.
 - iv. Essential facts would be disclosed prior to the issuance of the final findings.
- c. A copy of the preliminary findings was sent to the Central Government for its consideration of the same for imposition of provisional anti-dumping duty.
- d. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 24th May 2024. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- e. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- f. It is expressly clarified that the preliminary findings form an integral part of this final findings. These final findings should be read along with the preliminary findings issued earlier. The procedure followed, arguments raised by the interested parties, examined explicitly or implicitly dealt in the final findings and determination earlier made which have not been disputed by interested parties are not being repeated in these final findings. The preliminary findings should be deemed to be incorporated in the present final findings to the extent the same is not inconsistent with the present final findings.
- g. The Authority satisfied itself with the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary.
- h. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the of the other interested parties in its analysis in the present case.
- i. On-the-spot verification was carried out at the premises of the domestic industry, both at the factory and office, where various claims made by the domestic industry were verified and supporting information, to the extent considered relevant, was collected. The verification included examination of the production process, manufacturing facilities, facilities of IIR and HIIR, production of different products, etc.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. The Authority considered the following as the scope of the product under consideration in the preliminary findings.

“The product under consideration in the present investigation is Isobutylene-Isoprene Rubber (“IIR”) which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tyres and other high-pressure tubes. The scope of the product under consideration excludes food-grade IIR used as an ingredient in the production of chewing gum. IIR has applications in the tube and tyre inner liners, which form an integral part of the pneumatic tyre manufacturing process. It is also used in diaphragms, gaskets, wire and cable insulations, liners, O-rings, seals, weather stripping, and bottle closures.

The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 40023100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation."

B.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

3. The submissions of the other interested parties with regard to the product under consideration and like article post the issuance of preliminary findings are as follows:
 - i. The regular grade of IIR for bladder application must be excluded as the applicant's product has not been approved for manufacturing tyre curing bladder.
 - ii. The domestic industry is not able to supply the specialised grades for use in bladders. The imported grades can be used for manufacturing bladders, which allow curing of 330-340 tyres, while that made from domestic grades can produce about 260 tyres. The domestic industry has never offered the sale of such specialized grades to users and has only manufactured normal grades.
 - iii. An end-use-based exemption can be provided for the specialized grades to be used for manufacturing bladders to allay any chances of circumvention.
 - iv. The applicant cannot produce speciality grade as it does not have the plant and equipment. Such grades are a combination of mooney viscosity and unsaturation level. Even if applicant can produce low mooney and unsaturation levels, it does not mean that it can produce combinations required. The specification sheets relied upon by the Authority has not been shared by any other interested party.
 - v. Imports of a product type is not a legal requirement for the exclusion of such product. The legal standard for inclusion is actual production and sales and not the ability.
 - vi. Even if there was no demand in the Indian market, there was demand in foreign markets, but the applicant has not given evidence that speciality product has been produced and supplied in the export market.
 - vii. The difference in usage of specialty grades and regular grades must be examined. Exxon's product has a higher mooney retention index. The RSEPL's regular grade has higher unsaturation content which impacts the processing safety and aging characteristics of the product. The Authority should seek third-party lab reports and analyse the said parameters.
 - viii. Claim of domestic industry that the scope of the product under consideration is already frozen and cannot be changed at such a subsequent stage is incorrect. As can be seen from the notification finalizing product scope in HIIR, the scope can be amended/ modified at a subsequent stage. A mere notice on scope and PCN methodology, which is not a gazetted document, and is not notified to all affected parties does not bind the Authority.
 - ix. As opposed to the contention of the applicant, the time limit to file in the initiation notification refers to questionnaire response and there is no legal bar for filing injury submissions post-filing of such response.

B.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

4. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like articles post issuance of the preliminary findings are as below: -
 - i. No new facts have been put on record by the other interested parties and the product scope considered in the preliminary findings may be finalized.
 - ii. Submissions requesting the exclusion of tyre curing bladder were belated and must be rejected. The comments filed on product scope within the time period by ATMA did not include a request for exclusion. The domestic industry has produced and sold such products in both domestic and export market.
 - iii. Invoices issued for IIR does not show their usage in either tubes and or tyre-curing bladders and there is no way to ascertain if IIR is consumed for tubes or tyre-curing bladders.
 - iv. The interested parties have not provided evidence that the product produced by the domestic industry are not of suitable quality. Such allegations are made with ill intent as the domestic industry has sold IIR for bladder manufacturing to the satisfaction of its customers.
 - v. Request for exclusion of speciality grades on the presumption of future demand cannot be considered as a ground for exclusion. The domestic industry can also cater to such new demand in the future.

- vi. A product type can be excluded only if such product type is imported in India and the domestic industry has not supplied like article. This has been established by the Authority in a number of past investigations such as that on Seamless Tubes and Pipes, SDH Equipment and Coated / Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products. The CESTAT upheld the findings of the Authority in SDH Equipment.
- vii. As opposed to the contention of the other interested parties, the applicant's set-up is recent and there is no doubt that it is a new entrant which is facing dumping since its establishment.
- viii. There is no obligation on the domestic industry to demonstrate that it supplied the product in the export market.
- ix. In case demand for the product arises in future and the domestic industry is unable to supply the same, the other interested parties are free to approach the Authority for a mid-term review.

B.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

5. The opportunity to explain and comment on the scope of the product under consideration and PCN was provided to all interested parties through notice of initiation. Thereafter, an opportunity was provided to all interested parties on 25th October 2023 to explain their submissions. The interested parties elaborated their submissions with regard to both the scope of the product under consideration and the PCN methodology. The interested parties were further afforded an opportunity to provide relevant supporting evidence. After taking into account the submissions made by various interested parties, and having regard to the legal position in this regard, the Authority decided the scope of the product under consideration and PCN methodology. The same was notified on the website of DGTR on 22nd November 2023.

6. The Authority notes that the Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) did not file any submission for the exclusion of any product type within the time period provided to the interested parties. However, post finalization of the scope of the product under consideration and PCN methodology, and much after the lapse of time limits, ATMA filed submissions requesting the exclusion of regular grade of IIR used for manufacturing of tyre curing bladders. The Authority notes that the submissions filed by ATMA were belated and post-finalizing the scope of the product under consideration and have not been accepted by the Authority in light of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.

*“(8) In a case where an interested party refuses access to, **or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period.** or significantly impedes the investigation, **the designated Authority may record its findings on the basis of the facts available to it** and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.”*

7. While the Authority concludes that submissions made by ATMA with regard to the exclusion of IIR for manufacturing tyre curing bladders are belated and not accepted by the Authority, the Authority has, in any case, examined the arguments raised in the interest of the investigation and determination.
8. The Authority notes that the other interested parties have not specified any technical details of the product being used for manufacturing tyre-curing bladders. All interested parties have submitted that the regular grade of IIR is being consumed for manufacturing tyre-curing bladders. The domestic industry has submitted that the same grade of IIR is used for manufacturing both tyre-curing bladders and regular tubes for tyres. The domestic industry has submitted that it has produced and supplied such grade for manufacturing tyre curing bladders.
9. The other interested parties have submitted that the quality of grade supplied by the domestic industry is not suitable for use in the production of tyre curing bladders. The interested parties have provided a communication from *** to *** to support its contention that the domestic industry's product is not acceptable. The Authority notes that :

(a) the said communications are not with the domestic industry and are between two parties, apparently without any knowledge of the domestic industry,

(b) the said communication does not establish that the product of the domestic industry cannot be used. It merely expresses some operational difficulties in using the domestic industry product, (c) the domestic industry was given no opportunity to explain whether the problem was with the domestic industry product or some other factor,

(d) the domestic industry is a new producer, and some operational difficulties at the beginning of its production (the said communication pertains to the year 2021) does not mean that the domestic industry cannot manufacture like article,

(e) the domestic industry has sold substantial volumes in the domestic market as well as export market. It is, therefore, not admissible that the domestic industry is unable to offer like article. The domestic industry has

also submitted that it has supplied the material to a consumer *** in *** in the international market. The domestic industry has shared a copy of the communication received from the said customer. While the positive feedback received is post period of investigation, it proves the capability of the applicant to produce the product for tyre curing bladders. The consumer has not only confirmed the usage of domestic industry material for tyre curing bladders but also has expressed its satisfaction with regard to the performance of domestic industry material for tyre curing bladders.

10. In light of significant submissions made by the interested parties contending that the material provided by the domestic industry does not perform very well for tyre curing bladders, the information and evidence filed by ATMA and Exel Rubber Private Limited was examined in detail. It is seen that Exel Rubber Private Limited has provided communication between two parties. The said communication is not with domestic industry. The domestic industry had repeatedly demanded a copy of the communication sent by the consumer to the domestic industry disputing quality of the material supplied by the domestic industry. The other interested parties, however, declined to share a copy of the said communication with the domestic industry. The Authority considers that if the said communication concerns the quality of the material supplied by the domestic industry, it cannot be expected from the domestic industry that it can respond to such complaints of the buyer when the domestic industry was not even informed. Since the communication submitted is between two parties other than the domestic industry, the Authority has allowed the confidentiality claim of the other interested parties. However, the Authority notes that when the said communication is not even shared with the domestic industry and is a communication between two parties, it cannot constitute sufficient evidence to establish that the material supplied by the domestic industry cannot be used for curing bladders. The Authority also notes that the domestic industry has supplied a cumulative volume of *** MT over the injury period, the majority of which has been consumed by the tyre industry. The table below shows supplies made by the domestic industry to various consumers over the injury period. The domestic industry has further claimed that it has regularly supplied to these consumers even in the post-POI period. It is seen that the domestic industry has indeed sold the product to a number of consumers and even to those consumers who have allegedly made complaints about the non-performance of the domestic industry product.

SN	Name of customer	Month/Year of starting regular purchase	Total volumes sold
			Till POI (KT)
1	***	***	***
2	***	***	***
3	***	***	***
4	***	***	***
5	***	***	***
6	***	***	***
7	***	***	***
8	***	***	***
9	***	***	***
10	***	***	***

11. Further, it is noted that the communications shared by the users are *inter-se* communications between them and dated prior to the period of investigation. The communications have not been sent to the applicant and thus, the Authority concludes based on the evidence on record that such communication cannot be construed as a complaint about the product by the applicant.
12. One of the users have submitted that the applicant is not a part of their vendor approval list. Such user has provided a “vendor approval list”, which only states source of procurement as “imports” and not domestic procurement. The Authority however, notes that the approval list of one user does not contradict the fact that the domestic industry has actually supplied the product to domestic and global users, that too when the volume of material sold by the domestic industry is so significant and ***% of the demand for the product in the country from September 2019 till March 2023 was met by the domestic industry.
13. The domestic industry submitted that the same grade is used for making tubes and tyre curing bladders. The claim made by the domestic industry on this account has remained unrefuted. It is also seen that the users have not imported any grade of the PUC different from that manufactured by the domestic industry for the purpose of making tubes and tyre curing bladders. Thus, in a situation where the consumers have used the same product

interchangeably for making of tubes and tyre curing bladders, and in a situation where majority of the consumption of the product under consideration is in tubes, the Authority considers that it is not justified to exclude any particular application of the product under consideration from proposed measures. It would be impossible for the customs authorities to implement any such exclusion when the consumers are using the products interchangeably for making tubes and tyre curing bladders.

14. The domestic industry has contended that 94% of IIR is used for the production of tubes for tyres while only 6% is used for other applications. The Authority, thus, concludes that there is no justification for the exclusion of the product under consideration for tyre curing bladders application.
15. It is clarified that the interchangeable use mentioned in para 9 of the preliminary findings is with regard to the interchangeable use of production facilities for the production of different grades of the product. The same production facilities are used for manufacturing different types of products.
16. The Authority notes that the domestic industry has indeed produced a low mooney viscosity grade of the product. In fact, it was seen that the production range of the domestic industry included low mooney viscosity up to 35 MU whereas the grade produced by other interested parties has mooney viscosity of 32 MU (+/-4). Hence, the grade produced by the domestic industry has mooney viscosity within the tolerance limit of the specialty grade produced by other interested parties.
17. With regard to the contention that the specification sheets have not been shared, the Authority notes that the domestic industry has submitted extracts of its technology license agreement to show the specification of grades that can be produced. Since such information is confidential business proprietary in nature, it cannot be disclosed to the other interested parties. However, the Authority notes that the applicant has the ability to produce low and high unsaturation content as well as low and high mooney viscosity. Post verification, the domestic industry also filed specification sheets for various grades which were subsequently circulated to all the interested parties.
18. With regard to the contention that the applicant cannot produce specialty grade due to its inability to achieve the desired combination of mooney viscosity and unsaturation levels, the Authority notes that the interested parties have submitted that the product supplied by the domestic industry cannot constitute like article to the imported product. It is also noted that none of the interested parties have provided any details of plant and equipment required to achieve such product specification, and how the applicant lacks technical capability. Further, as already noted in the preliminary findings, there is no demand for such product in India, and thus, there is neither domestic production of such product nor imports of the product into India. Thus, in the absence of imports of a product, it cannot be stated that like article is not being produced by the domestic industry. It is unreasonable to expect the applicant to produce a product which would have not been sold in the market, as there is no demand for such product in the market. The Authority notes that it is a settled legal position that only a product type, which has been imported into the country like article of which has not been supplied by the domestic industry can be excluded from the scope of the product under consideration. Hence, the Authority concludes that the exclusion of specialty grade is not justified.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

19. The submissions of the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing post the issuance of preliminary findings are as follows:
 - i. There is no relationship between the Russian exporters and domestic producer, which would be considered sufficient to hold them as ineligible producer.
 - ii. Major expenditure for the production of the subject goods has been made after approval of SIBUR as a number of related party transactions have been done with RIL.
 - iii. Reliance should not be placed on misstatement by NKNH regarding relationship with RSEPL. It did not report related parties in accordance with Trade Notice 9.
 - iv. Sibur Investment AG has control over NKNH as well as domestic producer. Despite knowing the common corporate structure, the Authority has solely relied upon response of NKNH and has declared the domestic producer as domestic industry.
 - v. Since exports were consigned directly from Russia, NKNH was aware of the same.
 - vi. The reliance on deadlock provisions was incomplete as the consequences of use of such provision was not evaluated as it could lead to exit of SIBUR from the JV and is not applicable to joint approval and related party transactions. There is no evidence of actual invocation of such provision.

- vii. The conduct of the Russian producer should be evaluated as it is in concert with the applicant. It supported the argument regarding eligibility of domestic industry. SIBUR and RSEPL are rearranging the market to keep sales between them as Russian imports were highest in India earlier and the applicant made significant imports from Russia at low prices. As the applicant started the production, imports from Russia declined and provided market to the applicant.
- viii. As per Rule 2(b), once a domestic producer is related to exporter, there is no scope of discretion envisaged in law upon the Authority to include such a producer within the scope of domestic industry.
- ix. Submission of the domestic industry that because NKNH is participating against them, it implies that SIBUR is not controlling the domestic industry is an unfounded assumption which is against WTO Anti-Dumping Agreement. Participation by SIBUR appears to be well-coordinated and orchestrated act, indicating its control over the domestic industry.

C.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

20. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing post issuance of the preliminary findings are as below: -
- i. There must be sufficient ground justifying exclusion of related domestic producer. A mere fact of relationship is insufficient to consider the domestic producer as ineligible. There is no difference in RSEPL's behaviour in present situation, vis-a-vis a situation, were it not an alleged related party.
 - ii. No evidence has been put on record to show that RSEPL and SIBUR have colluded. There is no evidence that the relationship between the two parties have led to applicant behaving in a manner different from an unrelated producer.
 - iii. SIBUR does not exercise *de jure* control or *de facto* control over RSEPL.
 - iv. Reserved matters do not show control by SIBUR on the operations of the applicant regarding purchase, production, sales, costs, pricing or any other factor relevant in an anti-dumping investigation.
 - v. The deadlock provision in the Articles of Association prevent SIBUR to supersede the decision of RIL. Deadlock provision is not a formality and Exxon cannot place selective reliance on certain provisions of Articles of Association.
 - vi. The Russian producer is opposing the present investigation. Russian producers have forced the applicant to offer lower prices and would not have reduced their price if its intention were to give market access to the applicant.
 - vii. The deadlock provision has not been invoked simply because SIBUR has never exercised control in a manner detrimental to the interests of the applicant or RIL.
 - viii. Approval of raw material purchases from RIL is received from SIBUR as per best practices.
 - ix. Even in case it is found that SIBUR has exported directly to India, the inability of the applicant to prevent exports from SIBUR and SIBUR's inability to prevent the applicant in seeking duties establishes absence of control.
 - x. It is immaterial whether imports in India are within the knowledge of Russian producers. The term exporter and producer cannot be used interchangeably under the Rule 2(b).
 - xi. As opposed to the submissions of the other interested parties that SIBUR has colluded with the applicant since imports from Russia declined, the imports from other countries have also declined post commencement of domestic production in India which does not mean that all countries have colluded with the applicant. The imports from China were lowest during 2020-21 and 2021-22.

C.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

21. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

22. The Authority, in the preliminary findings, has provisionally concluded that the applicant constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b). It has been provisionally concluded that there is a lack of *de jure* and *de facto*

control of SIBUR over the operations of the applicant and it cannot be said that the applicant is controlled by SIBUR which also controls a producer of the subject goods in Russia.

23. The opposing interested parties have questioned the legal basis for the statement in the preliminary findings that requires the Authority to examine whether producers behaved differently from other producers for the product.
24. The Authority issued a disclosure statement on 21st June 2024 on which comments of all interested parties were invited. Upon considering the comments, the Authority re-examined the issue regarding the scope of the domestic industry.
25. An explanation to Rule 2(b) provides for situations where the domestic producer is related to the importer or exporter of the alleged dumped article. The provision is reproduced below:

Explanation. - For the purposes of this clause, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.

26. The note to the aforesaid explanation provides the meaning of “control”.

Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

27. It can be said that one person can control another person in either of the following two situations:

- (i) the former is legally in a position to exercise restraint or direction over the latter, (*de jure control*) or
- (ii) the former is operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. (*de facto control*)

28. The meaning of the terms “restraint” or “direction” is not defined in the AD Rules or the WTO Anti-Dumping Agreement. “Restraint” could be understood as an action inhibiting or limiting the actions of someone or a thing while “direction” denotes the way or the path in which a certain action has to be pursued. It is to be noted that the provision is disjunctive i.e., either restraint or direction has to be present.

29. The application has been filed by RSEPL, which is a JV between Reliance and Sibur Investments AG, wherein Reliance holds a 74.9% stake and Sibur Investments AG (a wholly owned subsidiary of SIBUR) owns a 25.1% stake. The authorized representative of Sibur Investments AG, Mr. Dimitry Khrichenko, is a whole-time director and Chief Operating Officer (COO) of the applicant as is clear from the audited financials of the Petitioner for the POI.

30. It noted that SIBUR exercises control over NKNH, a producer of the PUC in Russia.

31. Article 29 of the petitioner’s AoA provides that the petitioner’s business shall be managed by the Board of Directors consisting of 10 directors of which two shall be independent directors, six directors shall be nominated by Reliance shareholders, and the remaining two directors shall be nominated by SIBUR and its affiliates. The relevant extract from the AoA is as under:

29 (a) Company shall be managed by the Board of Directors. The Board shall consist of ten (10) Directors out of which two (2) shall be Independent Directors, the Reliance Shareholders shall be entitled to nominate six (6) Directors and the SIBUR Shareholders shall be entitled to nominate two (2) Directors.

32. Further, Article 38 of the AoA, relating to voting for the decision-making of the petitioner, states as below:

DECISIONS

38. (a) Subject to the Articles 39 and 41, voting at Board meetings shall be by way of a simple majority of the votes of the Directors who are attending and voting at the meeting. Each Director (or Alternate Director present at a meeting in place of a Director) shall have one (1) vote.

(b) Subject to the Articles 39 and 41 and the Act, voting at Shareholders' Meetings shall be by way of a simple majority of the votes cast at the meeting. At any Shareholders' Meeting each Share shall carry one (1) vote.

33. From the above, it appears that the decisions in the board meetings and shareholders meetings shall be made by way of a simple majority. However, it is relevant to note that Article 38 is subject to Articles 39 and 41, which deal with “Reserved Matters” and “Related Party Transactions and Joint Approval Transaction”, respectively. Any decisions of the petitioner with respect to the “Reserved Matters” and “Related Party Transactions and Joint Approval Transaction” cannot be taken merely by way of a simple majority but are subject to the decision-making process/approvals as per Articles 39 and 41, respectively.
34. Article 39(a) of the AoA provides for the decision-making process/approvals required for transacting a Reserved Matter in a board and shareholders’ meeting. It states that so long as SIBUR shareholders hold the qualifying shares in the petitioner, the decisions in the board and shareholders’ meetings shall not be taken unless at least one director appointed by Reliance and SIBUR each has voted in favour of the matter (in case of board meeting) and an authorised representative of at least one shareholder from Reliance and SIBUR each has given its approval for such matter (in case of shareholders’ meeting). The relevant portions of Article 39 are extracted as under:
- 39. (a) For so long as the SIBUR Shareholders collectively hold the Qualifying Shareholding, then save and except for the situations expressly provided in Article 43 (e) and Article 44 (c), the Company shall not and the Shareholders shall procure that the Company shall not take any decision or action in relation to a Reserved Matter, unless:*
- (i) An authorised representative of at least one Shareholder from each Shareholder Group has given its approval for such Reserved Matter to the Company in writing, or, if such Reserved Matter falls solely within the competence of a Shareholders’ Meeting under the Act then an authorised representative of at least one Shareholder from each Shareholder Group has given its approval for such Reserved Matter at a Shareholders’ Meeting; and*
- (ii) at least one (1) Director appointed by each Shareholder Group has voted in favour of the matter at a duly convened and held Board meeting*
35. With respect to “Joint Approval Transactions”, similar to Reserved Matters, Article 41(b)(i) states that all such transactions require the approval of at least one director and one shareholder from both Reliance and SIBUR (so long as SIBUR holds the qualifying shares).
36. In particular, the Articles of Association (AoA) defines certain “Reserved Matters”, “Related Party Transactions” and “Joint Approval Transactions” wherein the approval of SIBUR’s directors and shareholders in board and shareholders’ meetings, respectively, is necessary before any such business can be transacted. Thus, it is seen that despite the majority of shares being owned by Reliance, SIBUR can exercise restraint over the petitioner in terms of explanation to Rule 2(b).
37. While the applicant can exercise the deadlock provisions in the Articles of Association, the Authority notes that such provisions have never been invoked. In case of invocation of such provisions, the joint venture will cease to exist.
38. In light of the above, it is established that SIBUR, through Sibur Investments AG, has control over the petitioner and a relationship is established in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
39. The Authority notes that Rule 2(b) merely refers to a possible situation where a domestic producer may be treated as ineligible. Since no prescriptions or conditions have been laid down under the Rules, the Authority examines possible situations where the Authority may treat domestic producers as eligible or ineligible despite the relationship with the exporter in the subject country/ies.
40. The Authority considers that the mere fact of the existence of a relationship between a producer and a foreign exporter is insufficient to hold such a domestic producer ineligible under Rule 2(b).
41. Indeed, the Rules have been modified from ‘shall’ to ‘may’ only to grant a discretion to the Authority in a situation where a domestic producer is itself an importer or related to an importer or a foreign exporter.
42. The Authority recalls the objective of providing such a discretion to the Authority. The Anti-Dumping Rules when originally introduced did not provide any discretion to the Authority in this regard. The rules were amended in order to provide a discretion to the Authority to treat certain category of producers as eligible and certain category of producers as ineligible. Since nothing specific has been laid down under the law, the Authority has relied upon jurisprudence and past determinations in this regard, where the Authority has examined possible situations where a domestic producer will be treated as eligible or ineligible. Reference is drawn in particular to the investigations relating to viscose staple fibre from China and Indonesia and circular weaving machine from China, where the Authority has examined in detail the provisions of Rule 2(b) and situations where domestic producers may be treated as eligible or ineligible.

43. As regards the submissions that the Russian producer has colluded with the applicant, the Authority notes that the imports from Russia were priced in competition with other subject countries. It is also noted that the prices offered by the Russian producer was lower than some subject countries while higher than other subject countries. In case, Russian producer was trying to re-arrange the market and give market access to the applicant, it would have offered higher prices to not only allow the applicant to grab the market, but also obtain better prices to the extent of its sales. However, the Russian producer has offered prices competing with other subject countries, which shows that the Russian producer was attempting to maintain its presence in the market, and not give market access to the applicant. The Authority also notes that there was public information available that the applicant was setting up a plant in India for production of butyl rubber and it was also publicly available that the applicant had started producing and selling the product in the country. If the foreign producers continued their exports at dumped prices, it cannot be claimed that the same was a result of collusion between two other parties, that is, the Russian producer and the applicant. It is also noted that the other subject countries excluding Russia collectively had higher market share in the POI.
44. The Authority considers that the mere fact of the existence of a relationship between a domestic producer and a foreign producer is insufficient to hold such a domestic producer ineligible under Rule 2(b).
45. The Authority has dealt with this issue at length in the case of anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA (NO. 14/17/2010-DGAD). Indeed, the Rules have been modified from 'shall' to 'may' only to grant discretion to the Authority in a situation where a domestic producer is itself an importer or related to an importer or a foreign exporter. The Authority considers in this regard that the facts and circumstances of the present case do not warrant that the petitioner should be treated as ineligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) even if the petitioner is treated as related to the foreign producer.
46. While the Authority notes that the petitioner is related to the foreign producer of the product under consideration, the Authority, nevertheless, considers that the petitioner is eligible to constitute domestic industry due to the following facts and circumstances of the present case.
- a) The purpose of the anti-dumping law is to remedy a situation of dumping causing injury to Indian industry. The mere fact that a company that might be related to a foreign producer and such foreign producer is also exporting the product to India does not in itself imply that the dumping of the product should be permitted in the country.
 - b) The very purpose of granting discretion under the Rules and seeking amendment of the earlier Rule was to grant discretion to the Authority so that the domestic producers are not prevented from seeking remedy in a situation where foreign producers are causing injury to the Indian industry. The law should be interpreted and applied in a manner that the objective of the law is met, and is not defeated.
 - c) The petitioner is a new company that has made very significant investment to set up manufacturing facilities in the country for production of a product not produced in the country before.
 - d) There are no other producers of the subject goods in the country and therefore, if the petitioner is treated as ineligible, there is no domestic industry that can seek redressal. Such a situation shall imply allowing injurious dumping to continue.
 - e) The investigation has shown the existence of significant dumping margin, injury margin and injury suffered by the domestic industry.
 - f) The Russian producer is engaged in the unfair trade practice of dumping in India and the applicant has sought a remedy even against the Russian producer in the similar manner as done for other producers in other subject countries.
- The mere fact that the applicant has not been able to prevent the Russian producer from exporting the product in itself implies that the applicant has been unable to exercise any control or discretion in preventing the foreign producer from dumping in the Indian market.
- g) The domestic industry started producing significant volumes of the product in 2019-20 and declared commercial production only just prior to the period of investigation. The significant time gap between commencing production and declaring commercial production has been justified by the domestic industry on the grounds of dumping happening in the country. In other words, so significant has been dumping of the product in the country that it has prevented the domestic industry from declaring commercial production for a significantly long period even after fully establishing its technical capability to produce and sell.
 - h) The Authority had recommended anti-dumping duty on exports by the allegedly related entity; and therefore, the recommendation shall not cause any prejudice to the interests of opposing interested parties on this ground that the petitioner and one of the foreign exporters are potentially related.

- i) The imports from Russia were priced in competition with other subject countries. There is no evidence on record showing the presence of any collusion or collective action. The Russian producer has participated and opposed the imposition of anti-dumping duty which shows conflicting business interests of the petitioner and Russian producer.

47. In view of very peculiar facts and circumstances, the Authority considers that there are no grounds for treating the petitioner as an ineligible domestic industry.

48. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

49. The other interested parties have made the following submissions post preliminary determination with regard to the confidentiality claimed by the domestic industry:

- i. Entirety of figures relating to inventory is claimed as confidential, without giving indexed figures.
- ii. The claim that the same exporter has supplied the same material at different prices cannot be accepted as the non-confidential data has not been provided to the other interested parties.

D.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

50. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality post issuance of the preliminary findings.

- i. The data with regard to exports by various exporters and imports by various importers is confidential sensitive data. The Authority may rely upon the data submitted in the response filed by the participating exporters.
- ii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the indexed figures for inventories have been disclosed.

D.3. EXAMINATION BY AUTHORITY

51. With regard to confidentiality claimed on the export data, the Authority notes that the data relating to exports made by different exporters at different prices was provided to the domestic industry on confidential basis and therefore was rightly claimed confidential. However, the Authority has not relied upon the information provided by the applicant. The Authority has relied upon data filed by the participating exporters and DG Systems data. Since the Authority has not relied upon applicant's data, no prejudice has been caused to the other interested parties by such claim of confidentiality.

52. The Authority notes that the domestic industry has provided indexed figures of average inventories in the injury period as per the requirement of Trade Notice 10/2018.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

53. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions post issuance of the preliminary findings

- i. Methodology for determination of normal value, export price and calculation of anti-dumping duty has not been disclosed.
- ii. In issuing the preliminary findings, the Authority has failed to satisfy the pre-requisites, which are determination of dumping, injury and causal link during the period of investigation, and a further determination that injury during the course of investigation subsequent to the period of investigation.
- iii. The Authority has failed to provide any explanation for preliminary determination, which is in complete violation of Rule 12.
- iv. Preliminary findings have been issued after 10 months of initiation, without any reason for delay. Therefore, the preliminary findings cannot be considered as having been issued expeditiously as envisaged under Section 9B of the Act.
- v. Failure to conduct a hearing prior to issuing the preliminary findings constitutes a gross violation of due process.

E.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

54. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions post issuance of the preliminary findings.

- i. There is no obligation on the Authority to share calculation of dumping margin at the stage of preliminary findings even non-injurious price calculations have not been shared at this stage.

- ii. As opposed to the contention of the other interested parties, the Authority has established significant dumping, injury and causal link in the preliminary findings.
- iii. There is an urgent need for imposition of anti-dumping duty as the domestic industry is suffering significant injury due to imports from the subject countries.
- iv. The delay in issuance of preliminary findings is due to multiple extension taken by the exporters and time barred comments filed by the other interested parties.
- v. There is no mandate to conduct the oral hearing before issuance of the preliminary findings.

E.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 55. The Authority notes that the normal value and net export price determined for the participating exporters were shared with the exporters post issuance of preliminary findings.
- 56. While issuing the preliminary findings, the Authority has examined dumping, extent of injury and causal link. The preliminary findings contained a detailed examination of these accounts. The Authority noted that the domestic industry suffered a significant injury during the period of investigation and being a new entrant in the market injury at such significant level may lead to unviability of the plant. Since there is only one producer of the subject goods in India, it is imperative that domestic production of the subject goods should be maintained in India and such producers should be provided a level playing field and remedy from unfair trade practice of dumping. It is noted that the applicant had requested interim duty in its application itself and had given reasons for the same. The contents of the preliminary findings in itself establish sufficient justification for invoking interim measures. Accordingly, the Authority recommended the imposition of provisional duties.
- 57. With regard to submissions regarding delayed issuance of preliminary findings and not conducting hearing prior to preliminary findings, the Authority notes that there is no mandate under the law to conduct hearing prior to issuance of the preliminary findings. Nor there are any time limits for issuance of preliminary findings. The Authority conducted detailed analysis and examination before concluding that there is a need for issuance of preliminary findings in the present investigation.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

- 58. The other interested parties have made the following submissions with regards normal value, export price and dumping margin post issuance of the preliminary findings.
 - i. While determining the dumping margin, the Authority has not made an adjustment for level of trade, claimed by Russian producers.
 - ii. The Authority should consider the export price and normal price on the basis of prices offered by the Russian producers to intermediaries in both domestic and export sales.
 - iii. PJSC Sibur Holding, PJSC Nizhnekamskneftekhim and SIBUR International have offered price undertaking.
 - iv. Price undertaking offered by the Russian producers should not be accepted as the Russian producer has claimed excess confidentiality, status of the producer as cooperative must be decided prior to any decision on acceptance or rejection, price undertaking cannot be based on preliminary findings, the undertaking is not offered under Rule 15 and the same is impractical to monitor and will lead to circumvention.
 - v. There is a need to verify the port of loading of all transactions from Russia and agreements between NKNH and exporters. Since only Trigon has participated and has exported only 15% of imports, NKNH should not be considered cooperative.
 - vi. Addition of company-wide profits for EMAPPL and Kemya to determine normal value is against the law and past practice of the Authority. EMAPPL and Kemya are also engaged in products other than the product under consideration.

F.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 59. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin post issuance of the preliminary findings are as below: -
 - i. As opposed to the submissions by the other interested parties, the submissions on level of trade have not been shared with the interested parties. Such adjustments without providing opportunity to the domestic industry for furnishing its comments would be violation of principles of natural justice.

- ii. The Authority should consider export price and normal value based on the past practice of the Authority.
- iii. Margin of profits actually earned by the participating producers should be considered.
- iv. The price undertaking by the exporter may be accepted only after ensuring that there must not be any uncharacteristic price deterioration at different crude levels. This will require an adjuster (e.g. constant number x (\$95-crude) or any other suitable way) to be added to the price formula which could include a crude multiplier. There is also a need to account for the impact of differential energy pricing in the country of exporter and India.

F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

60. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

61. Since ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd., Singapore and Al-Jubail Petrochemical Company, Saudi Arabia do not have domestic sales, the Authority determined the normal value on the basis of the ex-factory cost of the production with reasonable addition towards selling, general and administrative expenses and profits. The profit margin for the purpose was considered on the basis of the profit of the company as a whole.
62. These exporters have contested the profit margin applied by the Authority and have contended that the Authority should consider profit consistent with the Authority's practice for determination of constructive normal value. The claim has been examined. It is noted that Para 4 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules states as follows:

“4. The amounts for administrative, selling and general costs and for profits as referred to in sub-section (1) of section 9A of the Act, shall be based on actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade, of the like article

by the exporter or producer under investigation. When such amounts cannot be determined on this basis, the amounts may be determined on the basis of:

(i) the actual amounts incurred and realised by the exporter or producer in question, in respect of production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of article;

(ii) the weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers subject to investigation in respect of production and sales of the like article in the domestic market of the country of origin; or

***(iii) any other reasonable method,** provided that the amount for profit so established shall not exceed the profit normally realized by the exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country of origin.*

63. The Authority notes that there is no hierarchy in various provisions specified under the Rules. It is also noted that the said exporters have not even claimed profits on the basis of the actual amounts incurred and realised, in respect of the production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of article, or weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers

subject to investigation in respect of the production and sales of the like article in the domestic market of the country of origin.

64. However, considering the factual matrix of this case and the fact that sufficient information with regard to determination of profits in any of the provisions stated above are not completely on record and the exporter has contended that the Authority has included profit on trading activities also. The Authority considers it appropriate, in very peculiar facts and circumstances of the present case, to adopt reasonable profit as claimed for determination of normal value. Accordingly, the reasonable profit percentage for both the cooperating exporters – the exporter from Singapore and Saudi has been considered for the purpose of the disclosure statement.
65. The Authority has not accepted the cost of production as claimed by the three producers - Al-Jubail Petrochemical Company (“KEMYA”), ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd and ExxonMobil Product Solutions Company. The cost of production has now been calculated in line with the consistent practice of the Authority.
66. The revised normal value, export price and the dumping margin for Al-Jubail Petrochemical Company (“KEMYA”), ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd and ExxonMobil Product Solutions Company are mentioned in the dumping margin table below.
67. During the course of verification of information and questionnaire response filed by the producer/exporters from Russia, it was found that the producer has given material to more than one exporter. Out of the volume supplied by the producer to exporters, some volume has been exported to India. It is, however, found that the goods have been eventually exported to India by two exporters, one of whom has not filed a response. The response was, therefore, examined in detail.
68. The Authority notes that NKNH has reported a sale of *** MT material to Sibur Holdings and Sibur International GmbH for exports to India. Both the entities have filed a response in the present investigation. Sibur Holdings has further reported a sales of *** MT to Sibur International GmbH for exports to India. Sibur International GmbH has reported a sale of *** MT to Trigon Gulf FZCO and *** MT to Trigon International S (Pte) Limited for exports to India. While Trigon Gulf FZCO has filed response, no questionnaire response has been filed by Trigon International S (Pte) Limited. It is thus, seen that questionnaire responses filed by the producer and exporters are incomplete in as much as *** MT constituting ***% of total exports has not filed response. The Authority thus concludes that the questionnaire response filed by the producer and exporters are grossly incomplete for the purpose of determination of individual dumping margin. The Authority notes that in a situation where full information with regard to exports to India is not on record and when the exporter concerned has not filed questionnaire response, the Authority is not in a position to precisely determine export price for the producer concerned. It is established practice of the Authority that the Authority determines export price only when the producer and the exporters concerned have filed questionnaire responses. Since the value chain is not complete, the authority is unable to determine individual dumping margin for the producer. Accordingly, the authority has not determined individual dumping margin for NKNH. It is also noted that there is only one known producer from Russia and therefore entirety of the imports in India constitutes exports of goods produced by NKNH. Accordingly, the dumping margin has been determined on the basis of the facts available.
69. The Authority notes that post issuance of the preliminary findings, NKNH has given a price undertaking to the Authority and has requested for the suspension of investigations in so far as it concerns NKNH. NKNH has given the said undertaking in the format prescribed by the Authority and agreed to provide information relevant from time to time to the fulfilment of the undertaking and to permit verification of relevant data. The exporter has also accepted that in case of a possible violation of the price undertaking, the Authority may recommend imposition of provisional duty. The exporter served NCV of this undertaking to the other interested parties. The domestic industry extended its conditional consent for acceptance of the price undertaking, while Exxon Mobil opposed acceptance of this price undertaking. The domestic industry commented that the undertaking should not be accepted unless it is appropriately indexed to raw material and energy prices, ExxonMobil objected to undertaking on the grounds that the offer of price undertaking is excessively confidential, does not permit a reasonable understanding of the substance of information filled on a confidential basis, the questionnaire response filed itself is grossly incomplete, the Authority must first determine whether the questionnaire response filed by the company is complete and sufficient for determination of individual dumping margin, the exporter concerned has not extended price undertaking and producer’s undertaking is not provided under Rule 15, the undertaking cannot be based on dumping margin determined in the preliminary findings, the methodology suggested by the Russian producer/exporters is incorrect, the Price Undertaking is impractical to monitor and hence must be rejected because it will lead to circumvention.
70. The Authority has examined the price undertaking offered by NKNH and submissions made by the interested parties. It is noted that since the company has not been given an individual dumping margin, it would not be appropriate to accept a price undertaking. Further, NKNH has not given sufficient disclosures in the public version of its undertaking thus preventing other interested parties from defending their interest. It is also noted

that energy constitute a major element of cost as alleged by the domestic industry and therefore it would not be appropriate to accept undertaking unless it is indexed to energy cost. In view of the same, the Authority is inclined not to accept the price undertaking offered by the exporter.

71. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Producer	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Saudi Arabia					
Al-Jubail Petrochemical Company ("KEMYA")	***	***	***	***	30-40%
Any Other	***	***	***	***	35-45%
Singapore					
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd/ ExxonMobil Chemical Asia Pacific	***	***	***	***	70-80%
Any Other	***	***	***	***	85-95%
United States of America					
ExxonMobil Product Solutions Company	***	***	***	***	35-45%
Any Other	***	***	***	***	40-50%
Russia					
Any Other	***	***	***	***	60-70%
China					
Any	***	***	***	***	10-20%

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

72. The following submissions have been made by the producers / exporters / other interested parties with regard to injury and causal link post issuance of the preliminary findings:

- i. Lack of significant increase in the volume of imports and that imports did not affect the price of the domestic product would provide insufficient basis to conduct causation analysis as held in China-GOES. The volume or price of subject imports did not impact the applicant. There is no basis of injury analysis as imports have declined and are at prices higher than selling price of the applicant.
- ii. Material injury and material retardation cannot be combined. As applicant is an established industry, it cannot be referred to as new industry replacing imports.
- iii. Imports from Russia should be de-cumulated for injury analysis as the conditions of competition between imports from Russia are different since the applicant is related to a major Russian producer/exporter, price charged by Russian exporters are distorted as it is a non-market economy, the import price of Russia has been the lowest amongst the subject countries.
- iv. Users have increased domestic procurement of the product, and the imports constitute only 20-30% of the total procurement.
- v. Submission that the domestic industry is a new entrant and has to invariably compete with volume of imports at lower prices is incorrect, as the domestic industry has gained volume.
- vi. The volume of imports may be high because specialty grades are not available with the domestic industry. The decline in import volumes, compared to an increase in demand and the production shows absence of volume effect.
- vii. Un-dumped and thereby non-injurious imports should be excluded in the injury analysis.

- viii. The applicant was forced to match Russian prices as the product produced by it was technically and commercially substitutable, produced using the same technology and sold to the same customers.
- ix. Since price undercutting is negative, the applicant could have increased its price to the level of imports and reduce losses. The transactions where price undercutting is negative cannot be disregarded as the obligation is to examine price undercutting on overall basis.
- x. The claim that undercutting is negative only due to higher billed transactions with affiliated companies is incorrect. Undercutting is negative as the applicant had predatory pricing to undercut the imports and gain market share.
- xi. The claim that the same exporter has supplied the same material at different prices cannot be accepted as the non-confidential data has not been provided to the other interested parties. Price differences may be due to the market price of crude at the time of placing the order/shipment, dynamics of the market and the demand-supply situation for crude oil which was impacted due to the Russia-Ukraine conflict or the country/plant from where the product has been shipped.
- xii. 2019-20 should be considered as the present case is of material injury, applicant undertook commercial production, and achieved optimum test runs in 2021 and declaration of commercial production was delayed only due to COVID-19.
- xiii. While the Authority has mentioned that comparison to the base year is inappropriate; it has examined parameters such as losses, shutdown, the volume of off-specification production, market share, and break-even point from the base year.
- xiv. There is no price suppression/depression. No evidence has been given regarding abnormal cost and price in the base year. Even if there was high production of non-prime material, cost cannot be high. Comparison with the base year is appropriate as 2020-21 was impacted due to COVID-19 and the crude oil prices crashed during this period.
- xv. Even if 2020-21 is considered, there is no price suppression/depression as the landed price has increased more than increase in the selling price and cost of sales in the period of investigation as compared to 2020-21.
- xvi. The cost of production of the domestic industry should be compared to the raw material cost, which accounts for 70% of the total costs, on a quarterly basis.
- xvii. Demand should be assessed, including and excluding captive consumption separately, which has been a common practice. Only a quantum of IIR sold in commercial quantity in the market and competing with imported products should be considered for injury analysis.
- xviii. RSEPL produced 75,900 MT for domestic sales and 22,260 MT for HIIR. The cost /expenses of captive consumption should be removed for injury analysis.
- xix. The utilization may have been low because, as a new entrant, the domestic industry faced a lengthy approval process.
- xx. Supply of off-specification product might have contributed to reduction in sales, due to absence of demand of off-spec products, and poor profits.
- xxi. The shutdown faced by the applicant was due to the integration of IIR and HIIR production. Potential technical issues, product approvals, demand-supply scenario and COVID impact in 2022-23 must be evaluated.
- xxii. The production for domestic sales is more than demand and thus, it is a self-inflicted injury.
- xxiii. Comparison of economic parameters with the trial run figures of previous years which is misleading as it is not an accurate representation of normative and sustained commercial operations of company. Discrepancies between trial and actual commercial production figures would arise in all circumstances in the absence of market dynamics, constrained production scales, and controlled conditions during trial runs. Contrary to the claim of the domestic industry, it commenced commercial operations on 1st April 2022.
- xxiv. Cost of sales was normal in 2019-20, but low thereafter due to the pandemic. The cost of sales normalized again during the period of investigation, in tandem with crude prices. The costs have not been impacted by dumping
- xxv. Comparison with the project report is incorrect as it is done only in material retardation cases, the project was planned in 2010 and global markets have changed since then.

- xxvi. The projections and profit expectations of the domestic industry based on project reports from 2010-2011 must be re-evaluated in the context of significant global business environment changes, especially in light of the unexpected COVID-19 pandemic.
- xxvii. The applicant has not shared the source of prices of IIR since 2013. The prices prove that the project report cannot be relied upon since the scenario has changed since 2011 due to the introduction of new capacities globally.
- xxviii. Both global and Indian prices have followed the same trend between 2010 and 2022. Hence, it cannot be said that due to the commencement of production by the applicant, the exporters started dumping in India.
- xxix. While the applicant has stated that it was forced to revise the project report due to subject imports owing to requirements raised by stakeholders, the Authority should verify the stakeholders and check the correspondence between them.
- xxx. The profitability of the applicant has improved. The Authority should consider that depreciation and interest costs are high in the initial phase leading to losses, especially with investments of around ₹ 50,000 million.
- xxxi. The losses to the applicant in export were due to the export of non-prime grade.
- xxxii. The domestic industry has acknowledged in its Annual General Meeting that losses till 2021-22 were due to the pandemic.
- xxxiii. The ability to raise capital investment was not impacted as production and sales of the applicant have increased and it is a JV of the two biggest shareholder groups in India and Russia.
- xxxiv. It is possible that the domestic industry was supplying trial production at a discount or free of cost, leading to losses.
- xxxv. Losses during a period wherein the domestic industry was not producing the product in commercial quantity is due to no availability of approved domestic source of supply.
- xxxvi. Since the capitalized interest is expensed off starting from March 2022, the same can be a reason for the losses.
- xxxvii. Startup costs are not limited to startup expenses but include high depreciation and interest costs which the domestic industry would have incurred, which is not the case for established exporters of the product under consideration.
- xxxviii. Optimization of raw materials, utilities and production capacities should be done on a quarter-to-quarter basis for the entire injury period during commercial operation of the domestic industry.
- xxxix. Injury to the applicant on captive consumption is due to non-approval of HIIR. Such injury should be segregated and distinguished under non-attribution factors.
- xl. Injury is due to limited product range and quality of product produced by the applicant, global over-capacities leading to a decline in global prices, intermittent production halts and sluggish demand due to COVID.
- xli. The injury to the domestic industry is due to closure of IIR plant owing to COVID as stated in the Care Ratings and the delay in declaration of commercial production was due to establishment of the production process of the product.
- xlii. The Authority must analyse impact of unprofitable exports as well as restrictions related to COVID on financial results of domestic industry.
- xliii. High fixed costs due to start-up operations must be normated for determination of non-injurious price 22% return will provide non-injurious price of \$ 3,400 – 3,500 per MT which are not the prices in any market and the Authority must verify the actual return earned by the participating producers.
- xliv. Computation of non-injurious price should adjust for start-up costs and related internal inefficiencies related to other costs.
- xl. Consideration of 22% return on capital employed is unwarranted as the domestic industry has not provided any evidence to substantiate such a high return especially when the industry globally has recorded almost negligible returns over the years. The CESTAT in Indian Spinners Association v. Designated Authority and M/s Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority has held that returns should be industry-specific and in line with historical returns.

- xlvi. While the Authority has stated that the domestic industry has not been able to break even despite having been in operation for 43 months, the domestic industry has been in commercial operations only for 13 months.
- xlvii. The applicant purchases HPIB at a transfer price from RIL. In the production of HPIB, there is recovery of methanol which can be captively used by RIL for other products. If the transfer price does not factor in the recovery, RIL may be selling at inflated prices to the applicant due to which there may be losses.

G.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

73. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link post issuance of preliminary findings:

- i. None of the interested parties have provided any evidence to show that Russian imports are not competing with other imports and Indian product which could lead to the need for de-cumulation of imports. The status of Russia as a non-market economy is only relevant for normal value determination and not for cumulative assessment.
- ii. While declaration of commercial production may take time due to factors such as internal policies, views and opinions of auditors, market situation etc; production in commercial quantities only depends upon stability of plant.
- iii. Due to the prices available in the market as a result of dumping, the plant of the domestic industry was unviable and was forced to shut down.
- iv. As opposed to the submissions by the other interested parties, IIR and HIIR plants have independent operations and there is no necessity to stop the IIR plant in order to operate the HIIR plant.
- v. None of the interested parties have justified the practice of exporters exporting at different prices for the same goods at the same time to the same exporter. Due to variation in such prices, the domestic industry was forced to compete with the lowest price of imports.
- vi. Price undercutting should be analyzed after adjusting post-sales invoice discounts. ExxonMobil has submitted that it has offered such discounts to the customers.
- vii. Related procurement entities in the subject countries are buying at low prices and transferring to the related importers in India at low prices.
- viii. Only transactions undercutting the prices of the domestic industry may be considered. There is no legal bar to do so.
- ix. There is a need to adjust related party expenses, profits and post-invoicing discounts for determining price undercutting and price suppression/depression.
- x. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry was forced to match the lowest import prices in order to gain a foothold in the market.
- xi. Price suppression is clearly visible even without considering adjustments as the cost of sales increased by 56% in the period of investigation as compared to 2020-21 while selling price increased by 49%.
- xii. The other interested parties have not demonstrated any cause for comparison of costs on a quarterly basis.
- xiii. The other interested parties have submitted contradicting claims as they have stated that start-up costs should be adjusted and 2019-20 should not be ignored.
- xiv. The cost in 2019-20 was abnormal since the domestic industry commenced production in September 2019, and the cost in 2019-20 was impacted by start-up operations and the selling price was impacted by sales of off spec material.
- xv. In case, 2019-20 is considered, there is a need to make adjustments with regard to the high production of off-spec material.
- xvi. While the domestic industry is projected to achieve ***% capacity utilization within *** months of operations, it has achieved only ***% even after selling at losses.
- xvii. Capacity utilization on account of domestic sales is even lower.
- xviii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the production of domestic industry for domestic sales is less than the demand in India.

- xix. The domestic industry has been able to gain market share only because it is selling at losses.
- xx. Even the sole producer in India is unable to break even when there is ample demand in India.
- xxi. The losses of the domestic industry have increased since 2020-21, even though the production and capacity utilization of the domestic industry has increased.
- xxii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the Rules refer to the examination of profits and there is no bar to consider gross profits/losses.
- xxiii. Even the EBIDTA, which does not consider high depreciation, is negative. Since the domestic industry provides depreciation on a straight-line method, the depreciation costs are stable throughout the injury period.
- xxiv. As opposed to the submissions by other interested parties, injury to the domestic industry cannot be said to be due to it being a new industry. The company has cumulatively sold *** MT subject goods in India and export markets.
- xxv. As opposed to the contention of the other interested parties, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted as the return of capital employed has deteriorated by 25% over the injury period.
- xxvi. The other interested parties have not highlighted the changes to the business environment which would lead to the project report becoming non-comparable. Even if the costs increased since 2011, it is expected the price will also increase. The domestic industry in any case had revised its project report multiple times.
- xxvii. The injury to the domestic industry is not due to pending customer approvals. This is evident from the fact that over the injury period, the domestic industry has sold significant volume to a number of customers.
- xxviii. None of the other interested parties have provided any evidence or quantified the impact of COVID in 2022-23. There was no sluggish demand in India which is evident from the fact that the demand has increased.
- xxix. As opposed to the contention of the other interested parties, there are no overcapacities in India and the domestic industry is producing a complete product range.
- xxx. The domestic industry has provided segregated information with respect to domestic operations, hence, losses in the export market are irrelevant.
- xxxi. As opposed to the submissions of the other interested parties, the prices of IIR were quite high earlier. The price has declined from USD 4,000 to USD 2,000 and is not justified by cost decline. Thus, IIR has been a reasonably profitable product.
- xxxii. The interested parties have not produced any evidence to justify the consideration of a return of less than 22%.
- xxxiii. The applicant would have earned a return on investment as considered reasonable by the Authority in the absence of dumping. The payback period projected was *** years.
- xxxiv. The high profitability of the product is also evident from the fact that the other producers have added significant capacities.
- xxxv. The low return to the industry currently is due to surplus capacities held by Exxon and the need for the producer to run the plant at higher capacity utilization.
- xxxvi. Since the present case is that of material injury, the actual cost of production of the domestic industry has to be considered for determination of non-injurious price.
- xxxvii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry would have suffered injury at optimum levels of production.
- xxxviii. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry was producing at commercially and technically sound level and except for strain caused by imports, there was no other reason for reduction in prices.

G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 74. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry, and made post-issuance of the preliminary findings. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. Further, the Authority

had earlier examined injury to the domestic industry in the preliminary findings. The same has not been examined in the present disclosure statement to the extent it has already been examined in the preliminary findings.

75. With regard to the submissions that material injury and material retardation to the establishment of the domestic industry cannot co-exist, the Authority notes as follows:

a. There is no bar under the law to simultaneously examine the three forms of injury in a particular case. In fact, the issue of whether different forms of injury can coexist at the same time is already well-decided. The Authority has in the past several investigations, and in the context of material retardation to the establishment of domestic industry in India examined the material injury and threat of material injury to the domestic industry (the domestic industry referred to investigations relating to PHPG base, dane salt, etc.). Further, the Authority has examined material injury and material retardation to the establishment of domestic industry for different constituents of domestic industry in a single investigation (the domestic industry referred to investigations relating to SBR). In any case, a plain reading of the law makes it obvious that the rules do not specify that only one form of injury can exist at one point in time, nor it would be appropriate to consider such a proposition, particularly when different domestic producers may be faced with import competition while being in a different stage of their economic development.

b. The Authority notes that it is an established practice to examine the performance of the domestic industry to the extent of its existence in material retardation cases by considering various parameters that are considered for a material injury case. Thus, if parameters relevant to material injury examination can be examined in a material retardation case, it cannot be contended that parameters relevant to material retardation are totally irrelevant to a material injury case. The Authority examines the actual performance of the domestic industry during the injury period in a material retardation case and compares the same with projection in order to determine whether the performance of the domestic industry in the POI could be considered injurious. In the same manner, it would be appropriate to consider the performance of the new industry and compare the same with the projections drawn in order to ascertain whether the performance of the domestic industry was injurious having regard to the projection earlier drawn.

c. The present case is that of material injury caused by the dumped imports to a new industry in the country. The domestic industry is admittedly a new entrant in the domestic market and started production in September 2019 and commercial production in March 2022. While the applicant was producing and selling in commercial quantities since 2020-21, it declared commercial production only in March 2022. Thus, while the Authority has evaluated material injury to the domestic industry due to the dumping of subject imports into India, it is essential to note that the present case is that of material injury to a new industry in India where the domestic industry commenced production in base year started producing and selling in commercial quantities since 2019-20, but, declared commercial production only in March 2022. The period of investigation, i.e., 2022-23 is thus, the first full year of production after declaring commercial production by the domestic industry. The situation of the domestic industry in the present case is therefore incomparable to a situation where the domestic industry has been in production after declaring commercial production throughout the injury period and even before that. Accordingly, the Authority has analyzed material injury to the domestic industry as well as compared the projected performance of the domestic industry with the actual performance.

76. The interested parties contended that not only production of the domestic industry increased over the present injury period, but also, the same increased further in the post period of investigation. These interested parties contended that the domestic industry was able to fully utilise its production capacities in the post POI. The domestic industry on the other hand contended that it continued to suffer financial losses, in the POI and even when the company produced higher volumes in the POI as compared to the previous three years. The Authority notes that in a situation where the domestic industry was able to utilise its production capacity in the subsequent period and yet suffered financial losses, it should be concluded that the domestic industry is suffering injury because of commercial considerations, and not because of technical considerations. In so far as the plant and product of domestic industry is concerned, the same was fully operationalised and the domestic industry had no technical constraints which could have caused injury to the domestic industry. This further establishes that injury to the domestic industry was due to dumped imports.

77. With regard to repeated arguments of the parties in respect of trial production, off-specification production, and start-up costs, the production activities of the applicant were examined in detail. The following was noted.

- a. The applicant started production in commercial quantities in September 2019 and continued trial production till March 2022. The applicant produced a total of ***MT during this period. This production has been declared as trial production under the Companies Act. This production included significant off-specification production.
- b. The applicant declared commercial production in March 2022. The applicant produced *** MT till the end of the period of investigation. A significant part of the production in the POI was of good specification.

78. The table below shows different phases of sales, the volume of sales, the volume of off-specification sales, the volume of good specification sales, the volume and value of off-specification sales and good production sales over the relevant period.

Volume of Goods and Off-spec sales by applicant

SN	Particulars	Type	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Cumulative
A	Domestic sale	Off specification	***	***	***	***	***
		Good specification	***	***	***	***	***
		Total	***	***	***	***	***
		% off specification	60-70%	20-30%	10-20%	10-20%	15-25%
B	Exports	Off specification	***	***	***	***	***
		Good specification	***	***	***	***	***
C	Total	Off specification	***	***	***	***	***
		Good specification	***	***	***	***	***
		Total	***	***	***	***	***
		% off specification	35-45%	10-20%	5-15%	5-15%	10-20%

79. The table below shows selling price of off-specification and goods-specification product sales

Market	Type	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Domestic	Off specification	₹/MT	***	***	***	***
	Good specification	₹/MT	***	***	***	***
	Total	₹/MT	***	***	***	***
	Difference between good and off specification	₹/MT	***	***	***	***
	Difference between average price and good specification prices	₹/MT	***	***	***	***
Exports	Off specification	₹/MT	***	***	***	***
	Good specification	₹/MT	***	***	***	***
	Difference between good and off specification	₹/MT	***	***	***	***

80. The Authority notes the following

- The share of off-specification sales in total sales of the applicant also declined steeply post 2019-20. Whereas the share of off-specification sales in total sales in the domestic market was as high as 60-70% in the base year, the same declined to 10-20% in the investigation period.
- There is a significant difference in the prices of off-specification material and good-specification material. The difference exists throughout the injury period. The price difference between the two differed to the extent of 15-30%.
- Since the share of off-specification sales in the domestic market was quite high in 2019-20 (60-70%), the weighted average selling price of good and off-specification sales was materially lower than the selling price of good-specification material. The difference between the average selling price and good specification material selling price was as high as *** per MT in 2019-20 and the same declined to *** per MT in the period of investigation.

81. Since the price undercutting, price suppression, profits, cash profit and return on investments are determined considering the average selling price, it is seen that these parameters were adversely affected by sales of off-specification material in the domestic market. Further, since the ratio of such off-specification material sales was higher in 2019-20, it has distorted these parameters. In view of the same, the Authority has determined price suppression/depression, profits, cash profits and return on investments after excluding off-specification material sales made by the domestic industry. The Authority notes that this is additionally appropriate considering that the interested parties have also contended that the domestic industry has sold off-specification material and that is one of the causes of injury to the domestic industry. If injury to the domestic industry is

determined after excluding these off-specification material sales, it is evident that the data would not be distorted by off-specification material sales.


82. The applicant has exported some volume of off-specification production. However, the applicant sold *** MT of off-specification material during the injury period, out of which only *** MT was sold in the international market. Thus, about 90-100% of off-specification sales were in the domestic market.
83. The Authority considers that the existence of significant off-specification production and sales from a new plant, and significant differences in the price of off-specification and good-specification material have led to distortion in the average selling price. Further, since the domestic industry has submitted that it suffered due to start-up operations in 2019-20, even the cost of production was impacted in this period. Further, the other interested parties have also submitted that the domestic industry had high start-up costs. For these reasons, the Authority considered it appropriate, for the purpose of this investigation, to ignore 2019-20 and make a comparison with 2020-21 for the purpose of price depression/suppression.
84. With regard to the submissions that a comparison of commercial production with trial production is not appropriate, the Authority notes that the domestic industry has been producing the subject goods in commercial quantities since 2019-20, and reported the same as trial balance in its books of accounts. Since the domestic industry started production w.e.f. September 2019, the plant initially generated a high volume of off-specification production. Since the plant produced significant volumes of off-specification product during the trial production stage, i.e., in 2019-20, and further since significant sales during 2019-20 (60-70%) were of off-specification material, it was considered appropriate to exclude 2019-20 for the purpose of determination of price suppression/depression. Both the selling price and cost of production in this period were impacted by start-up operations of a new production facility.
85. With regard to the submissions that raw material, utilities and production capacities should be optimized on a quarterly basis for injury assessment, the Authority notes that the NIP has been prepared by considering best-achieved capacity utilization during the injury period as the present case is that of material injury to the domestic industry. The consumption reported by the applicant was even compared with the consumption reported by the foreign producers and it was seen that the consumption factors of the domestic industry corroborate well with the consumption factors reported by the foreign producers.
86. With regard to reliance on the soft ferrite cores case, the Authority notes that it is not appropriate to rely upon some other investigation, particularly when the factual matrix of two investigations might be poles apart. In the soft ferrite case, for instance, the domestic industry is an established industry in operation for several years. In the present case, however, the domestic industry commenced production in commercial quantities in 2019-20 and declared commercial production in March 2022, that is, right before the period of investigation. Further, in the soft ferrite case, the Authority found that there were certain geometries of the product which have not been imported into the country nor being supplied from China or other countries, or being produced by the domestic industry. However, the possibility of those geometries being produced and supplied by other domestic producers is high. In the present case, however, there is no demand for these speciality grades. Further, each type of soft ferrite is meant for a unique application/end use. The transformer manufacturers cannot interchangeably use soft ferrite cores of different geometries. However, in the instant case, there can be overlap in the uses of different grades, particularly the grades meant for tube applications. Indeed, the parties have contended that the very same grade is used for making tube bladders as well as making tubes. It may also be noted that the investigation pertaining to soft ferrites cores is an ongoing investigation and the Authority is yet to make a final determination in the said investigation.
87. It is clarified that there is a typographical error at para 99 of the preliminary findings in so far as the sentence "the landed price of imports from Russia is higher than other subject countries." is concerned. The reference in para 99 of the preliminary findings is to the fact that landed price from Russia is higher than some of the subject countries while lower than some of the subject countries in the present POI.
88. As regards the contention that the Authority should examine the raw material sourced by the applicant from RIL because of the relationship between the two parties, the Authority notes that the parties have heavily contended that the joint venture agreement between the two partners and AOA signed by them creates sufficient obligations on both applicant and RIL which ensures that such transactions are at arms' length. Further, both the applicant and RIL are subjected to provisions of the Companies Act, including provisions concerning related party transactions, which require these parties to declare all transactions with the related parties and are at arms' length.

G.3.1. CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY

89. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of like article, and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
90. In the instant case, volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than the *de-minimis*. As regards the appropriateness of cumulative assessment, the Authority notes that only one PCN (HM) has been imported into India and the same grade has been sold by the domestic industry in the merchant market. While the domestic industry has also produced another PCN (LM), the same has been used only for captive consumption. Only limited PCN are being supplied by producers in the subject countries and the domestic industry. None of the parties have shown the existence of a particular grade for which other suppliers in the market are not offering like article. Indeed, the domestic industry claimed that tubes constitute 94% of consumption while other segments constitute approximately 6% of consumption. It is evident that the product is produced and sold in limited types of forms and all the suppliers in the market are offering these limited types. Further, there are a limited number of consumers both in terms of the segment and within the segment. All these consumers are sourcing products from different markets and different point in time. It is seen that different suppliers are *inter-se* competing with each other in the same market.
91. It is also seen that in the present investigation there was no country which had lowest import price in all four years, rather different countries had lowest prices in different years. Thus, there is no country which consistently had lower or higher prices. In fact, Russian prices were lower than the rest of the subject countries in three out of four years. This clearly establishes that imports from different countries were competing *inter-se* and with the domestic industry in the same market.
92. Some of the interested parties have contended that imports from Russia should be de-cumulated for injury assessment in view of the relationship of the Russian entity with the applicant, the non-market economy status of Russia, and the volume and price of imports from Russia. The Authority notes that Russia has not been treated as a non-market economy for the purpose of the present investigation. The determinations made by either USA or Europe are not relevant to the Authority for the purpose of the present investigation. In any case, the Authority has not de-cumulated imports even in those situations where one of the subject countries is a non-market economy while others are market economy countries. The Authority has routinely investigated imports from China along with other countries, where Chinese producers have been treated as operating under a non-market economy. Thus, as per the past practice of the Authority, Russia is being treated as a market economy for the purpose of the present investigation. The Authority has already addressed the submissions raised by the other interested parties regarding the relationship between the Russian producer and the applicant in the relevant section.
93. With regard to the submissions that the Russian imports have declined to give market access to the applicant, the Authority notes that the imports from all the subject countries have declined post-commencement of production in India. The same is in any case a common consequence of the commencement of production in new production facilities as in the present case. Further, the Authority notes that had the Russian producer resorted to the reduction in exports to India to provide market access to the applicant, the same would not have been done by selling at prices lower than some of the subject countries. The Russian producers have maintained prices in competition with other subject countries. In such a case, the price of the imports should have been higher to provide a higher-priced market to the applicant.
94. The table below shows import prices from various subject and non-subject countries.

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
A	Landed price from subject countries	₹/MT	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267
1	Singapore	₹/MT	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909
2	Russia	₹/MT	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	Saudi Arab	₹/MT	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	U S A	₹/MT	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	China PR	₹/MT	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308



95. The Authority thus concludes that it would be inappropriate to de-cumulate imports from Russia in the present investigation for the following summarized reasons.
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries.
 - The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

G.3.2. **VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS**

a) **Assessment of demand / apparent consumption**

96. As noted in para 101-102 of the preliminary findings, demand or apparent consumption for the PUC increased over the injury period. It is seen that the product had significant and positive growth in the country. With regard to the submissions that demand should be evaluated based on both captive consumption and without captive consumption, the Authority notes that the Authority has considered demand with respect to imports into India and merchant sales of the domestic industry. This is due to the fact that only the merchant sales of the domestic industry are competing with the imports.

b) **Import Volumes from the subject countries**

97. The Authority found in the preliminary findings that the volume of imports cumulatively from the subject countries declined over the injury period. The interested parties have heavily contended that the legal requirement is that the import should have increased over the period. The interested parties have contended that a situation where volume of imports has declined over the injury period, the Authority cannot conclude that the domestic industry has suffered material injury. The interested parties have also argued for the exclusion of imports from Russia and its de-cumulation.
98. The Authority notes that the WTO – Panel on United States – Anti Dumping and Countervailing duties on Ripe Olives from Spain (WT/DS577/R dated 19th November 2021) – has examined in detail the legal requirements with regard to volume of imports and injury to the domestic industry, and obligations of the investigating authorities with regard to the same. The Panel clearly held that these provisions instruct an investigating Authority to “consider whether” there has been a significant increase in dumped or subsidized imports. To “consider whether” indicates a requirement that an investigating Authority **should** take into account **the volume of imports** in reaching its decision. **It does not establish that the volume of imports should have necessarily increased before the Authority can come to a conclusion that the domestic industry has suffered injury.** An investigating Authority’s consideration of whether there has been a “significant increase”

in volume **becomes** evidenced by an examination of the changes in volume, regardless of whether **such** volumes in fact increased, decreased, or remained stable.

99. The Authority thus notes that the obligation of the Authority is with regard to the examination of import volumes per se over the injury period and does not require the Authority to conclusively find an increase in imports as a condition precedent before concluding that the domestic industry has suffered material injury. Indeed, it is evident that even in a situation where the import volumes has declined over the injury period, the domestic industry could have still suffered significant material injury as a result of dumping in the country.
100. The Authority also notes that the decline in imports is a common phenomenon/ consequence of the fact that the domestic industry has production in commercial volumes in 2019-20, even though declared commercial production in March 2022. Since gross demand for the product was in the region of *** MT when the domestic industry started selling the product, the same rose to only *** MT, and further since the domestic industry holds a production capacity of 1.20 lacs MT, and produced a cumulative volume of over *** MT during the current injury period, valued at about Rs. *** crores, it was quite obvious that the domestic industry would make all-out efforts to sell its product and the consumers would also wish to develop a domestic source in a product hitherto totally dependent on imports. A consequence of production in commercial quantities by the domestic industry was, therefore, a decline in the volume of imports post-commencement of production in the country. The decline in subject imports therefore does not establish that the same could not have caused material injury to the domestic industry.
101. With regard to the submissions that imports have remained high due to the absence of production of speciality products in India, the Authority notes that the speciality products are not being imported into India. Almost the entirety of the imports are of regular-grade products. Only one PCN has been imported into India and the same has been sold by the domestic industry in the merchant market. Thus, it could not be concluded that imports are high due to imports of speciality product in India. The Authority places reliance on the responses submitted by the participating exporters.
102. The Authority notes the contention of the domestic industry that as it increased its sales by offering competitive prices, imports declined; however, the domestic industry suffered significant price injury in the sales made and was not able to sell the material to the extent of production and capacities. The Authority also notes the contention of the domestic industry that it was not able to declare commercial production for such a long duration.
103. The Authority thus notes that while it has been argued that since the domestic industry was able to increase its sales, and as a consequence of the same, the volume of imports declined, that domestic industry has not suffered a material injury, this would not be a complete and proper appreciation of the prevailing market situation and performance of the domestic industry. It is also noted that while the domestic industry was able to sell the material and was even able to increase its domestic sales over the injury period, the increase in domestic sales was far less than the increase in production. The table below demonstrates.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	122	124
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	367	381	516
Capacity	MT	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	646	1,316
Capacity excluding captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	169	156	140
Production excluding captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	355	307	365
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	510	594	816

104. Evidently, the increase in sales was less than the increase in production, despite the fact that the domestic industry had a much higher production capacity. As against domestic demand of *** MT, the production capacities for the subject goods with the domestic industry in the period of investigation was 1,20,000 MT. Even if it is considered that the domestic industry consumed *** MT IIR for the production of HIIR, it is seen that the domestic industry still had a production capacity of *** MT available to meet the domestic demand of IIR.
105. Even if production capacities are ignored and only production is counted, it is seen that the domestic industry had a production of *** MT, as against which the domestic sale was only *** MT. Evidently, the domestic industry was not able to sell the volumes to the extent of production owing to imports in the market. This clearly shows the adverse effects of imports on the domestic industry.

G.3.3. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

106. The Authority notes that not only there was adverse volume effects in the present investigation as the domestic industry was not able to sell its full production after excluding captive consumption, the domestic industry was able to sell the present volumes only after a significant compromise on the prices. It is seen that the domestic industry was selling the product during the entire period at a price material below the cost of production and fair price for the product.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject Countries	MT	44,860	36,272	29,808	19,110
Singapore	MT	13,546	6,094	6,830	11,291
Russia	MT	25,847	18,642	14,014	3,104
Saudi Arabia	MT	1,299	1,577	1,790	1,903
U S A	MT	4,168	9,943	6,939	1,563
China PR	MT	0	17	234	1,249
Other Countries	MT	1,531	566	621	361
Total Imports	MT	46,391	36,838	30,428	19,470
Total Indian Production	MT	***	***	***	***
Subject import in relation to:					
Total imports	%	97%	98%	98%	98%
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	55	34
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	22	17	8

a) **Price undercutting**

107. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particular	Unit	POI
Selling price	USD/MT	***
Landed price	USD/MT	2,541
Price undercutting	USD/MT	(***)
Price undercutting	%	(***)
Trend	Range	Negative

108. The Authority notes that the price undercutting on an average basis is negative. The domestic industry has submitted that it has been forced to sell at lower prices in order to compete with imports and gain a foothold in the domestic market.

109. The other interested parties have contended that since the landed price of imports was higher than the selling price of the domestic industry, the domestic industry could have increased its prices up to the level of landed price of imports. The domestic industry submitted the following;
- a. The same exporter was selling the same product to the same importer at materially different prices at the same point in time. The domestic industry has identified a number of import transactions to substantiate this fact. The other interested parties have not responded to this contention of the domestic industry.
 - b. Since imports have occurred at materially varying prices at the same time, the domestic industry has been forced to compete with the lowest priced imports.
 - c. The domestic industry has been forced to sell at a lower price only because of dumping of the product in the country.
 - d. The negative price undercutting on the basis of CIF import price is inappropriate for the reason that the same reflects transactions between Indian importers and their affiliated traders. These transfer prices do not reflect the price at which the Indian consumers have negotiated the product and placed orders either with the domestic industry or with foreign suppliers. The domestic industry contended that since some of the Indian importers are buying from their affiliated foreign traders, the CIF import price is the price from affiliated foreign traders. The domestic industry therefore, demanded that the price undercutting should be determined by considering the selling price of the foreign producer and not the CIF import price from such affiliated trader.
 - e. The domestic industry contended that it is a matter of common knowledge that the foreign producers are giving significant post invoicing discounts, and the import price reflects the prices as reported in the commercial invoices presented to the Indian customs. The domestic industry further contended that post issuance of invoices, the foreign producers have given significant discounts to Indian importer or foreign trader, and these discounts are not reflected in the import prices. The Authority notes that some of the foreign producers have reported discounts as one of the price adjustments. The Authority notes that since exporters have given discounts on the invoice price, the CIF price reported into Indian customs does not represent the price actually paid by the importer and realized by the exporter.
 - f. The Authority determined dumping margin on the basis of the price at which foreign producer has sold the material. For the purpose, the Authority has determined ex-factory prices, after deducting all expenses, including post invoicing discounts. The domestic industry contended that if the dumping margin is based on ex-factory export price at the producer level, it would be inappropriate to determine injury margin and price undercutting by considering CIF prices of some other entity, and particularly when the Indian importers are related to such exporter and the prices are negotiated between the Indian buyer and producer. The domestic industry further contended that the purpose of determination of price undercutting and injury margin is to assess the extent to which foreign producers sold the material at a price below selling price or NIP of the domestic industry. The domestic industry contended that since the dumping margin and injury margin are determined for the same foreign producer, it is inappropriate that the dumping margin and injury margin are based on prices to different entities, particularly when the prices have been negotiated by the users with the foreign producers and the users are affiliated to the exporters invoicing the goods.
 - g. The Authority had in the past determined price undercutting for the responding producers by considering their prices. Reference was invited to illustrative cases such as investigations relating to Decor Paper, and Cathode Ray Colour Picture Tubes wherein price undercutting has been determined separately for the responding producers. Reference has also been invited to the determinations made by the European Commission, wherein price undercutting is determined for the responding foreign producers and not cumulatively for the subject countries alone.
 - h. Had the domestic industry charged remunerative prices considering its earlier projections (and after making changes in the input prices), the import volumes would have been much higher than the present volumes as the domestic industry would not have been able to get any orders from the market. It is seen that the landed price of imports was ***% below the optimum cost of production and ***% below non injurious prices. Thus, the volume of imports would have remained high and would have very likely catered to the entire demand in India. The Authority notes that loss making sales by the applicant has led to decline in imports into India in absolute and relative terms.
110. In view of the above, the domestic industry contended that the Authority determine price undercutting on the basis of questionnaire responses filed by the responding producers.
111. The Authority however considers that it is not necessary that price undercutting, price suppression and price suppression must all be present at the same time before the Authority can conclude the existence of injury by the dumped imports. In fact, it is noted that most often price suppression and price depression are not present at the same time. Further, it is possible that the price undercutting alone is positive and without any

suppressing/depressing effects on the domestic prices. Even the interested parties have not contented that the price undercutting must necessarily be positive before the Authority can conclude the existence of injury. Indeed, the Authority has found existence of material injury in several cases where the price undercutting was found negative. Even otherwise, existence of negative price undercutting merely implies price competition between the domestic and imported product. It is quite possible that in a situation where a new industry is trying to establish itself in the market to the extent of its capacity and capability, the domestic industry would do so by competing with the dumped imports. However, if such negative price undercutting is because of dumped imports, this is evidence that the dumped imports have forced the domestic industry to offer unremunerative prices. The Authority therefore considers, it is not necessary that the price undercutting be determined separately for the participating exporters. The Authority in any case has based its preliminary findings on the existence of price suppression and the same has been further examined in the present disclosure statement.

112. With regard to the submissions that the applicant was forced to match Russian prices since it produced the subject goods based on technology acquired from Russia and was trading in products from Russia, the Authority notes that the landed price of imports from China was lower than the landed price of Russia in 2020-21 and 2021-22, while the landed price of Singapore was lower than the landed price of Russia during 2019-20, 2020-21 and 2021-22. The applicant was forced to price its product below the landed price from various countries in order to sell the product. Since the selling price of the domestic industry was below the landed price of various countries and not just Russia, it cannot be said that the applicant was forced to match the landed price of imports from Russia.

SN	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
A	Landed price from subject countries	₹/MT	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267
1	Singapore	₹/MT	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909
2	Russia	₹/MT	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	Saudi Arab	₹/MT	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	U S A	₹/MT	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	China PR	₹/MT	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308

b) Price suppression/depression

113. In the preliminary findings, the Authority had found that the imports were suppressing the domestic prices. The Authority had come to the conclusion by considering the changes in costs and prices between 2020-21 and the POI. The Authority notes that the petitioner started production only in September 2019 and faced shutdown of the plant post commencement of production due to the setting up of the production process. Thus, the data for less than 6 months is available for 2019-20. Since the domestic industry also faced high start-up costs, high production and sale of off-specification material and low-capacity utilisation in 2019-20, the Authority has considered it relevant to consider price suppression/depression from 2020-21. The mere fact that the applicant declared commercial production in 2022-23 does not imply that the applicant suffered start-up operations in 2022-23.
114. In view of the above, the Authority considered the situation of price-suppression by ignoring the year 2019-20, this being the first year of production and the period when the plant was suffering from start-up operations and significant off-specification material. The table below demonstrates the factual position.

Price suppression/depression ignoring the 2019-20 period

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	Change in POI with base year
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	129	156	56%
3	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	119	149	49%

115. It is seen that:

- a. If 2019-20 is ignored, whereas the cost of sales of the domestic industry increased by ₹ *** per MT, the domestic industry increased its prices only by ₹ *** per MT.
- b. Whatever be the period, in the absence of dumped imports in the market, the domestic industry would have increased its prices for two reasons – (i) it was faced significant financial losses when it launched the product and was required to recover from such losses and earn reasonable profits, (b) cost of production had increased over the injury period. The Authority examined the reason for the increase in the cost of production. It is seen that the input prices have increased over the injury period. Thus, the domestic industry was required to increase its prices in order to fetch a price that would permit recovery of its costs, earn some profits on the investments and also make up for the increase in costs over the period.

116. It is thus seen that the domestic industry has not been able to increase its prices to come out of losses and to address increase in the cost of sales. Further, the increase in landed price of imports between 2020-21 and the POI cumulatively from the subject countries is lower than the increase in cost of sales of the domestic industry and increase in the prices required by the domestic industry to come out of its loss making sales. It is, thus, seen that the domestic industry has suffered suppressing effects on its prices as a result of dumped imports.

117. While the Authority considers it would be appropriate to exclude 2019-20 for the purpose of determining whether dumped imports led to price depression or suppression in view of the fact that the domestic industry started commercial production in 2019-20, in the alternative, the Authority undertook evaluation of performance of the domestic industry over the entire injury period. In this regard, it is noted that whereas the cost of production declined significantly between 2019-20 and 2020-21, the same increased thereafter. The selling price, however, increased throughout the investigation period. Thus, the domestic industry suffered no price depression between 2019-20 and 2020-21. However, thereafter, while both the costs and prices increased, the increase in selling price was much less than the increase in cost of production. In other words, whereas the domestic industry suffered no price suppression or depression between 2019-20 and 2020-21, the domestic industry suffered price suppression thereafter. The imports of subject goods from the subject countries prevented the domestic industry from increasing the prices that would have occurred in the absence of dumped imports in the country.

118. The Authority examined whether the domestic industry would have increased its prices in the absence of dumped imports in the market. It is noted in this regard that since the domestic industry and foreign producers are the only sources of supply for the product, the domestic industry would have charged a price considering the cost of production and fair price for the product. The domestic industry offered a lower price when it launched the product, as these were sales by a new producer. However, as the domestic industry gained its acceptance in the market, the domestic industry was required to increase its prices in order to come out of the significant financial losses suffered by the domestic industry. The domestic industry was, however, forced to charge a price materially below the cost of production when it started selling the product. In the absence of dumped imports, the domestic industry would have indeed increased its prices by the quantum of cost increases, financial losses and reasonable profits required on the investments. It is, thus, noted that the dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices.

119. With regard to the submissions that 2020-21 was impacted due to COVID, the Authority notes that there is no evidence on record which shows the possible adverse impact of COVID on the performance of the industry manufacturing the product under consideration. The imports of the product under consideration declined in 2020-21 at the same rate as that in 2021-22. Further, only a part of 2020-21 was impacted due to COVID and not the whole period. Thus, it cannot be concluded that 2020-21 as a whole was impacted due to COVID and thus, cannot be compared with the period of investigation.

120. With regard to the submissions that 2020-21 was impacted due to crude price crash, the Authority notes that a change in the prices of crude has impacted both the domestic industry as well as exporters. Since the said event impacted both domestic industry and exporters, a comparison of cost of sales, selling price and landed price in 2020-21 and the period of investigation is appropriate for the present investigation.

G.3.4. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

121. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000

Trend	Indexed	100	171	171	171
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	367	381	516
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	214	222	301
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	510	594	816
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	611	357	212
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	646	1,315
Number of days production was shutdown	Days	***	***	***	***

122. The domestic industry contended that even though the total production in the period of investigation as a whole was highest over the injury period, even the production in the period of investigation suffered owing to the dumping of the product in the country. The applicant relied upon its application containing monthly production, capacity utilization, stocks, captive consumption, and domestic and export sales data. It was seen that the production of the applicant was *** MT in ***. Thereafter, it declined and was lowest in *** at *** MT. The applicant faced a plant shutdown from *** to *** due to the accumulation of inventories. The production increased thereafter in *** and was *** MT. The Authority notes that the production of the applicant in some part of the period of investigation was significantly lower than the production achieved in some other parts of the period of investigation. Had the applicant not suffered a loss of production in the *** period, the applicant would have produced an approximate additional *** MT subject goods in the period of investigation.
123. The interested parties contended that the domestic industry suspended its production not because of dumping of the product in the country, but because of technical constraints. According to the interested parties, the company started production of other product (HIIR) and therefore had to suspend its production in order to start the HIIR plant. The domestic industry contended that there was no reason why it was required to stop the production for IIR to start the production of HIIR, the two plants are two totally different streams and operate independently.
124. It is also noted that the applicant domestic industry had suspended its production in *** when it was faced with an inventory of *** MT. This was the highest level of inventory held by the domestic industry. The Authority, therefore finds force in the submission of the domestic industry that it was high stock with the domestic industry that forced it to suspend the production, and not a technical requirement to start the HIIR plant.
125. In any case, even if it is assumed that the domestic industry was required to suspend production in order to start production of HIIR, the Authority notes that the domestic industry was faced with a stock of *** MT when it suspended production. Thus, the domestic industry was in a position to supply the material even when its production was suspended. The sales of the domestic industry could not have suffered for this reason.
126. As regards sales, the domestic industry had submitted that it was able to sell only *** MT volume in POI as against *** MT projected for the third year of operations.
127. The other interested parties have stated that the domestic industry has produced more than the domestic demand in India; and accordingly, has suffered self-inflicted injury. The Authority notes that the production of the domestic industry during the period of investigation was *** MT which includes production meant for captive consumption also. If production meant for captive consumption is excluded, the production of the domestic industry during the POI was *** MT while the demand during the period of investigation was *** MT. Thus, the production of the domestic industry meant for merchant market was less than the demand in India.
128. With regard to the submissions that captive consumption should be removed for injury analysis, the Authority notes that inclusion and exclusion of captive consumption from injury analysis does not vitiate the facts established in the present investigation. The Authority has examined the parameters both by including and excluding captive consumption.

b) Market share

129. The domestic industry contended that even though its market share improved over the injury period, the same was still substantially lower than the market share that the domestic industry would have achieved in the absence of dumped imports. The domestic industry submitted that had it sold the volume to the extent it had produced (after excluding captive consumption), it would have still achieved a market share of *** %. However, the domestic industry was forced to export *** MT production only because of absence of demand for its product in the country as the consumers sourced from the subject countries.
130. The domestic industry had projected a market share of *** % by third year of its production. However, the applicant achieved only *** % market share in the current period which was achieved by selling at losses. The domestic industry thus submitted that dumping of the product has adversely impacted the market share of the domestic industry.

c) Inventories

131. At the time of spot verification, the domestic industry specifically highlighted that the level of inventories with the domestic industry had increased so significantly that applicant had to undertake production shutdown. The applicant referred to its application containing month wise inventories. The table below shows the trend of inventories over the injury period and month wise for the investigation period. It is seen that the level of inventories with the domestic industry had increased to *** MT. This was the time when applicant was forced to undertake shut down. Thereafter the level of inventory had declined. However, the closing level of stock was still significantly high.

Period	Inventories (MT)
2019-20	***
2020-21	***
2021-22	***
POI	***
Apr-22	***
May-22	***
Jun-22	***
Jul-22	***
Aug-22	***
Sep-22	***
Oct-22	***
Nov-22	***
Dec-22	***
Jan-23	***
Feb-23	***
Mar-23	***

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

132. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/ (loss)	₹ Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	-114	-236	-349
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	-114	-236	-263
Return of investment	%	(***)	(***)	(***)	(***)

Trend	Indexed	-100	-25	-92	-125
Profit/loss per unit	₹/MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	-100	-22	-40	-43

133. It is seen that (a) the domestic industry has suffered financial losses throughout the injury period, and (b) the extent of losses on total domestic sales was so significant that the losses suffered on total domestic sales kept increasing over the injury period. In other words, the domestic industry sold more material but suffered more losses.
134. The interested parties contended that per-unit losses suffered by the domestic industry declined over the injury period. It is seen that as compared to the base year, the losses per unit have increased in the POI as compared to 2020-21. However, if the selling price is determined only for good-specification production and costs are adjusted for start-up operations, it is seen that the per-unit losses have also increased in the POI as compared to the base year. Further, total losses suffered on domestic sales have increased. Even when production and domestic sales increased over the injury period, the losses suffered by the domestic industry increased. The domestic industry incurred higher losses with higher sales. Further, the per unit losses over the injury period shows a decline only because costs and prices in the base year were impacted by start-up operations and off-specification product sales.
135. The other interested parties have submitted that the losses to the applicant in the export market were due to the export of off-specification goods. The Authority notes that the exports made by the domestic industry even of good specification products were at losses. However, the injury examination has been conducted for the performance of the domestic industry in the domestic market; and hence, performance in export market is not relevant.
136. The opposing interested parties have submitted that a comparison with the project report is not appropriate in a material injury case. The Authority however notes that since the domestic industry is a new domestic producer and commenced production only in 2019-20 and declared commercial production in POI, it is appropriate to evaluate the performance of the domestic industry both by considering actual performance over the injury period and comparing the same with the projections drawn for the product. There is no bar under the rules on the comparison of profitability of the domestic industry with projection in a material injury investigation.
137. With regard to the submissions that comparison with the project report made in 2011 is not appropriate due to changes in business scenario, raw material prices and demand-supply situation, the Authority notes that the original project report of the applicant was made in 2011. However, with the change in business scenario and raw material prices, the applicant had revised the project report twice. Even in comparison with the revised projections which was made right before the injury period, the performance of the domestic industry is adverse. While the domestic industry had projected profit, cash profit and positive return on capital employed in the second revised projections, it has actually incurred financial losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation. The Authority also notes the argument of the domestic industry that the revisions in the projections were itself a result of the dumping of the product that had started in the market due to global overcapacity and resultant competition between foreign producers. Further, with new capacities coming up, foreign producers started resorting to unfair competition and dumping in order to retain their volumes and prevent entry of new producers.
138. With regard to the submissions that the Authority should verify the stakeholders which required revision of the project report and check for correspondences, the Authority notes that the revision of the project report was much before the filing of the application for an anti-dumping investigation. Thus, the revision in the project report based on requirements of the stakeholders was only due to business purposes and cannot be said to be made for the purpose of the present investigation. Even if it is assumed that there were other factors causing injury to the domestic industry, it must be demonstrated that the effect of such other factors is so significant as to lead to a conclusion that dumped imports are not one of the major causes of injury to the domestic industry.
139. The Authority notes the contention of the domestic industry that it had set up the plant with projections to earn profits in the very first year of operations and a payback period of *** years. Even when projections were revised from time to time, even the most recent projection drawn by the domestic industry shows that the domestic industry would have earned profits in the very first year of production and the same would have increased by the third year of operations. In the instant case, however, the domestic industry is facing financial losses even in the fourth year after commencing production of the subject goods.
140. As noted in the Para above, imports have prevented the price increases that would have occurred in the market in the absence of dumped imports. In the absence of dumped imports, the domestic industry would have aligned its prices to a fair price for the product. The domestic industry has however been forced to sell the

material at a price materially below fair price. Thereafter, the domestic industry was prevented from increasing its prices to the extent of an increase in the cost of sales.

e) Employment, productivity and wages

141. Since no further submissions have been received by interested parties on preliminary determination relating to the performance of the domestic industry concerning employment, productivity and wages, the Authority confirms Para 134-135 of the preliminary findings.

f) Growth

142. Since no new submissions have been received by any interested parties on the growth of the domestic industry, the Authority confirms Para 136 of the preliminary findings.

g) Impact on the ability to raise capital investments

143. The opposing interested parties have submitted that the ability to raise capital investment by the domestic industry has not been impacted as the production and sales of the domestic industry has increased and the applicant is a joint venture of the two largest shareholder groups in Russia and India. The Authority notes that even though the production and sales of the domestic industry have increased, the domestic industry has suffered cumulative losses of Rs. *** crores since the commencement of production in 2019-20. The domestic industry has recorded cash losses and negative return on capital employed. The losses have increased over the injury period.
144. Even if the applicant is a joint venture of two large companies, the applicant is a stand-alone company and the cumulative losses suffered are too significant. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

h) Factors affecting domestic prices

145. The interested parties have contended that there are other parameters in the global market which have impacted the prices. The Authority however notes that the dumping margin is quite significant, which shows that the subject foreign producers were selling the price at a price below normal value. Thus, the alleged global factors could not have forced the domestic industry to sell at unremunerative prices. The domestic industry would have fetched reasonably profitable prices in the absence of dumping. It is also noted that these global factors could have selectively impacted the Indian market and the foreign producers' own market could not have remained insulated by such factors.

i) The magnitude of dumping

146. The Authority confirms the preliminary findings that there is significant dumping of subject goods from the subject countries which has destroyed the conditions of fair competition in the market.

A.1.1

A.1.2 Non-attribution analysis and casual link

- 147.** Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

148. It is noted that there are negligible imports from any other country. The imports from the subject countries constitute 97% of the imports in India. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

b) Contraction in demand

149. The demand for the product under consideration has steadily increased and was the highest during the period of investigation. The demand for the subject goods is expected to continue to grow. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.

c) Pattern of consumption

150. It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

151. The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

152. There has been no change in technology for production of the subject goods. The domestic industry has set up a new plant for the production of the subject goods.

f) Productivity

153. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.

g) Export performance of the domestic industry

154. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.
155. The opposing interested parties have submitted that unprofitable exports of the domestic industry must be examined. The Authority notes that injury to the domestic industry is based on verified information regarding the performance of the domestic industry in the domestic market for sales of IIR. Hence, the impact of unprofitable exports is not relevant to the present investigation.

h) Performance of other products

156. The Authority has only considered data relating to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.
157. With regard to the submissions that the domestic industry is supplying trial production at discounts or free of cost, the Authority notes that the quantities supplied by the domestic industry during the initial years were not trial sales and were not given free of cost. The Authority has verified the data submitted by the domestic industry and notes that the sales of the domestic industry were in commercial quantities and were not sample sales. The domestic industry did give some material as trial samples. The same however does not form part of the data adopted by the Authority.

i) Non-approval of product and product range

158. With regard to submissions that the injury to the domestic industry is due to non-approval of HIIR, the Authority notes that the present investigation concerns the import and performance of domestic industry with respect to IIR. The injury analysis has been conducted considering the performance of the domestic industry in the domestic market. However, in view of the arguments of the interested parties, the Authority examined sales volumes of the domestic industry to major customers and the period since when the domestic industry started selling the product.
159. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to non-approval of the product by the customers, the Authority notes that customer-wise repeated sales of the applicant show a significant volume of sales to various parties over the injury period.

SN	Name of customer	Month/Year of starting regular purchase	Total volumes sold
			Till POI (KT)
1	[JK Tyres	March 2020	19.541
2	MRF Ltd.	January 2021	12.970
3	CEAT Ltd.	June 2020	12.942
4	Classic Industries	August 2020	9.176
5	TVS	June 2020	5.587
6	Rubber King	October 2020	4.838
7	Agarwal Rubber	April 2019	4.156
8	Jayam Industries	April 2019	4.000
9	Ralson	May 2019	2.881
10	Exel Rubber	May 2020	2.116

160. With regard to the injury due to the product range produced by the domestic industry, the Authority undertook an examination of the product range of the domestic industry and foreign producers. It is seen that almost all the foreign producers have reported most of the sales relating to one grade only. The domestic industry produces like article to the imported into India. The product not produced by the domestic industry has already been excluded from the scope of the product under consideration. Thus, the injury cannot be due to the limited product portfolio of the domestic industry.

j) Impact of COVID-19

161. With regard to the contention that the injury to the domestic industry is due to COVID, the Authority notes that there were no effects of COVID-19 in the period of investigation and no evidence has been placed on record with respect to the impact of COVID in the COVID-19 in the period of investigation.

k) Global overcapacities

162. With regard to the submissions that injury is due to overcapacities globally, the Authority notes that (a) the applicant is the sole producer of the subject goods in India, (b) there is no overcapacity in India which could have caused injury to the domestic industry, (c) overcapacity in the global market cannot be considered as a justification for the producers in the subject countries to dump the subject goods in India which has caused injury to the domestic industry.

l) Procurement of raw material from a related party

163. With regard to the transfer of raw materials by RIL at inflated prices and not factoring the recovery from methanol, the Authority has verified the consumption price reported by the domestic industry. Further, it is noted that both parties have reported the said transactions at arms' length prices. Further, the interested parties have themselves contended that the provisions of AOA prevent RIL from charging any price and domestic industry from paying any price; and the JV partner holds enough powers to prevent transactions that are not at arm's length.

m) Start-up costs and high off-specification production

164. The Authority notes that the capacity utilization of the domestic industry was low and the significant production was off-spec material in 2019-20 due to a new plant start-up operation in 2019-20, as the plant had started producing and selling the product in sizeable volumes. Indeed, the plant had produced a cumulative volume of 1,24,683 MT by March 2022. There would have not been any injury to the domestic industry in the POI. Thus, the Authority considers that the start-up cost was suffered by the domestic industry in 2019-20 and not in 2022-23.

165. It is noted that the losses per unit of the domestic industry have increased in the period of investigation as compared to previous years and the base year. The Authority notes that while the losses of any new producer reduce with an increase in capacity utilization, the same was not the case in the present domestic industry. Rather the losses of the domestic industry were increasing in absolute terms (as well as per unit basis). Thus, with increase in production by the domestic industry, the losses have increased.

166. The cash losses have also increased over the injury period and the domestic industry has recorded a negative return on capital employed. The cash losses have been the highest in the period of investigation and the return on capital employed has been the lowest in this period.

A.1.3 Conclusions on causal link

167. While other known factors listed under the Rules and identified by other interested parties have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.

- i. There is dumping of the subject goods from the subject countries.
- ii. Since the domestic industry commenced production during the injury period, the capacity production, sales and capacity utilization increased. The dumping has, however, prevented optimum utilization of production capacities.
- iii. Even when the volume of imports has declined, as a consequence of new production, the volume is quite significant and prevented the domestic industry from selling up to the extent of its production and installed capacities.
- iv. The market share of imports has remained significant, despite the domestic industry having the capacity to meet Indian demand, even after supplying to export markets and providing for its captive consumption.

- v. The capacity utilized for domestic sales is only 37% during the period of investigation. The domestic industry has been able to utilize a higher share of its capacities only on account of captive consumption and export sales.
 - vi. The domestic industry was forced to export at losses, in order to dispose of its inventories.
 - vii. The imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred.
 - viii. The domestic industry has incurred heavy losses throughout the injury period, and its losses have increased during the period of investigation.
 - ix. The cash flows and return on capital employed by the domestic industry have deteriorated over the period, and are negative.
 - x. While the volume parameters of the domestic industry showed positive growth, the profitability parameters deteriorated.
 - xi. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
168. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.
169. With regard to the injury due to product range produced by the domestic industry, the Authority undertook examination of the product range of the domestic industry and foreign producers. It is seen that almost all the foreign producers have reported most of the sales relating to one grade only. The domestic industry produces like article to the products imported into India. The product not produced by the domestic industry has already been excluded from the scope of the product under consideration. Thus, the injury cannot be due to the limited product portfolio of the domestic industry.
170. With regard to the transfer of raw materials by RIL at inflated prices and not factoring the recovery from methanol, the Authority has verified the consumption price reported by the domestic industry. Further, it is noted that both parties have reported the said transactions at arms' length prices. Further, the interested parties have themselves contended that the provisions of AOA prevent RIL from charging any price and domestic industry from paying any price; and the JV partner holds enough powers to prevent transactions that are not at arm's length.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

171. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
172. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
173. With regard to the contention that high costs due to start-up operations must be normated, the Authority notes that since the present case is that of material injury, the actual cost of production of the domestic industry during the period of investigation has been considered. The non-injurious price has been determined based on Annexure-III to the Anti-Dumping Rules.
174. As regards the contention that a 22% return on capital employed is unwarranted, the Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%, barring when there is evidence on record that 22% should not be considered and some other figure is more appropriate. The Authority notes that the domestic industry had envisaged a payback period of *** years which means an average return on capital employed of ***. The return on capital employed considered by the Authority is less than that envisaged by the applicant and as per the consistent practice of the Authority.
175. Based on the landed price and non-injurious price determined above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Producer	Non-injurious price	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
Saudi Arabia					
Al-Jubail Petrochemical Company ("KEMYA")	***	***	***	***	15-25%
Any Other	***	***	***	***	20-30%
Singapore					
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd/ ExxonMobil Chemical Asia Pacific	***	***	***	***	40-50%
Any Other	***	***	***	***	45-55%
United States of America					
ExxonMobil Product Solutions Company	***	***	***	***	25-35%
Any Other	***	***	***	***	30-40%
Russia					
Any	***	***	***	***	75-85%
China					
Any	***	***	***	***	25-35%

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

176. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest post-issuance of the preliminary findings:

- i. Imposition of anti-dumping duty will restrict competition, create a monopoly and lead to higher prices for users.
- ii. The reliance on limited user response as justification for disregarding potential harm to users is incorrect.
- iii. Impact has to be evaluated on tubes and tyre curing bladders instead of tyres as the product is not used directly in tyres. If a 30% duty is imposed, the cost of the tyre innertube would be increased by 15%. If \$500 is the average per MT price increase, the impact on SRTC alone is approx. ₹1 crore per year.
- iv. Imposition of anti-dumping duty will increase the cost of production of tubes and tyre curing bladders which will lead to an increase in the imports of tyre inner tubes and bladders from ASEAN and Korea at zero customs duty.
- v. Tube manufacturing is outsourced to the MSME sector, and such sector will be adversely impacted as it works on less than 5% profit margins. This will lead to large-scale unemployment and the closure of factories.
- vi. Use of IIR produced by the applicant for bladder application leads to a 40% loss in the life of bladder. Since it is a safety-critical application, it could lead to potential accidents while making tyres leading to loss of human life.
- vii. Since the domestic industry has highlighted that application in bladders constitutes only 10% of the volume, the impact on any exclusion will also be miniscule, and thus not injurious to the domestic industry.
- viii. Users have increased domestic procurement of the product under consideration from the domestic industry and the imports constitute only 20-30% of the total procurement. However, the users have certain business concerns regarding the domestic product.

- ix. The domestic industry prioritizes its captive needs over domestic supply, which depicts the monopolising tendencies of the domestic industry and indicates that users may face high costs, due to the limited availability of the product.
- x. There are high chance that the users might suffer in the event of any disruptions in the production of the domestic industry. The producers in the subject countries would have redirected their supplies to other global markets. Imports from non-subject countries are also not an option as Japan has ceased the exportation of IIR to India due to limited capacity, whereas Australia and Belgium have shut down manufacturing facilities.
- xi. As opposed to the contention of the domestic industry that huge investment has been made with regard to setting up of feedstock plant, RIL already had an Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) facility and the only investment was limited to conversion of Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) to High Purity Isobutylene (HPIB).

I.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

177. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest post-issuance of the preliminary findings:
- i. The applicant is the first producer to start production of IIR in India. The technology for production of IIR was not available freely and substantial hurdles have been faced by the applicant to bring the said technology to India.
 - ii. While the project was profitable when the project report was formed, the producers globally started dumping the product in India leading to crash in prices of IIR and HIIR. The project set up after making huge investments has turned unviable due to intensive dumping in India.
 - iii. The consumers are not bothered by the imposition of anti-dumping duty as only limited consumers have filed a response. While ATMA has participated, the consumers were well aware of the investigation but have not filed a response to EIQ in order to show any adverse impact of the imposition of anti-dumping duty.
 - iv. While there was no supply of SBR in India and the anti-dumping duty was imposed on imports of SBR after capacities being set up. This led to India becoming self-sufficient in the product. Similar measures are required in the present case, especially as the technology to manufacture IIR is closely guarded.
 - v. The tyre industry has a CAGR of 5.54% reaching a volume of 256.24 million units by 2029. Imposition of duty on one minor raw materials of tyre would not have damaging effect.
 - vi. The capacities set up by the applicant are keeping in view the long-term demand in India. The capacities in India are enough to cater to the entire demand in India.
 - vii. There are only 10 producers of the subject goods globally. It is essential to ensure domestic production in India. In case the domestic industry shuts down, the users will be completely dependent upon imports.
 - viii. With contrast to the Indian producers, producers in countries such as Singapore are holding production facilities with *de-facto* no domestic consumption and such capacities are meant only for exports.
 - ix. At the time of conception of the project, the delta over principal raw material for IIR was much more. Due to the establishment of domestic production, such delta has declined.
 - x. In case domestic product is favoured over imported products, the outgoing foreign exchange would be conserved and would be a step towards a favourable balance of payment.
 - xi. Imposition of anti-dumping duties will allow the domestic industry to recover its cost, sell at remunerative prices and sustain in the market.
 - xii. The vision and mission of the country in promoting Atma Nirbhar Bharat, can only be achieved by remedying dumping happening in the country.
 - xiii. Procuring from the domestic industry will result in stability of fair prices in the market, uninterrupted supply, growth of the downstream industry and a reliable business partner for the users.
 - xiv. As opposed to the contention of the other interested parties, the impact must be based on the end product as tube manufacturers will not bear the cost increase, but would pass on the price increases to their consumers. The users have submitted that prices of the product vary in line with the prices of crude and hence, such users are habituated of price fluctuations.

- xv. As opposed to the submissions of the other interested parties, the producer's tubes have revenues exceeding hundreds of crores and are not MSMEs.
- xvi. Even if captive consumption is considered, the domestic industry has enough capacity to cater to the entire demand in India.
- xvii. The producers in the subject countries are engaged in unfair pricing behaviour as per their own response. Therefore, the duty would only serve the limited purpose of offsetting any unfair pricing in the market.
- xviii. Imposition of anti-dumping duty will not lead to monopolising of the market as it does not ban imports into India. Even in case, the domestic industry engages in such behaviour, the users are free to approach the Competition Commission of India.

I.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 178. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to monopoly and higher prices for users, the Authority notes that the imposition of anti-dumping duty only ensures fair prices in India and does not restrict or ban imports. Further, there are a limited number of producers globally and majorly all the producers in the subject countries have participated in the present investigation. The Authority has determined the dumping margin and injury margin based on the responses filed by the exporters and not as per the facts available. In such a case, imposition of anti-dumping duty will ensure fair market prices in India.
- 179. The prices of the product under consideration were higher in India prior to commencement of domestic production. Imposition of anti-dumping duty will remedy the unfair practice of dumping in India and ensure level playing fields for all the producers.
- 180. Economic interest questionnaire (EIQ) responses were filed by MRF Limited and CEAT Limited. The Authority considers that these responses were filed much belated after the expiry of time limits allowed by the Authority. The Authority notes in this regard that ATMA has been participating in various investigations being conducted by the Authority and has itself been an applicant seeking recourse under dumping and subsidy laws. Therefore, EIQ's response filed at such a belated stage of the proceedings cannot be accepted. It is also noted that no justifiable reasons have been given for such a belated response. Therefore, the Authority has not accepted the EIQ filed by MRF Limited and CEAT Limited. It is however noted that EIQ in no way establishes anything which shall warrant any change in the facts established in the present case.
- 181. As regards reference to imports from Belgium and Austria are concerned, the Authority notes that the import data shows imports from these countries. It is appropriate to consider that these countries have supplied the material. However, the Authority has taken note of submissions made by the parties that these countries are not having any production facilities. The Authority however notes that this does not vitiate essential facts established in the present disclosure statement.
- 182. The Authority notes that the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty on the price of tubes used as a set of tyres. The opposing interested parties have quantified the impact of duty on the cost and price of tubes. The Authority notes that the PUC is largely used in the production of Tubes. The information provided by the consumers shows that the cost on account of IIR is high in tubes. The Authority, however, notes that tubes are invariably used along with tyres, while tyres may be used without tubes. Further, the majority of the tubes are sold along with tyres. It is noted that the cost on account of tubes is quite low in relation to the price of the set of tyre, tube and flap. Thus, in so far as consumption of IIR in the eventual end product is concerned, cost on account of IIR forms a small portion of the overall cost of the tyre set: though, cost on account of the PUC forms a significant portion in tube price.
- 183. There is no evidence on record to show that the imposition of anti-dumping duty will lead to creation of a monopoly in India. The Authority notes that there have been several investigations where anti-dumping duty has been levied even though there was a single producer in the country and a single supplying country outside India. There were no complaints of monopolization of the market in such a case. In any case, the users are free to approach the Competition Commission in case the domestic industry engages in anti-competitive behaviour, or seek interim review in case the interested parties find that the prices are irrational.
- 184. With regard to the contention that reliance placed on the lack of user response is incorrect. The Authority notes that the present investigation was initiated and notified to all interested parties including the users of the product. Since the Association of users (ATMA) has participated in the present investigation, it is reasonably expected that the users of the product were aware of the investigation. The users were given ample opportunity to represent their interests and place on record any adverse impact of imposition of anti-dumping duty. However, a limited number of users have filed responses to the economic interest questionnaire in the present investigation, and these responses do not establish the major impact of the imposition of anti-dumping duty on the users of the product.

185. The other interested parties have contended that the impact has to be evaluated on tubes and not tyres. The Authority notes that the product is used for manufacturing tubes which is further used along with tyres. Further, the tube itself constitutes a small portion of the price of tyres.
186. The users have stated that the price of the product under consideration is based on the price of crude; and since the price of crude is fluctuating, the price of IIR also fluctuates regularly and such fluctuation does not adversely impact the users in India. Import prices of the product under consideration have increased by about 50%. The price increase in the case of domestic industry (for good-specification material) was about 45%. This was significant enough to show any plausible adverse effect of the price increases on the downstream industry. It is however seen that neither consumption has declined nor the domestic industry has shown any adverse impact of increase in the prices of IIR. The Authority therefore considers that the possible adverse effect of ADD on downstream industry has not been established. Accordingly, the Authority confirms Para 161 in the preliminary findings.
187. With regard to the contention that the downstream industry is a part of MSME and will suffer due to the imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that as per the evidence on record, the manufacturers are large-scale companies and do not form part of the MEMS sector. Annual reports filed by the responding user industry show that they are much bigger companies than the domestic industry, with much higher investments and turnover. Annual reports of these companies show consistent profits earned by the user industry. In any case, imposition of anti-dumping duty will only ensure fair prices in India and will not impact the interest of any industry adversely whether MSME or otherwise.
188. With regard to the contention that the imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of tubes and lead to imports of such products, the Authority notes that there is no evidence on record regarding the same. Despite 50% increase in the import prices of IIR over the injury period, the user industry has not shown adverse effects either on the downstream industry or on the public at large. On the other hand, imposition of anti-dumping duty is likely to remedy the injury to the domestic industry due to unfair trade practices.
189. With regard to the use of the product for safety-critical applications, the Authority notes that the domestic industry has already supplied the product under consideration in India as well as the export market; that too in significant volumes and for such a longer period. The interested parties have not placed on record any evidence to show that safety aspects got compromised because of the use of the domestic industry product. At the time of verification, the domestic industry stated that the cumulative production sold by them since the beginning would have produced millions of tubes, and there were safety hazards reported by the user industry.
190. Regarding the contention that the domestic industry prioritizes its own needs over the merchant market, the Authority notes that the domestic industry has a total capacity of 1,20,000 MT for catering to the domestic market as well as captive consumption. The capacity set up for HIIR by the domestic industry is to the tune of [60,000 MT. While there is a parallel ongoing anti-dumping investigation into imports of HIIR, even if the projected performance is considered, the Authority notes that the projected capacity utilization of the domestic industry for HIIR is ***%. Since the conversion factor between IIR and HIIR is 1:1, the domestic industry has spare capacities to the tune of *** MT which is enough to cater to 97% of demand in India. Thus, the imposition of anti-dumping duty will not lead to the non-availability of the subject goods in India.
191. As regards the contention that RIL already had a Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) facility and limited investment has been made for conversion to High Purity Isobutylene (HPIB), the Authority notes the submission of the domestic industry at the time of spot verification that RIL has made an investment of Rs. *** crores in the upstream product. This amount is not insignificant. In any case, the Authority considers that the present investigation is only with regard to the dumping of IIR and the performance of the domestic industry with regard to IIR and not the feedstock. Hence, investment in feedstock is not relevant to the present investigation.
192. The other interested parties have submitted that the other sources of imports are non-viable. The Authority notes that 20% of imports in 2019-20 were from non-subject sources. Further, the domestic industry has the capacity to cater to the entirety of demand in India.
193. The Authority further notes that it is essential to protect the domestic manufacturing of the subject goods in India. The prices of the product under consideration were higher prior to the commencement of domestic production. The domestic industry has submitted that it has incurred huge losses and recorded a negative return on capital employed, and the plant might turn unviable in such a situation. The Authority notes in case of cessation of operations by the domestic industry, the users will be totally dependent upon imports.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 21st June 2024. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed

relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

J.1. Submissions by other interested parties

194. The following post disclosure submissions have been made by the other interested parties.

- i. The Authority did not give sufficient time to submit comments to disclosure statement which is violation of natural justice.
- ii. Since preliminary findings have not been accepted by the Ministry of Finance, no reliance should be placed on the same.
- iii. The comments filed by ATMA on product exclusion cannot be considered belated as they were filed prior to issuance of the preliminary findings and oral hearing. The scope of product under consideration cannot be finalized PUC/PCN notification since the same is not a gazette document and even in the preliminary findings, the Authority has provisionally determined the scope of product under consideration. No prejudice has been caused to interests to any interested party as they were provided ample time to respond to request for product exclusion.
- iv. The request for exclusion and technical details of IIR for bladder application was provided in the EQR filed by the Exxon Group.
- v. Specialized grade of product under consideration is imported by the members of ATMA owing to quality consideration and unsuitability of regular grade of subject goods supplied by the domestic industry for manufacturing tyre curing bladders.
- vi. The Authority has relied upon sales to one customer and its satisfactory feedback for bladder application. The applicant has not approached the major OEMs in India that use IIR for bladders which shows non-suitability of the product. The applicant may have supplied low quantities of IIR for bladder manufacturing for non-critical applications to defeat the exclusion requests. The Authority must examine the quantity bought by the buyer; the size of the buyer and its activities of bladder manufacturing; actual usage of quantity bought; the consistency of such purchases over the injury period and the period of investigation; the types and sizes of bladders manufactured by the buyer.
- vii. Since speciality grades cannot be interchangeably used, the Authority must examine if regular and special grades are “like articles”. ExxonMobil has given details of difference in production facilities required and the reasons why applicant is not capable of manufacturing the same.
- viii. The ExxonMobil Group submits that the Petitioner did not have any locus standi to file the petition for the imposition of anti-dumping duty due to its intertwined relationship with the Russian producer/exporters of the dumped article, and therefore, the investigation should have been terminated from the outset.
- ix. The contention has always been about SIBUR’s power to veto any related party purchases of HPIB and energy by the Petitioner from Reliance and not whether SIBUR can force Petitioner to buy HPIB from a source identified by it. The Isobutylene supply contract with Reliance cannot be enforced unless SIBUR gives its approval in terms of the AoA of the Petitioner which governs the conduct of its business and management of its internal affairs. This shows control of SIBUR over the Petitioner’s purchases of major inputs and energy.
- x. Specification sheets, monthly production and inventory data shared at a belated stage with the other interested parties must be discarded.
- xi. The meaning of interchangeably used by the Authority is unclear. There is a need to clarify whether plant and machinery of the applicant is being used for producing different grades interchangeably or whether the users are using the same grade interchangeably to produce tubes and bladders.
- xii. Isobutylene Supply Contract cannot be enforced without approval from SIBUR. This shows control over purchase of major inputs and energy.
- xiii. The Authority has not considered the decline volume of imports from Russia in examining the corroborative efforts of the applicant and the Russian producer. There were no imports from Russia in last two quarters of the period of investigation.
- xiv. Non-confidential version of the import data showing different prices of exporters at the same time should be shared with the other interested parties.

- xv. Analysis of project report contradicts the examination of the Authority in the preliminary findings that there is no material retardation in the present investigation. Since the claim has been re-introduced at disclosure stage, other interested parties should be provided adequate opportunity to rebut the same.
- xvi. The domestic industry has sold 10-20% of off-spec material in the period of investigation shows that the production process of the applicant is still unstable, thus, injury owing to off-spec should be segregated and considered in non-attribution analysis.
- xvii. Injury due to factors such as COVID, start-up issues, global overcapacities, changes in prices of feedstock, delayed products approvals and limited range of product grades, and integration of IIR and HIIR plants should be segregated.
- xviii. The Authority has followed a pick and choose approach as the Authority has not considered optimization of raw material, utilities and capacities on quarterly basis considering the present case as that of material injury but has compared project report to actual performance. The Authority in investigation related to PU Leather considered optimization of raw material, utilities and capacities on quarterly basis even though the domestic industry started production 2 years prior to the period of investigation.
- xix. While the Authority has concludes that there is adverse volume effect, the counsel for the domestic industry during the oral hearing submitted that the domestic industry is suffering only price injury.
- xx. The conclusion that increase in domestic sales was less than increase in production is incorrect in light of the fact that the volume of imports have declined. There is no volume injury in the present case.
- xxi. The conclusion that the domestic industry was forced to sell at lower prices in order to compete with imports is incorrect as price undercutting is negative. Injury to the domestic industry is due to its own decision to sell at prices below the landed price.
- xxii. The Authority has to maintain a single stance regarding the period of analysis for determination of injury. While the Authority has excluded 2019-20 for determination of price suppression/depression, it has been included in determination of injury.
- xxiii. The Authority should also remove 2020-21 for suppression / depression as cost and price was abnormal in this year due to COVID-19 and high production of off-spec material. Even if 2020-21 is considered, there is no suppression as the landed price has increased more than the increase in cost of sales of the domestic industry.
- xxiv. While the volume of subject imports was highest in 2019-20 and there was no suppression in this period, it cannot be concluded that a lower volume of imports in the period of investigation can prevent domestic industry from increasing its prices.
- xxv. The domestic industry exported at losses despite there being no price-suppressing effect in the export markets and thus, the examination that the prices of the domestic industry were suppressed in the domestic market is incorrect.
- xxvi. The adverse impact of COVID has been admitted by the domestic industry in the 10th Annual general meeting dated 30th September 2022.
- xxvii. The statement that HIIR and IIR plants are totally different is incorrect.
- xxviii. Russian price trends relied upon by the Authority are incorrect and should be re-examined.
- xxix. The domestic industry has claimed excessive confidentiality as years of revision of project report and non-confidential version of monthly production have not been shared.
- xxx. 22% return on investment should not be considered as it must be based on recent returns of the industry and not based on projected returns.
- xxxi. A number of consumers purchase tubes for low-end passenger vehicles. The product is used in commercial vehicles and generally the tyres for trucks or buses are rethreaded almost 7 times in the life of the tyres and the tubes are replaced. Imposition of anti-dumping duty will raise the cost of these tubes, which will adversely impact the direct consumers.
- xxxii. The Authority ignored the responses to the EIQ filed by the users of IIR for impact analysis.
- xxxiii. The findings that the prices of the PUC were higher prior to the commencement of domestic production is an erroneous and contrary to evidence on record.

- xxxiv. The applicant belongs to RIL group, which historically has intentionally under-priced its products to monopolize the market and gain major market share. Hence, the losses could have been avoided had the product under consideration been priced at a level closer to the prices of the imports from the subject countries.
- xxxv. Since no fact has change post issuance of preliminary findings, there is no basis to reject the response filed by NKNH. In case, there were concerns with regard to adequacy of data, the same could have been raised in the preliminary findings. The Authority has complete information of total quantities shipped to India and final price to the importers even if the intermediaries have not filed a response. Cooperative exporters cannot be penalized for things not in their control. The Authority in the past has accepted responses even when related parties have not participated.
- xxxvi. The information filed by NKNH with respect to normal value is complete and should be considered. The Authority had accepted the export price of one of the exporters in Gypsum Board / Tiles with Lamination even though the normal value information was rejected.
- xxxvii. The Authority has rejected the price undertaking based on the fact that non-confidential version was inadequate, however, the exporter had fully disclosed the operative part to all interested parties and other interested parties have furnished their comments on the same.
- xxxviii. NKNH has filed a revised undertaking and requests the Authority to accept the same.
- xxxix. The Authority should confirm that 5% has been considered as reasonable profit margin. Adjustment claimed in cost of production for EMAPPL, EMPSC and Kemya should be considered.
- xl. The Authority has determined a lower dumping margin to non-participating Chinese producers despite the landed price being lower than that of Saudi Arabia. The Authority has opted for best facts available as opposed to adverse facts available.
- xli. Since all costs and profits remained the same in the disclosure statement as compared to the preliminary findings, there is no reason for increase in non-injurious price leading to increase in injury margin.

J.2. Submissions by domestic industry

195. The following post disclosure submissions have been made by the domestic industry.

- i. Post invoicing discounts offered by the exporters, material differences in landed price of product supplied by the same exporter to the same consumer at the same time, and credit costs which is not included in selling price of the domestic industry but included in the landed price must be considered for determination of price undercutting.
- ii. The domestic industry is forced to compete with the lowest prevailing prices in the Indian market. Due to variation in prices by the same exporter, the examination of price undercutting on average basis is misleading.
- iii. The exporters have not reported all post invoicing discounts and the same must be verified. Due to such discounts the purchase price of the customers is lower than the landed price of subject goods. Further, payment proofs have not been given by the exporters to support the invoice values.
- iv. A number of consumers in India have affiliated procurement entities in the subject countries which purchase from producers of the product at lower prices and export to India at higher prices. The landed price should be based on price charged by the producers and not exporters.
- v. The imports at higher prices are not relevant to the domestic industry in selling the product in the market. Price undercutting should be determined based on only those transactions where landed price of imports is below the selling price of the domestic industry.
- vi. Price suppression/ depression should also be determined considering 2019-20 after adjusting for start-up costs and inefficiencies in this period.
- vii. The applicant has provided the cost of production after adjustments for start-up operations. In order to determine the same, the applicant has considered the verified information and calculated the cost at highest capacity utilization in the injury period. The cost has been calculated after excluding the shutdown days. The cost of raw material and utilities has been determined based on best utilisation in the injury period and considering the cost in the relevant period.

- viii. Based on the adjusted costs, the selling price has increased less than the increase in cost of sales of the domestic industry over the injury period and the landed price was below the cost of sales of the domestic industry. Thus, the subject imports have prevented the domestic industry from increasing its price to the extent the prices would have increased in the absence of imports.
- ix. Injury to the domestic industry should be examined after adjusting for start-up costs. Post adjusting for start-up costs, it will be seen that the per unit losses of the domestic industry have increased over the injury period. Thus, with the increase in production, the domestic industry has incurred higher losses. The return on investment is the lowest and cash losses are the highest in the period of investigation. In case the situation does not change, it will render the plant of the domestic industry unviable.
- x. The Rules refer to profits and not profit per unit. The gross loss of the domestic industry may be considered for injury analysis.
- xi. It is not necessary that all parameters of the domestic industry must show injury. The Authority may conclude injury even in case of a single economic parameter showing decline due to dumping of subject imports. Even if it is considered that losses per unit have declined, cash losses and negative return on investment show injury to the domestic industry.
- xii. Since injury to the domestic industry in the base year was due to start-up cost as well as imports from the subject countries, it is important to adjust start-up cost to establish causal link. The Appellate Body in US-Hot Rolled Steel held that if injurious effect of dumped imports is not segregated from injurious effects of other factors, then the Authority will not be able to conclude that the injury is attributable to dumped imports.
- xiii. The domestic industry has provided information of the start-up costs and adjustments required. The same must be considered in order to assess material injury to the domestic industry due to dumping.
- xiv. The comparison of base year and period of investigation for price suppression/depression is not mandated under the Rules and would be inappropriate as held by EC in ferro molybdenum originating in the People's Republic of China and urea and ammonium nitrate originating in Algeria, Belarus, Lithuania, Russia and Ukraine. There is a need to evaluate price suppression / depression based on intermediate period as well.
- xv. Even without start-up cost adjustments, the domestic industry has been prevented from increasing its prices to the level of increase in its cost of sales post 2020-21.
- xvi. The applicant revised the project report multiple times. While the plant was viable even after revision in projections in 2019 prior to commencement of production, the domestic industry is unable to earn return on investment due to intensified dumping in the Indian market.
- xvii. There is no bar in examination of all three forms of injury in a single investigation. Thus, the Authority may compare the projected performance with the actual performance of the domestic industry in addition to the parameters already examined.
- xviii. There is no bar on the parameters examined by the Authority under the Rules. The inability of the domestic industry to achieve its target performance is a parameter identified by the domestic industry. However, the Authority has neither rejected the information stating it as inadmissible nor analysed the information in this regard.
- xix. The domestic industry is unable to achieve its projected performance. While the domestic industry projected profits, cash profits and positive return on investment, it has incurred losses, cash losses and a negative return on investment. Even the domestic sales and capacity utilization of the domestic industry are below its targeted performance.

J.3. Examination by the Authority

- 196. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
- 197. As regards the time given for filing comments, the Authority notes that neither the Indian Rules nor the WTO Agreement provides for any minimum time that should be allowed to the parties for offering comments. Further, some interested parties had sought additional time which was allowed by the Authority. ATMA did not seek additional time for filing of response. In any case, ATMA has filed elaborate submissions, and the

same is being considered for the present determination. ATMA has not shown any prejudice caused to them in this regard.

198. With regard to the submissions that reliance should not be placed on preliminary findings, the Authority notes that the claim is without legal basis. Preliminary findings are a stage in the investigations and if the Authority has already established some facts at the stage of preliminary findings, the interested parties must show a reason for reconsideration or review of those facts. The fact that no decision has been taken by the Ministry of Finance on these preliminary findings as yet is entirely immaterial. Further, since the Authority has undertaken some examination in the preliminary findings, the same was proposed to be confirmed in the disclosure statement and has been definitely concluded in this final findings. Principles of judicial economy and brevity also demand that the statement of facts and reasons recorded in the preliminary findings are not repeated once again in the disclosure or final findings.
199. With regard to the comments on product exclusion, the Authority notes that a fair opportunity was provided to all the interested parties to submit their comments and the investigation has been conducted after considering such comments. The scope of product under consideration was finalized by the Authority and no comments were filed by ATMA till the stage the Authority notified the scope of the PUC and PCN. Anti-dumping investigation is time bound in nature and even after providing adequate opportunity, no comments were received from ATMA requesting exclusion of a product type from the scope of product under consideration.. The Authority notes in this regard that it is also not the case of ATMA or legal consultants that anyone was novice about the process or requirements under the law. Thus, the comments filed post finalizing the scope are considered belated. In any case, the Authority has examined the claim made by ATMA and examined the same in the relevant part of this final findings.
200. With regard to the submission that specialized grade is imported for manufacturing of tyre curing bladder, the Authority notes that the other interested parties have not provided any specifications of such specialized grade. Further, as examined in the relevant portion of this final findings, the domestic industry has supplied the product for manufacturing tyre curing bladders in the domestic market as well as export market and has received positive feedback for the same. Thus, there is no need for exclusion of such product from the scope of the product under consideration.
201. It is clarified that the authority has not examined the present case on the grounds of material retardation to the establishment of domestic industry. Further, in a situation where the domestic industry has operations for four years, the authority has consistently applied provisions of Annexure-III which requires the authority to consider consumption factors in the investigation period and compare the same with the preceding years. The same has been adopted in the present case. Such being the case, there is no infirmity in quantification of non-injurious price. The interested parties have not shown why the optimisation of raw materials, utilities or production capacities should have been done on quarterly basis particularly when Annexure-III clearly provides for consideration of data for POI and comparison with the preceding three years. In fact, consideration of quarterly consumption factors in the present case would have been directly inconsistent with the provisions of Annexure-III. As regards the reference to the PU leather case, the Authority considers that every case is required to be considered in the peculiar facts and circumstances prevalent to that case., The interested parties have not established how the two cases are comparable and how their application in a particular case is relevant, appropriate and necessary. The Authority notes that while there was an elaborate PCN involved in PU Leather case which needed micro-analysis, the same is not relevant for the present investigation.
202. With regard to communication between two parties on acceptance or otherwise of domestic industry product, the Authority notes that the said communication is between two parties and is not a communication with the domestic industry. Unless a communication is addressed to the domestic industry, it cannot be expected that the domestic industry would respond to such a communication about quality of its product or its performance. It is noted that the producer of the product was not even given an opportunity to clarify the factual position and the reasons for the alleged variations found in the domestic product. It could even be a cover of any other difficulties that might have been faced by one of the parties. The Authority thus notes that the communication allegedly written between two parties without knowledge of the domestic industry does not establish that the domestic industry was not in a position to produce and supply IIR for bladder application.
203. With regard to the submissions that the sales to only one customer has been relied upon, the Authority notes that the domestic industry has demonstrated sale of product under consideration to various customers in the domestic market and in large quantities. The Authority notes that the same grade has been supplied by the domestic industry for bladder application and tubes manufacturing. The customer has provided positive feedback to the domestic industry specifically for use of its product for bladder application. Hence, since the domestic industry has demonstrated its ability to produce and sell quality product for use in bladder application, there is no need for exclusion of the said product from the scope of product under consideration.
204. As regards the contention that the specialty grades cannot be interchangeably used, the Authority has already noted in the relevant part that the regular grade is used for bladder applications as well as in the manufacturing

of tubes. With regard to specialty products identified by Exxon Group, there is no demand for the product in India and hence, there are no imports of such product in India. In case of no imports in India, there is no need for determination of like article manufactured by the domestic industry. In any case, the Authority has noted that the range of mooney viscosity and unsaturation level that can be produced by the domestic industry is similar to the specialty grades identified by the Exxon Group.

205. With regard to the submissions that specification sheets, monthly production and inventory data should not be accepted as they were filed at a belated stage, the Authority notes that the specification sheets shared by the domestic industry show similar specifications as that in the technology license agreement which was shared by the domestic industry prior to issuance of the preliminary findings. Monthly production and inventory data was shared by the domestic industry at the stage of petition, thus, such submissions cannot be considered belated. In any case, the non-confidential version of the submissions has been shared with the other interested parties and the other interested parties have been provided an opportunity to comment on the same. Thus, no prejudice has been caused to the interest of any interested party by considering such information.
206. With regard to the submissions on the relationship of the applicant with the Russian producer, the authority has reexamined the relationship issue under the section – **Scope of Domestic Industry & Standing**.
207. With regard to the submission that use of word “interchangeable” is not clear, the Authority clarifies that the domestic industry can manufacture various grades of the subject goods interchangeably on the same plant and machinery. Further, the users and consumers of the product have used the same grade of IIR produced and supplied by the domestic industry interchangeably for manufacturing of tubes and tyre curing bladders.
208. As regard submissions that the decline in volume of imports from Russia should be considered, the Authority notes that the imports from all the subject countries have declined which is a common consequence of commencement of domestic production. Since the Russian imports have also followed the same trend, it cannot be said that there was any type of corroborative efforts between the applicant and Russian producer.
209. With regard to confidentiality claimed by the applicant, the Authority notes that the data relied upon by the domestic industry is third party information which it is not authorized to disclose. Further, the Authority has not relied upon such data and thus, no prejudice has been caused to the interest of any interested party. Further, the domestic industry has revised its project report multiple times since inception of the project. The years of revision is business proprietary information and hence, not shared with the other interested parties.
210. The Authority clarifies that the present case has been considered that of material injury and not material retardation to establishment of domestic industry. Comparing the project report / projected performance with the actual performance of the domestic industry does not establish that the present case is that of material retardation. Para 4 of Annexure II to the Anti-Dumping Rules states as follows:

(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

The Rules require the Authority to examine any parameter of injury to the domestic industry brought on record. The injury parameters listed in the provision above are not exhaustive but are only illustrative and minimum that the Authority must necessarily examine. Since the applicant is the first producer of the product in India, comparison of actual performance with the projected performance showing material injury has been identified as an injury parameter and therefore the Authority has examined the same.

211. With regard to the contention that sales of off-grade product should be segregated, it is clarified that the same has been in fact excluded. Further, it was seen that the sale of off-grade product have reduced over the injury period. While the sales of off-grade product were higher in the base year, the same has reduced over the injury period. The Authority notes that the nature of the product is such that there is some production of off-specification material. However, off-specification production was higher in the beginning because the plant itself was new. Therefore, it was necessary to adjust the same. However, production and sale of off-spec material was not high in the period of investigation. It was not need to segregate off-specs and good-specs in the period of investigation to analyse injury to the domestic industry.
212. As regards the submission that effect of other factors should be segregated, the Authority notes that such parameters have been identified and the Authority has undertaken detailed examination of the same in the relevant parts of this final findings.
213. The contention that the domestic industry did not claim volume injury is in fact incorrect. It is clarified that, in fact, the domestic industry right from petition stage has pleaded volume injury as a factor showing injury due to dumped imports. The domestic industry in particular has highlighted low-capacity utilisation, rising

inventories, exports despite significant demand in the country, unutilised production capacities and plant shut down for significantly long period as parameters showing volume injury. The domestic industry in its post hearing written submissions also reiterated existence of volume injury in the present case.

214. The interested parties have contended that the Authority's examination that domestic industry has been forced to sell at low prices is incorrect. Negative price undercutting has been cited as the reason for the same. The Authority notes that the domestic industry has pointed out at several factors why the price undercutting is negative. Further, the domestic industry being a new player in the market, is trying to gain market share by even selling at a price lower than import prices. However, landed price of imports were below the cost of sales of the domestic industry. Further, as examined in the relevant section of this final findings, the domestic industry is not competing with the higher priced transactions but has been forced to compete with the lowest prices of imports in the domestic market. Thus, price undercutting on average basis is not a determinant of the effect of imports on the prices in the market. Further, the domestic industry was a new industry in the country which commenced production in significant quantities only in 2019-20. Further, despite allegedly selling at prices lower than the import price, the domestic industry was forced to export significant volumes, was faced with piling up of inventories, and was having significant underutilization of production capacities and production suspension for a significant period. The fact that the domestic industry was forced to declare commercial production as late as towards the beginning of the investigation period also shows that the domestic industry suffered injury due to dumped imports.
215. As regards the contention that the Authority should consider only one consistent period for injury analysis, it is clarified that indeed the Authority has considered the entirety of the injury period for injury analysis. However, the prescription of four years as the injury period does not imply that the Authority should undertake the comparison of the period of investigation with the base year. Intervening period are also required to be examined and are equally important. Further, the situation where interested parties have contended that the operations of the domestic industry were adversely impacted due to startup operations in 2019-20, it was considered appropriate to exclude the same for the purpose of ascertaining whether the domestic industry suffered suppressing/ depressing effects by dumped imports. The Authority notes in this regard that the effect of start-up operations was on higher costs during that period. Such being the case, it would be grossly inappropriate to consider the cost in that period for the purpose of assessment of price suppression/depression. The Authority notes in this regard that interested parties in general and ATMA, in particular, pleaded that start-up operations should be appropriately addressed.
216. The volume of subject imports was highest in 2019-20 as there was no domestic production in the country for the first six months. Even in the subsequent six months, the domestic industry started production in significant volumes and therefore the volume of imports was higher. The Authority notes that there was no price suppression between 2019-20 and 2020-21 due to consideration of data which is impacted by startup costs and a high share of sales of off-spec material. The table below shows the factual position when the data for the base year is adjusted for startup costs and high production and sales of off-specification material.
217. As is seen from the table above, the selling price of the domestic industry has increased much less than the increase in the cost of sales of the domestic industry over the injury period. Further, the landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry in this period.
218. The other interested parties have submitted that the domestic industry has exported at losses despite there being no price-suppressing effect in the export market. The Authority notes that the performance of the domestic industry has been evaluated only with regard to operations in the domestic market, and thus, export sales at losses do not vitiate any fact established or findings issued by the Authority.
219. With regard to the submissions that the adverse impact of COVID has been admitted by the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has not referred to COVID in the POI. The domestic industry has referred to Covid in the injury period. Further, there is no evidence on record with respect to the adverse impact of COVID in the period of investigation. Even if the submissions of the other interested parties are considered that there was impact of COVID in the previous years, the domestic industry has suffered losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation. On consideration of the submissions in this regard, the trend of losses, cash losses and return on investment will show an even further adverse impact of imports.
220. The domestic industry has provided data as well as demonstrated that the HIIR and IIR plants are two different plants and there is no need to shut down the production in IIR plant to integrate it to HIIR plant.
221. As regards the inappropriateness of 22% return on investment, the Authority notes that it is consistent practice of the authority to grant 22% return on capital employed. In this particular case, since the domestic industry has been suffering financial losses, it follows that the past return earned by the domestic industry is not even available for quantifying reasonable return on investment.

222. With regard to the submissions that the applicant is a part of the RIL group which intentionally prices its product lower than the competition to monopolize the market, the Authority notes that there is no evidence of the same. While the domestic industry has submitted that it was forced to compete with the lowest-priced imports in the market, even if it is considered that it could have sold to the level of import price, the Authority notes that the applicant would have still incurred losses even in such a situation as the landed price is below the cost of sales of the domestic industry.
223. With regard to the submissions that there are consumers that purchase tubes directly for low-end vehicles, the Authority notes that ATMA has provided no information with regard to the size of such consumers vis-à-vis the total market for the product. It has not been shown that share of such consumers is significant as compared to the share of consumers which purchase tubes along with tyre. Similarly, Exxon Group has not provided any information with regard to the size of consumers of commercial vehicles and how such consumers constitute major consumption of IIR. The Authority has analyzed the impact based on majority of consumers in India.
224. The Authority notes the price undertaking of NKNH has been rejected based on the fact that it was not appropriately linked to energy costs which is a major cost for the production of the product under consideration and no individual margins were determined for the said producer due to incomplete value chain.
225. The Authority confirms that in light of the peculiar facts and circumstances in this investigation, a reasonable profit margin has been considered for construction of normal value.
226. As regards the contention that there is no change in the factual position after preliminary findings, and therefore the response of NKNH cannot be rejected, the Authority holds that the questionnaire response was accepted without any verification for the purpose of preliminary findings. However, post issuance of the preliminary findings, the Authority undertook detailed verification of the questionnaire response. It is at the time of this verification that the Authority became aware of significant deficiencies in the response filed by the exporter. In fact, the exporter has not disputed the fact that the questionnaire response was deficient. The responding producer/exporter was given multiple opportunities to file the complete response. Further on 11th June 2024, a meeting was held in person with the representative of the producer/exporter to discuss the deficiencies in the questionnaire response. During the meeting, it was admitted by the NKNH that their EQR was incomplete and lacked the necessary information. The fact that the final import price was available to the authority by virtue of customs data does not undermine the relevance and importance of the questionnaire response from the exporters concerned. The Authority is required to work out not only the landed price of imports but also the ex-factory export price in order to determine the dumping margin and injury margin. Further, questionnaire response from the exporter is vital in order to precisely determine export price. If the CIF price reported to Indian customs is sufficient to determine the export price, questionnaire responses from exporters would have been entirely unnecessary in so far as dumping margin and injury margin is concerned. It is however, well understood that the Authority should have complete information in order to precisely determine the dumping and injury margin. Further, the exporter has not shown that sufficient efforts were made to bring relevant information on record. While the exporter has contended that the questionnaire response from the exporter concerned was beyond its control, the exporter has shown no material whatsoever to establish the efforts that were made to seek relevant information and how getting relevant information was beyond its control, particularly when the producer has been selling significant volumes to the exporter concerned on a consistent and regular basis.
227. With regard to the submissions that the Authority has not disclosed the actual figures for rejection of the responses filed by NKNH and SIBUR, the Authority notes that it has already provided the names of the traders which have exported the subject goods to India. Further, the Authority has also disclosed that major volume of exports is by Trigon International S (Pte) Limited. The numbers have been taken directly from the responses filed by NKNH and Sibur and the same are confidential from the other interested parties and hence, not disclosed in the disclosure statement which is shared with all the interested parties. Hence, the interested party is already aware of the information used by the Authority. Therefore, the Authority notes that since the same figures as reported by the exporter has been considered, no prejudice has been caused to the interest of NKNH or Sibur by non-disclosure of actual figures considered by the Authority.
228. The authority considers that the revised price undertaking given by the exporter could also not be considered for the reason that the authority has denied individual dumping margin to the exporter. Indeed, the exporter has not addressed the concerns of the authority that the price undertaking cannot be accepted in a situation where the questionnaire response has not been accepted.
229. As regards the difference in dumping margin between non-participating Chinese producers and participating Saudi producers, the Authority notes that the dumping margin methodology for the two has been adequately explained in the determination hereinabove. The Authority has determined the dumping margin for the Chinese producers based on facts available with the Authority. Merely because a party has preferred non-cooperation does not imply that the Authority shall ignore provisions of Rule 6(8), which requires the Authority to apply available facts.

B CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

230. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The application for initiation of the anti-dumping investigation against imports of Isobutylene-Isoprene Rubber ("IIR") originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America was filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited.
- ii. The product under consideration is Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tyres and other high-pressure tubes. Food-grade IIR used in the production of chewing gum is excluded from the scope of the product under consideration.
- iii. The Authority has adopted a PCN methodology and notified the same. The methodology has been applied to ensure that the imported and domestic product comparison is fair, the dumping margin and injury margin are determined by undertaking such fair comparison. The PCN methodology was developed after due opportunity to all interested parties and taking into account submissions and comments offered by various interested parties.
- iv. The demand for the subject goods has increased over the injury period and was the highest during the period of investigation.
- v. The imports have declined over the injury period. The Authority considers that such a decline in imports was a result of lower prices offered by the domestic industry in order to sell its product from new production facilities. Since the petitioner is a new company and began production in significant quantities only in Sept., 2019, and further since the volume of material offered by the petitioner was much higher than the growth in demand, the petitioner displaced some volume of imports by offering lower prices. Thus, the decline in imports was a reflection of the supplies by the domestic industry with the commencement of production in new production facilities, and efforts by the domestic industry to sell its material in the market. It is however noted that the domestic industry was forced to offer highly loss making prices. It was also noted that even if the domestic industry had sold the product at a price matching the import prices, the domestic industry would have still suffered financial losses from such sales.
- vi. As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the Authority concludes that the domestic industry is a new industry and it has suffered material injury. The following conclusions are reached in this regard:
 - a. The domestic industry was forced to shut down its operations due to the dumping, cumulatively for 256 days during the injury period, out of a total of 1280 days (without excluding maintenance shutdown). This shows that the domestic industry faced shutdown in about 20% of its operating days during the injury period.
 - b. The domestic industry has suffered from significant underutilization of production capacities throughout the injury period. Further, production, domestic sales volumes and capacity utilization are materially below what the domestic industry could have achieved in the absence of dumped imports.
 - c. Since the domestic industry has commenced production during the injury period, its market share has increased over the injury period. However, the same is not in line with the capacities of the domestic industry, after excluding the captive consumption and export sales.
 - d. The average inventories of the domestic industry have increased over the injury period. The increase in inventories is despite the significant demand for the product in the Country and highly loss-making prices at which the domestic industry has been selling the material.
 - e. The domestic industry has suffered from losses, cash losses and negative return. With losses suffered by the domestic industry increased with increasing sales volumes. Thus, the domestic industry sold more material to suffer higher losses. Further, the quantum of financial losses, cash losses increased over the injury period. The domestic industry was earning negative return on investment since base year, and it deteriorated over the injury period.
 - f. The earnings before interest, and depreciation of the domestic industry has been negative throughout the injury period. The Authority thus concludes that so adverse has been the pricing of the product that the domestic industry has not been able to recover even its interest and depreciation costs, leave aside reasonable return on investments.
 - g. The volume parameters of the domestic industry have improved but the profitability parameters have declined. Domestic industry has been able to increase its production, capacity utilization and

domestic sales volumes. However, the level of production, capacity utilization and domestic sales volumes achieved by the domestic industry are far lower than what was envisaged by the domestic industry and what could have been achieved but for dumping in the Country.

- h. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further investments. The domestic industry has suffered cumulative financial losses of over Rs. 500 crores by March 2023, as against a gross investment of around Rs.3000 crores in the PUC.
 - vii. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped goods from the subject countries.
 - viii. Comparison of the landed price of imports with the non-injurious price determined by the Authority shows that the injury margin is quite significant and positive with respect to various responding exporters from subject countries.
 - ix. The investigation has not shown that any other factor could have caused injury to the domestic industry.
 - x. The Authority notes that the parameters such as the import prices materially below costs and NIP, underutilization of production capacities, and domestic sales below production, collectively and cumulatively establish that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.
 - xi. The anti-dumping duty is in the larger public interest as is evident from the following:
 - a. The domestic industry has heavily invested in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant.
 - b. The subject goods are not a major cost to the downstream industry.
 - c. The major application for the subject goods is in the tyre industry. However, the tyre industry has not shown significant adverse impact of the duties on the product basket. The Authority notes that mere possible adverse impact on tubes is insufficient, when the tubes are invariably consumed alongwith tyres and tubes forms a small portion of the eventual product consumed by their downstream industry.
 - d. The imposition of duty would not affect the availability of the product. The domestic industry has the capacity to substantially cater to the Indian demand. In any case, the imports are not proposed to be banned and the proposed remedy merely implies the possibility of imports at a fair price.
 - e. The prices of the product under consideration were higher in India prior to the commencement of domestic production.
 - f. Capacities of the domestic industry excluding captive demand are enough to cater to a substantial portion (about 97%) of the demand in India.
231. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
232. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duty equal to the figure indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, countervailing duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40023100	Isobutylene-Isoprene Rubber	China	Any country, including China	Any	325	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than	China	Any	325	MT	USD

			China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America					
3	-do-	-do-	Russia	Any country, including Russia	Any	931	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	Russia	Any	931	MT	USD
5	-do-	-do-	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Al-Jubail Petrochemical Company	594	MT	USD
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country, including Saudi Arabia	Any producer other than (5)	653	MT	USD
7	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	Saudi Arabia	Any	653	MT	USD
8	-do-	-do-	Singapore	Singapore	ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd	1047	MT	USD
9	-do-	-do-	Singapore	Any country, including Singapore	Any producer other than (8)	1152	MT	USD
10	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	Singapore	Any	1152	MT	USD

11	-do-	-do-	United States of America	United States of America	ExxonMobil Product Solutions Company	781	MT	USD
12	-do-	-do-	United States of America	Any country, including the United States of America	Any producer other than (11)	859	MT	USD
13	-do-	-do-	Any country other than China, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America	United States of America	Any	859	MT	USD

L. FURTHER PROCEDURE

233. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority